हम भी हैं

युवा विवाहिता लड़कियों की स्थिति : एक अध्ययन

Vikalp Sansthan

भविष्य की पुनर्कल्पना RE-IMAGINING FUTURES
TISS
Tata Institute of Social Sciences

AMERICAN JEWISH WORLD SERVICE

© विकल्प संस्थान

पहला संस्करण : मार्च 2019

प्रकाशक : विकल्प संस्थान
रिसर्च टीम : डॉ. सोहिनी सेन गुप्ता, डॉ. शिवली कुमार (टिस) एवं
उषा चौधरी, योगेश वैष्णव (विकल्प संस्थान) और
टिस के छात्र एवं विकल्प संस्थान टीम सदस्य
सलाहकार : दिप्ता भोग, तृप्ति पंचाल
लेखक समूह : डॉ. सोहिनी सेन गुप्ता और डॉ. शिवली कुमार
संपादक सहयोग : केरेन एमोस और मंजीमा भट्टाचार्य
हिन्दी अनुवाद : रचना द्विवेदी
पृष्ठा सज्जा : राजकुमार जालोरा, योगेश वैष्णव और किशोर गोस्वामी
आर्थिक सहयोग : अमेरिकन ज्यूश वर्ल्ड सर्विस

अधिक प्रतियों के लिए :
80, विनायक नगर, रामगिरी, बड़गांव, उदयपुर–313011, राजस्थान (भारत)
ईमेल : vikalporg@gmail.com

कवर फोटो : जोनाथन टोर्गोवनिक
अंदर के फोटो : रोहित जैन, अजीत चौधरी, जूही वैष्णव और विकल्प टीम

हम भी हैं

युवा विवाहिता लड़कियों की स्थिति : एक अध्ययन

Vikalp Sansthan

TISS
Tata Institute of Social Sciences

AMERICAN JEWISH WORLD SERVICE

विषय सूची

संक्षिप्त रिपोर्ट 1

परिचय 5

लिटरेचर रिव्यू 8

राजस्थान में अध्ययन करने का तर्क–विकल्प संस्था की एप्रोच और पहल 9

अध्ययन पद्धति 10

अध्ययन प्रतिभागी 10

भाग–1 : अध्ययन क्षेत्र 11

मावली ब्लॉक, उदयपुर 12

उदयपुर जिले में ज़ल्द विवाह की स्थिति 12

अध्ययन क्षेत्र की रूपरेखा 13

विवाहित युवतियों के घरों की प्रोफाईल 16

भाग–2 : विवाहित युवतियों और बड़ी उम्र की महिलाओं के अनुभवों पर आधारित अध्ययन परिणाम 19

ज़ल्द हाशियाकरण–शादी की उम्र, यौनिक संबंध और यौनिकता पर नियंत्रण 21

जाति, जेंडर और विवाहित युवतियों की शिक्षा 22

स्वास्थ्य, प्रजजन एवं शिशु जन्म 26

जल्द विवाह और हिंसा 30

विवाहित युवतियाँ और लिंग आधारित कार्य विभाजन 33

शादी तोड़ने के आर्थिक लेन–देन 34

दूसरी शादी अथवा नाता 35

भाग–3 : विवाहित युवकों के विचार 37

मर्दानगी के विचार 39

मर्दानगी, अधिकार और सत्ता 41

घरेलू हिंसा विवाहित युवकों की नजर में कोई समस्या नहीं 42

निष्कर्ष 43

सिफारिशें 47

संदर्भ सूची 49

आभार 51

तालिका और रेखाचित्र सूची

2011 की जनगणना के अनुसार अध्ययन किए गए गाँवों की प्रोफाइन 13
रेखाचित्र 1 : विवाहित युवतियों के घरों की सामाजिक श्रेणियां (स–218) 16
रेखाचित्र 2 : विवाहित युवतियों के घरों में सुविधाएं (स–218) 17
रेखाचित्र 3 : घर की ईमारत की स्थिति (स–218) 17
रेखाचित्र 5 : शादीशुदा युवतियाँ सामाजिक जातियों के अनुसार (स–218) 21
रेखाचित्र 4 : युवतियों की शादी के समय उम्र (स–218) 21
रेखाचित्र 6 : जाति अनुसार महावारी की शुरुआती उम्र (स–218) 21
रेखाचित्र 7 : सगाई की अवधि (स–218) 22
रेखाचित्र 8 : विवाहित युवतियों की शिक्षा (स–164) का स्तर 23
रेखाचित्र 9 : स्कूल छोड़ने के कारण (स–171) 24
रेखाचित्र 10 : विवाहित युवतियों की स्कूल संबंधित भावनाएं (स–218) 24
रेखाचित्र 11 : विवाहित युवतियों की स्कूल संबंधित भावनाएँ (जाति आधारित) (स–218) 24
रेखाचित्र 12 : विवाहित युवतियों के रोल मॉडल (स–218) 25
रेखाचित्र 13 : विवाहित युवतियों की माहवारी संबंधी जानकारी (स–143) 27
रेखाचित्र 14 : माहवारी और शिशु जन्म में अंतराल (स–143) 27
रेखाचित्र 15 : युवा विवाहितों के शिशु (स–218) 27
रेखाचित्र 16 : गर्भ निरोधक और गर्भपात (स–218) 28
रेखाचित्र 17 : पिछले 12 महीने में रिपोर्ट की गई स्वास्थ्य स्थिति (स–146) 29
रेखाचित्र 18 : विवाहित युवतियों की शादी से जुड़ी दुःखद यादें (स–218) 30
रेखाचित्र 19 : विवाहित युवतियों को शादी से जुड़ा क्या अच्छा लगता था (स–218) 31
रेखाचित्र 20 : विवाहित युवतियों के जीवन की गंभीर घटनाएँ (स–218) 31
रेखाचित्र 21 : किसी अन्य के जीवन की गंभीर घटना (स–43) 31
रेखाचित्र 22 : बड़ी उम्र की महिलाओं में शादी से जुड़ी डर और चिंताएं (स–109) 32
रेखाचित्र 23 : बड़ी उम्र की महिलाओं के जीवन की सबसे गंभीर घटना (सं–106) 32
रेखाचित्र 24 : विवाहित युवतियों पर काम का बोझ शादी से पहले और बाद में (स–218) 34
रेखाचित्र 25 : शादी का टूटना और बड़ी उम्र की महिलाएं (स–107) 35
रेखाचित्र 26 : युवा विवाहित लड़कों की प्रोफाईल 38
रेखाचित्र 27 : युवा विवाहित लड़कों की शिक्षा स्थिति 38
रेखाचित्र 28 : पिछले 12 महीनों में आजीविका का मुख्य साधन 38
रेखाचित्र 29 : युवा विवाहित लड़कों का जिनकी कम से कम एक संतान है 39
रेखाचित्र 30 : युवा विवाहित लड़कों की शादी से पहले की ख्वाहिशें 39
रेखाचित्र 31 : युवा विवाहित लड़कों की भविष्य की ख्वाहिशें 39
रेखाचित्र 32 : विवाहित युवकों की शादी के प्रति भावनाएँ 40
रेखाचित्र 33 : विवाहित युवकों का बच्चों और गर्भनिरोधकों पर प्रतिक्रिया 40
रेखाचित्र 34 : विवाहित युवकों के मर्दानगी से जुड़े विचार 40
रेखाचित्र 35 : विवाहित युवकों के अनुसार महिलाओं की भूमिका 41
रेखाचित्र 36 : विवाहित युवकों का हिंसा के प्रति नज़रिया 42
रेखाचित्र 37 : विवाहित युवकों का औरतों की क्षमता के प्रति नज़रिया 42
रेखाचित्र 38 : विवाहित युवकों का जेंडर समानता के प्रति नज़रिया 42

संक्षिप्त रिपोर्ट

जल्द एवं बाल विवाह हिंसा का एक रूप है, जो देश के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किशोर–किशोरियों को प्रभावित करता है। विकल्प संस्थान और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टिस) द्वारा किया गया यह शोध अध्ययन विवाहित लड़कियों, बड़ी विवाहित महिलाओं और युवा पुरुषों के बीच जल्द एवं बाल विवाह के अनुभवों और धारणाओं की पड़ताल करता है। यह अध्ययन उत्तर भारत में राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले के मावली ब्लॉक के 10 गांवों में किया गया।

अध्ययन में भाग लेने वालों में दो आयु वर्गों में 218 विवाहित लड़कियां और युवतियां थीं–

(1) वे जो अध्ययन के समय 18 वर्ष से छोटी थीं और

(2) जो अध्ययन के समय 19–24 वर्ष की थीं, लेकिन उनकी शादी 18 वर्ष की आयु से पहले कर दी गई थी।

इसके अलावा, 200 बड़ी महिलाएं (मुख्यतः सास) जो बाल वधुएं थीं, का भी एक ही घर में साक्षात्कार किया गया ताकि युवा दुल्हनों के जल्दी शादी के अनुभवों को आकार देने में बड़ी महिलाओं की भूमिका और जल्द एवं बाल विवाह की बदलती प्रकृति दोनों को समझा जा सके।

साथ ही, उसी क्षेत्र के 50 युवकों, जिनका जल्द या बाल विवाह हुआ था, का एक चयनित नमूना लेकर भी एक प्रश्नावली का उपयोग करके साक्षात्कार किया गया था ताकि जल्द एवं बालविवाह की घटना में युवा पुरुषों की भूमिका और अनुभव को समझ सकें।

जाति और गरीबी

निम्न जातियों और आदिवासी सूमह का सामाजिक बहिष्कार काफी स्पष्ट था। इन समुदायों के अधिकांश परिवार लगभग गांव की सीमा पर रहते हैं और वे भूमि, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार तक पहुंच से संबंधित अभाव और भेदभाव का अनुभव करते हैं। आधे से अधिक युवा वधुओं के परिवार दलित और आदिवासी समुदाय से थे और 33 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग से थे। राशन कार्ड के आधार पर, युवा वधुओं वाले लगभग आधे घर गरीबी रेखा से नीचे की आयवर्ग से थे। शादी की औसत आयु आदिवासी लड़कियों में सबसे कम पाई गई।

सामूहिक विवाह और खर्चा

खर्च कम करने के लिए, कई परिवारों ने एक ही समारोह में एक से अधिक लड़कियों की शादी की। अध्ययन में उन मामलों के एक खास उल्लेख किया जिसमें एक ही समारोह में एक ही दिन में कई लड़कियों की शादी हुई थी। लगभग 63 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनका विवाह एक सामान्य समारोह में अन्य भाई–बहनों के साथ हुआ था। अपने भाई–बहनों के साथ सामान्य समारोहों में शादी करने वाली युवा दुल्हनों का अनुपात अन्य पिछड़े वर्ग के परिवारों में सबसे बड़ा था। कम उम्र के बच्चों की शादी जल्दी क्यों की इसके जवाब में कई उत्तरदाताओं ने दो कारण बताये विवाह के बढ़ते खर्च और परिवार में कई लड़कियां।

अवैतनिक घरेलू श्रम

युवा पुरुष काम के लिए आस–पास के क्षेत्रों में जाते हैं। इसलिए, घर पर महिलाओं के श्रम की मांग इस सामाजिक–आर्थिक वास्तविकता से निकलती है, जहां सभी प्रकार के घरेलू श्रम में उनकी आवश्यकता होती है, जिसमें पशुधन की देखभाल करना और भूमिहीन मजदूरों के रूप में काम करना शामिल है। जल्दी शादी करने से लड़कियों को काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और काम के भारी बोझ पर सवाल उठाने के लिए उनकी एजेंसी पर अंकुश लगाया जाता है। अध्ययन में इन युवा लड़कियों द्वारा अनुभव किए गए काम के बोझ पर प्रकाश डाला गया है।

लगभग 63 प्रतिशत विवाहित लड़कियों की शादी सामूहिक विवाह समारोह में अन्य भाई–बहनों के साथ हुई थी।

परिवार का सम्मान और इज्जत

युवा लड़कियों का जल्द एवं बाल विवाह उनके परिवार और जाति–आधारित रिश्तेदारी के ''मान–सम्मान'' को बनाए रखता है। यह लड़कियों के परिवार पर लड़कियों की 'यौन शुद्धता' बनाए रखने का दबाव खत्म करता है। साथ ही औरतों के शरीर, यौनिकता और श्रम पर हिंसक नियंत्रण एवं मर्दाना सत्ता को भी बनाए रखने में सहायक होता है। असल में जल्द एवं बाल विवाह लड़कियों को सिरे से नियंत्रित करने, जानकारी से वंचित रखने एवं अपने जीवन पर किसी भी तरह के नियंत्रण से वंचित रखने का सबसे प्रभावकारी हथियार है।

हर दिन जबरदस्ती और हिंसा

जबर्दस्ती एवं हिंसा के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि युवतियाँ अपनी हर भूमिका को बिना सवाल किए निभाएगीं। अगर कभी लड़कियों या नव–विवाहितों ने अपनी एजेंसी दिखाने की कोशिश की तो उन्हें अपने परिवार की बेरुखी का सामना करना पड़ा। कई बार औरतों और परिवारों ने युवतियों और लड़कियों पर हुई हिंसा एवं अपराधों को सही बताया क्योंकि लड़कियों ने समुदाय निर्धारित कायदों को ताड़ने की कोशिश की थी जो कि किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं। विवाहित युवतियों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन चक्र था उनका जल्द यौन सबंधों में जाना, जल्द गर्भाधान और कम उम्र में माँ बनने की बंदिश। लगभग 40 प्रतिशत जल्द विवाह वाली युवतियों ने बताया कि उनके विवाह तय होने के और ससुराल आने के बीच में ज्यादा अंतर नहीं था जबकि 36 प्रतिशत ने बताया कि विवाह और ससुराल आने में लगभग एक से तीन साल का अंतर था लेकिन फिर भी वे सब 18 साल से पहले ससुराल आ गई थीं। शादी तय हाने के और ससुराल आने के बीच का अंतराल वैसे भी लड़कियों को जल्द यौन संबंधों एवं हिंसा से सुरक्षा नहीं देता।

भय और चिंता में जीना

लड़कियाँ और शादीशुदा युवतियाँ अध्ययनकर्ताओं से भी खुलकर बात नहीं कर पा रही थीं क्योंकि उनकी सभी बातचीत और क्रियाकलाप लगातार बारीकी से देखें जा रहे थे। फिर भी काफी बातचीत के बाद युवतियों ने शादी से जुड़े अपने डरों और चिंताओं की बात की। उनके अनुसार शादी के बाद एक अजनबी घर में आना, अजनबियों के साथ रहना, घर के काम ठीक से कर पाने पर मिलने वाली डांट या सजा, सास का

युवा लड़कियों का जल्द विवाह उनके परिवार और जाति समाज का आदर और सम्मान बनाए रखता है।

खौफ, पिता अथवा भाई की मृत्यु उनकी ज़िंदगी के सबसे बड़े डर हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़ी उम्र की महिलाओं (सास) ने कहा कि उन्हें अपनी लड़कियों की चिंता सताती है कि ससुराल में उन पर हिंसा न हो जाए या उन्हें पति छोड़ न दें। इस तरह के विचार महिलाओं की घरेलू अर्थव्यवस्था में भूमिका और उनके आपसी संबंधों की एक झलक देता है जबकि महिलाएं व्यक्तिगत तौर पर क्या चाहती हैं यह स्पष्ट नहीं होता।

जल्द यौन संबंध और बच्चे

ज्यादातर मामलों में लड़कियों ने बताया कि वे यौनिक संबंधों में कोई भी निर्णय लेने अथवा कब और कितने बच्चे होंगे यह तय करने में असमर्थ थीं और यह सब इतनी जल्दी होता गया कि उन्हें कभी समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा था। साथ ही अचानक इतना कुछ उनकी ज़िंदगी में घटता चला जा रहा था कि वे उससे पूरी तरह से अभिभूत हो गई थीं। आमतौर पर जिसे कानूनी तौर पर बलात्कार कहा जा सकता है वह शादी की आड़ में एक आम बात है। महावारी, गर्भ निरोधक और यौनिक संबधों एवं स्वास्थ्य को लेकर जो शर्म, राजदारी और पाबंदिया हैं उनके चलते अधिकतर लड़कियाँ शादी में बिना किसी पूर्व जानकारी एवं समझ के ही जाती हैं।

शिक्षा का अभाव एवं बचपन का जल्द अंत

जल्द विवाह निश्चित तौर पर लड़कियों के द्वारा अपनी आज़ादी छिन जाने और बंधन में आने के रूप में देखा गया। आधे से ज़्यादा लड़कियां 16 साल पूरे होने से पहले ही अपनी ससुराल आ गई थीं। शादी की वजह से स्कूल छोड़ने को लड़कियों ने एक मुख्य चिंता के रूप में व्यक्त किया। अधिकतर विवाहित युवतियों ने कहा कि अगर मौका मिले तो वे फिर से स्कूल जाना चाहेगी जहां उन्हें तरह–तरह की जानकारियाँ, दोस्त और अपना आत्मविश्वास बढ़ाने का मौका मिलता है। आधे से ज़्यादा युवतियों ने कहा कि वे स्कूल को और स्कूल में अपनी सहेलियों के साथ खेलने को अभी बहुत याद करती हैं। लेकिन हिंसा का डर और विकल्पों की कमी के कारण वे अपने मन की बात ससुराल वालों से नहीं कहतीं।

मर्दानगी

विवाहित युवकों के बीच मर्दानगी का हिंसक विचार और उससे मिलने वाली सत्ता अध्ययन में स्पष्ट निकलकर आई। साथ ही अधिकतर युवाओं ने परपंरागत मर्दानगी की भूमिकाओं को अपने ऊपर लागू करते हुए परिवार के भरणपोषण को अपनी जिम्मेदारी बताया और उससे जुड़ी चिंता को भी व्यक्त किया। परंतु साथ ही उन्होंने काफी जेंडर आधारित गैर–बराबरियों को सही ठहराते हुए औरतों पर होने वाली हिंसा को भी जायज ठहराया। उनका यह भी मानना था कि आदमी होने के नाते उनके पास यह ''अधिकार'' है कि वे अपनी यौनिक इच्छाओं को व्यक्त एवं पूरा करें और अगर चाहें तो एक साथ कई रिश्ते भी बना सकते हैं।

82%

युवा लड़कों ने कहा कि

महिलाओं को परिवार के द्वारा की जाने वाली हिंसा को सहन करना चाहिये

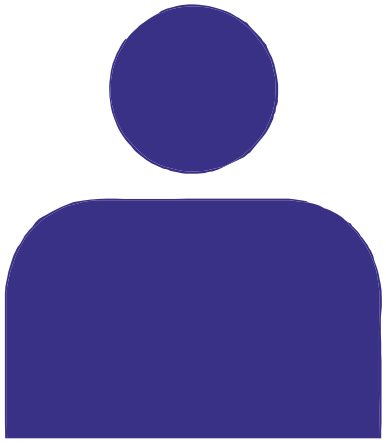

सिफारिशें

मावली ब्लॉक के गांवों में समुदाय की पहचान, जेण्डर आधारित गैरबराबरी, जेण्डर आधारित भेदभाव और किशोर लड़कियों के खिलाफ हिंसा के मामले में अन्य जातियां और दलित और सामाजिक बहिष्कार के बीच जो गहरा और उलझा हुआ संबंध है, अध्ययन में उस पर प्रकाश डाला गया। अध्ययन की मुख्य सिफारिशें निम्न हैं:

- किशोर लड़कियों और लड़कों के बीच जल्द एवं बाल विवाह के अनुभव की विविधता को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा समुदाय, प्रभुत्व या बहिष्कार के मुद्दों और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच या पहुंच के अभाव के आधार पर कार्य रणनीति बनाने की आवश्यकता है।
- कार्यनीति को उन किशोर लड़कियों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जो पहले से शादीशुदा हैं और अपने ससुराल में रह रही हैं वो सबसे कमजोर हैं, और जो किशोर लड़कियां शादीशुदा हैं लेकिन अपने माता–पिता के घर में रहती हैं तथा जिन लड़कियों की शादी होने की सम्भावना है।
- युवा लड़कों के साथ कार्य का केन्द्र मर्दानगी के संदर्भ में सत्ता, हिंसा और जेंडर आधारित गैरबराबरियों से जुड़े विचारों को चुनौती देने; और जेण्डर समानता से जुड़ी प्रथाओं और व्यवहारों का ज्ञान बढ़ाने और आत्ममंथन के अवसर बढ़ाने पर होना चाहिये।
- परिवारों, समुदायों और राज्य संस्थानों के साथ विभिन्न रणनीतियों के जरिये निरंतर गहरे और लम्बे जुड़ाव के द्वारा ही बदलाव सम्भव है, जिसमें जल्द एवं बाल विवाह की रोकथाम पर वकालत, आउटरीच और जागरूकता से संबंधित कार्य किया जाय।

परिचय

विवाह एक संस्था के रूप में आज भी यौनिकता को व्यक्त और अनुभव करने का एक प्रचलित एवं मान्य माध्यम है। विवाह से संबंधित मूल्य एवं धारणाएँ, जो कि अधिकतर समुदायों और परिवारों द्वारा माने जा रहे रीति–रिवाज़ों एवं नियमों को भी दर्शाते हैं। सामाजिक कायदे एवं प्रथाएँ कैसे लड़कियों की यौनिकता पर नियंत्रण और उनकी आकांक्षाओं को सीमित कर, उनके जीवन और उससे जुड़े निर्णयों पर नियंत्रण रखते हैं, ज़ल्द और बाल विवाह उसका एक ज्वलंत उदाहरण है।

बाल विवाह, जबरन और ज़ल्द विवाह न केवल लड़कियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन है बल्कि वो एक प्रकार की जेंडर आधारित हिंसा भी है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि चूँकि ज़ल्द विवाह का निर्णय माँ बाप या समुदाय के हाथ में होता है, इस तरह की शादियाँ जबरदस्ती की शादियाँ ही होती है। इस रिपोर्ट में जल्द शादी का मतलब बाल विवाह, जबरदस्ती की शादी, कानूनी उम्र (लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल) के पहले की गई शादियाँ और बड़ी उम्र के किशोर बालक–बालिकाओं की शादियों से है, जो कि एक सामाजिक सांस्कृतिक घटनाक्रम है जिस पर शादी होने वाले लड़के–लड़कियों का कोई नियंत्रण नहीं है। अतः यह रिपोर्ट केवल 18 साल से पहले की शादी तक सीमित नहीं है (चूँकि ग्रामीण इलाकों में उम्र हमेशा ठीक से पता हो या प्रासंगिक हो, सम्भव नहीं है) बल्कि यह वृहत स्तर पर बाल, ज़ल्द और जबरदस्ती की शादी को देखती है।

माना जाता है की बाल एवं ज़ल्द विवाह लड़कियों की समानता और सशक्तीकरण को कमजोर करती है जिससे गैर बराबरी और सत्ता आधारित कायदों को बल और बढ़ावा मिलता है और तथा लड़कियों को मिलने वाले अवसरों में भी कमी आती है। इससे हर साल 1.5 करोड़ लड़कियाँ गरीबी, खराब सेहत और असमानता के चक्रव्यूह में घिर जाती है। ज़ल्द विवाह के कारण बिना शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हुए लड़कियों को कम उम्र में जबरन यौन संबंधों और जानलेवा स्वास्थ्य परिणामों का सामना करना पड़ता है। यह विवाहित किशोर लड़कियों में ऊच मातृ मृत्यु दर, लगातार कुपोषण और खराब स्वास्थ्य सेवाओं से भी सम्बंधित है. कम उम्र की माँओं के बच्चे बीमारी और मृत्यु के शिकार भी अधिक होते हैं।

जल्द शादी जो कि एक कारण व परिणिति दोनों ही है, महिलाओं व लड़कियों के दोयम दर्ज़े यौनिक नियंत्रण व शोषण, आर्थिक निर्भरता व महिलाओं के श्रम व प्रजनन अधिकारों पर नियत्रंण का सबसे ताकतवर हथियार है।

जल्द शादी से जुड़े हानिकारक प्रभावों में एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। जल्द शादी से जुड़े हानिकारक प्रभावों में एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। जल्द शादी का घरेलू और यौनिक हिंसा के साथ जुड़ाव। जहां एक और 18 साल से छोटी लड़की के साथ यौनिक संबंध कानूनी तौर पर यौनिक हिंसा या बलात्कार माना जाता है (डी सिल्वा, डी एल्विस 2008) वहीं, जल्द शादी के तहत होने वाले जबरन यौनिक संबंधो को पूरी तरह से साधारण और स्वीकार्य माना जाता है। जल्द व बाल व जबरन विवाह न सिर्फ मानवाधिकारों का हनन है बल्कि जेंडर आधारित हिंसा का सबसे व्यापक रूप और कारण भी हैं (यूनिसेफ 2004) विश्व स्तरीय आंकड़े दिखाते है कि पिछले कुछ सालों में हुए प्रयासों से जल्द शादी में जो कमी आई है वह 2030 तक के लिए तय सतत विकास लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ना काफी हैं। (यूनिसेफ 2018)

ज़ल्द विवाह अन्य सामाजिक असमानताओं को भी बनाए रखता है जैसे की जाति और सामाजिक स्तर एवं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र आदि। लड़कियों को ज़ल्दी ही कब्जे में कर लेने से यह डर खत्म हो जाते हैं कि वे अपने मर्जी की शादी में जा सकेंगी या समुदाय की सीमाओं का उल्लंघन कर पाएँगी। यह जाति की पवित्रता की धारणा को बनाएँ रखने की भी महत्त्वपूर्ण रणनीति है। परिपक्व होने से पहले ही शादी कर देने से लड़कियों की अपनी ज़िंदगी के निर्णय करने की क्षमता बहुत ही सीमित हो जाती है।

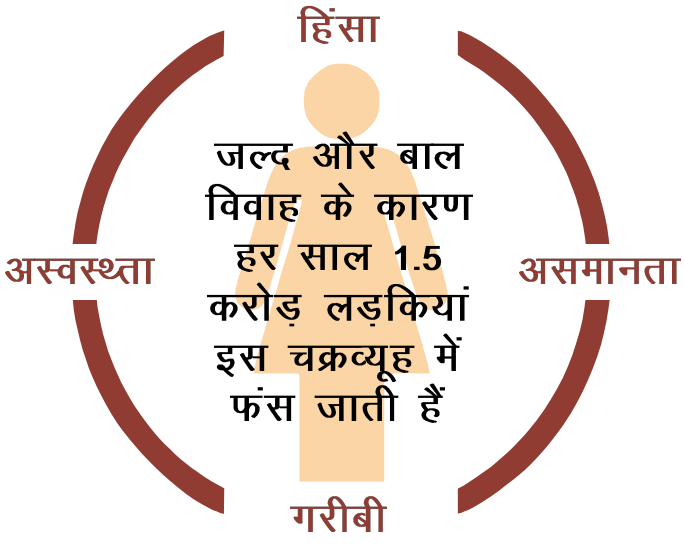

ज़ल्द विवाह एवं शिक्षा का अभाव लड़कियों को अपनी अभिव्यक्ति तथा शरीर, यौनिकता और प्रजनन से सम्बंधित जानकारी हासिल करने के अवसरों को सीमित करता है। यह उन्हें लगातार और शीघ्र गर्भावस्था,गर्भपात, शारीरिक एवं मौखिक हिंसा के प्रति कमजोर बनाता है। एक ऐसी परिस्थिति में जिसमें उनके पास कोई सम्पत्ति, आमदनी या अन्य संसाधन नहीं होते हैं, उनको हमेशा यह भय होता है कि उनको छोड़ दिया जाएगा और इस बात के लिए भी मजबूर हो जाती हैं कि उनकी जबरदस्ती दूसरी शादी कर दी जाएगी।

विकल्प युवा लड़कियों एवं महिलाओं के साथ काम करने वाली संस्था है जो कि उन्हें जोड़ने एवं उनके परिवारों द्वारा लगाई गई बंदिशों को तोड़ने के लिए प्रयासरत है। उनके काम का एक बड़ा हिस्सा शादीशुदा या जिनकी शादी होने वाली है या वे लड़कियाँ जो अभी भी अपने माता–पिता के साथ रह रही हैं, उन पर फोकस करके काम करना है। इसलिए अध्ययन में संस्थान द्वारा किया गया काम और उससे ऊपजी समझ का ज़ल्द विवाह को युवा लड़कियों और आदमियों के संदर्भ में समझने में एक महत्वपूर्ण योगदान है। अध्ययन के दौरान, 218 लड़कियाँ जिनकी शादी 18 साल से पहले हो गई थी (शादीशुदा युवतियाँ) और जो अधिकतर अपनी ससुराल में रह रही थीं, 200 बड़ी उम्र की महिलाएँ (विवाहित युवतियों की सास) और 50 युवा लड़कों/आदमियों (युवतियों के पति) से साक्षात्कार किया गया जो कि उदयपुर जिले के, मावली ब्लॉक के 10 गाँवों में से थे। अध्ययन का उद्देश्य था कि कठिन परिस्थितियों में रहने वाली युवा लड़कियाँ जो कि ज़ल्द शादी कर अपने ससुराल में रह रही थीं, के अनुभवों से सीखना और समझना। (कुछ उत्तरकर्त्ता) शादी के बाद साक्षात्कार के समय अपने माता–पिता के साथ ही रह रही थीं।

बाल विवाह औरतों और बच्चों के अधिकारों का हनन है जो कि कन्वेंशन ऑल द एलिमिनेशन ऑफ आल फार्मस ऑफ वायलन्स अगेन्स्ट वुमेन (CEDAW) और कन्वेन्शन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड में भी शामिल किया गया है।

हालांकि भारत में बाल विवाह प्रतिरोधक कानून (2006), 18 साल से पहले लड़की औरत 21 साल से पहले लड़के की शादी को गैर कानूनी मानते हुए सज़ा का प्रावधान करता है। अधिकतर सरकारें इस संदर्भ में कुछ भी ठोस रूप से करने में कतराती है। जल्द शादी से होने वाले मानसिक व शारीरिक शोषण को न रोक पाने का असर यह है कि एक बड़ी संख्या में लड़कियां रोजमर्रा के जीवन में हिंसा और शोषण का शिकार होती रहती है।

यह रिपोर्ट लिटरेचर रिव्यू के साथ शुरु होती है जो कि भारत में ज़ल्द विवाह के सबूत और उससे जुड़े कानूनी संदर्भ को संक्षिप्त में बयान करती है। इसके बाद अध्ययन के उद्देश्य एवं उसकी पद्धति के साथ–साथ, उन समुदायों का भी संक्षिप्त परिचय शामिल है जो इस अध्ययन के मुख्य पात्र हैं। इसके साथ ही 10 गाँवों की 218 शामिल की गई युवतियों का सामाजिक–आर्थिक संदर्भ भी दिया गया है। अध्ययन के रिपोर्ट को दो मुख्य भागों में बाँटा गया है। पहला युवतियों और बड़ी उम्र की महिलाओं के उत्तरों एवं अनुभवों पर फोकस करता है और दूसरा युवा पतियों के जवाबों को मुख्य रूप से रखता है और दोनों भागों में मिले सबूतों, अनुभवों और जवाबों को मिलाकर उसके विश्लेषण के आधार पर अंत में निष्कर्ष एवं चर्चा को कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों के साथ समेटा गया है।

विकल्प संस्था द्वारा किया गया यह अध्ययन जो कि उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टिस) की मदद से किया विवाहित युवतियों और विवाहित युवकों के जल्द शादी से ओ से जुड़े अनुभवों को उभारने और समझने का प्रयास है।

लिटरेचर रिव्यू

भारत में ज़ल्द और बाल विवाह पर कई अध्ययन हुए है लेकिन इस अध्ययन के तहत हमने कुछ मुख्य अध्ययनों की ही समीक्षा की है। दसरा द्वारा केनडीडा फण्ड के सहयोग से किए गए अध्ययन में उन्होंने पूरे देश से 10 संस्थाओं द्वारा किए जा रहे ज़ल्द विवाह के प्रयासों को समझने की कोशिश की जिसमें विकल्प संस्थान भी एक है। उस अध्ययन में दसरा ने फौरी तौर पर लड़कियों के लिए और विकल्पों को देने की पुरजोर सिफारिश की है जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं उन पर पहरा बिठाने वाले सामाजिक घटक जैसे पिता, भाई एवं अन्य सामुदायिक नेताओं के साथ काम करके संभव हैं।

दूसरा अध्ययन एक्शन एड द्वारा सात राज्यों (मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना एवं बिहार) में किया गया जो कि भारत में होने वाले कुल बाल विवाहों का 70 प्रतिशत हिस्सा है। एक्शन एड ने यह सत्य दोहराया है कि सामाजिक–आर्थिक स्थितियों के अलावा क्षेत्रीय विविधताएँ भी ज़ल्द एवं बाल विवाह के संदर्भ में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं, लेकिन गरीबी ही एकमात्र कारण नहीं है।

अध्ययन ने यह उजागर किया कि लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा और बेरोजगार के मौकों के न मिलने की वजह से बाल विवाह की प्रथा को बढ़ावा मिलता है लेकिन साथ ही संदर्भ आधारित धर्म और सांस्कृतिक कारणों को भी बाल

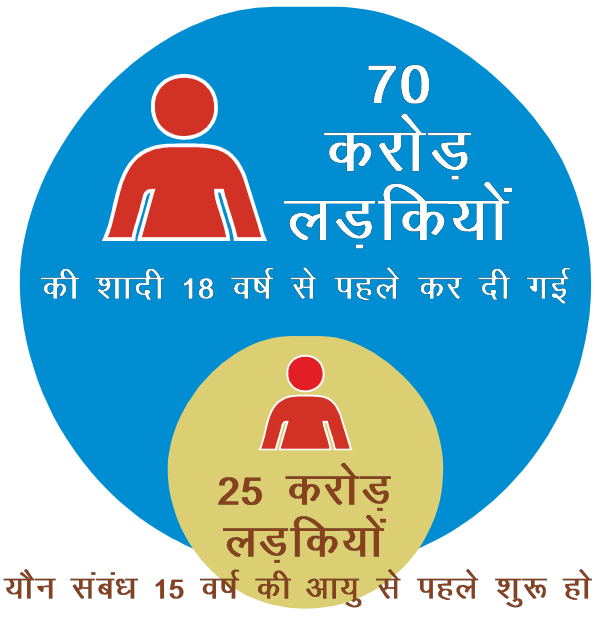

विवाह के कारणों के रूप में जानना और समझना आवश्यक है, वैसे तो बाल विवाह के नकारात्मक परिणामों का असर लड़कों पर भी होता है लेकिन लड़कियों पर यह असर कहीं ज़्यादा और गहरा होता है। इसलिए एक्शन एड रिपोर्ट में संस्कृति, जेंडर एवं गैर–बराबरी पर और रिसर्च (अनुसंधान) करने का सुझाव दिया गया।

निरंतर ट्रस्ट द्वारा किए गए ज़ल्द एवं बाल विवाह अध्ययन में, जिसमें पूरे देश से 19 संस्थाओं से प्राथमिक जानकारी इकट्ठी की गई थी, बाल और ज़ल्द विवाह के जड़ में जो मुख्य कारण है उन पर रोशनी डाली गई। इसके तहत, विवाह के आर्थिक पहलू यौनिकता एवं जेंडर कायदे, मर्दानगी, शिक्षा का स्वभाव, समाज में शादी की केन्द्रीय भूमिका, जोखिम, उम्र की सत्ता, विभिन्न स्थितियों एवं समय पर परिवारों और लड़कियों की अतिशय दयनियता इत्यादि मुख्य कारण के रूप में उजागर किए गए हैं। नारीवादी नज़रिए को इस्तेमाल करते हुए जब निरंतर ने यौनिकता और सत्ता की नजर से विश्लेषण किया तो पाया कि शादियाँ महिलाओं के श्रम और शरीर पर नियंत्रण रखने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। इस अध्ययन में यह भी कहा गया है कि सामाजिक संस्थान और जेंडर आधारित बहुआयामी शोषण जो कि ज़ल्द और बाल विवाह के कारण होते हैं उन्हें और गहराई एवं विस्तार से समझने की ज़रूरत है।

उन ढाँचागत संस्थागत अवरोधों की पहचान करना जो कि लड़कियों को शिक्षा और रोजगार से दूर रखते हैं, लड़कियों और लड़कों के लिए सशक्तीकरण कार्यक्रम जिनके जरिए वे गैर–बराबर जेंडर के कायदों को चुनौती दे सकें, और शादी यौनिकता के मसलों पर समाज और परिवार से निगोशिएट कर सकें, यह कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिनका खास संदर्भ के साथ निरीक्षण करना अत्याधिक ज़रूरी है। यह फिर जेंडर आधारित शोषण की संस्कृति को बदलने और व्यवस्थात्मक रूप से लड़कियों तक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका की सुविधाएँ पहुँचाने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। बाल विवाह, लड़कियों एवं महिलाओं के मूलभूत अधिकारों का हनन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मसौदों जैसे कि (सीडा) और बाल अधिकार कन्वेंशन में किए गए है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ''बाल विवाह'' एक ऐसी कानूनी या प्रचलित प्रथा है जिसके तहत दो व्यक्ति जिसमें दोनों या एक व्यक्ति 18 साल से कम हो एवं उनके बीच के शादी का बंधन हो। सीडॉ 18 साल से कम उम्र में हुई शादियों (ऑर्टिकल–16) का विरोध करता है और इस तरह

के सभी रिश्तों एवं शादियों को गैरकानूनी मानकर सरकारों पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वे शादी की न्यूनतम उम्र तय करें और सभी शादियाँ का अनिवार्य रूप से पंजीकरण किया जाए। लेकिन भारत में ऑर्टिकल–16 पर अपनी सहमति नहीं दी है क्योंकि इसको वह सामुदायिक एवं व्यक्तिगत–सांस्कृतिक आजादी में दखल न देने की नीति के रूप में देखता है।

भारत का बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 ''बच्चों'' को परिभाषित करता है–एक व्यक्ति यदि पुरुष है तो उसने 21 साल पूरे न किए हो और यदि महिला हो तो उसने 18 साल न पूरे किए हो। 2006 में पास हुए अधिनियम में बाल विवाह को बढ़ावा देने या करने की सजा एवं जुर्माना 6 महीने से बढ़ाकर 2 साल और जुर्माना 2,00,000 कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बाल विवाह में निहित बाल शोषण को मान्यता देते हुए, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी के अर्न्तगत भी यौन संबंध को बलात्कार का दर्जा दिया है। लेकिन कानून बाल विवाह को रोकने में काफी हद तक असमर्थ है। क्योंकि 2011 के जनगणना आँकड़ों के अनुसार अभी भी लगभग 13 करोड़ लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो गई थी। इसके बावजूद राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड के मुताबिक 2000 से 2011 के बीच पूरे देश में सिर्फ 948 केस दर्ज हुए थे और उनमें से मात्र 157 व्यक्तियों को सजा हुई थी।

स्पष्ट है कि कानूनी प्रावधान बाल विवाह को रोकने में काफी हद तक असफल रहे हैं, कुछ कानूनी प्रावधानों के पूरी तरह से लागू न होने के कारण और कुछ इसलिए कि बाल विवाह जैसी जेंडर कायदों में रची–बसी ढाँचागत समस्या को सिर्फ कानूनी रणनीतियों से हल नहीं किया जा सकता।

राजस्थान में अध्ययन करने का तर्क–

विकल्प संस्थान की एप्रोच और पहल

2015 में विकल्प द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार लगभग 90 प्रतिशत महिलाएँ जो ज़ल्द शादी का शिकार हैं वे आदिवासी समुदाय या वंचित जातियों (भील, मेघवाल और बंजारा) से हैं। लगभग 44 प्रतिशत शादीशुदा युवतियाँ हाईस्कूल तक पढ़ी थीं, जबकि 67 प्रतिशत लड़के हाईस्कूल की पढ़ाई पूरी कर चुके थे। लगभग 11 प्रतिशत युवतियाँ, निरक्षर थीं, जबकि युवा लड़कों में निरक्षरता सिर्फ 2 प्रतिशत थी। युवा शादीशुदा लड़कियाँ अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करना चाहती थी लेकिन हिंसा के डर और आवाज़ उठाने पर मिलने वाली सजा के खौफ से वह कुछ भी कह नहीं

17.6% यानि 10.3 करोड़ महिलाओं की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हो गई

–जनगणना 2011

पातीं। उनकी गतिशीलता पर भारी नियंत्रण रखा जाता है, घर और बाहर दोनों जगह वे अधिकतर घर के कामों एवं प्रजनन संबंधी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी रहती हैं।

यह क्योंकि एक समस्या को सतह पर ही समझने का प्रयास था, विकल्प को इसकी गहराई में जाने की ज़रूरत महसूस हुई खासतौर पर हिंसा (शारीरिक, मानसिक एवं यौनिक) के संदर्भ में। कम उम्र में शादी हुई युवतियों को हिंसा से निपटने के लिए किस तरह के सामाजिक सहयोग उपलब्ध हैं, वे किस तरह की सुविधाएँ ले सकती है और उनके पास इससे संबंधित क्या जानकारियाँ हैं। विकल्प संस्थान चाहती थी कि वर्तमान की कम उम्र में शादी हुई लड़कियों के अनुभव की तुलना वे वर्तमान में उन युवतियों से करे जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी तथा उन महिलाओं के साथ भी जिनकी कम उम्र में शादी हो गई थीं। साथ ही विकल्प लड़कों के साथ भी काम करने में विश्वास रखता है और उनके साथ हिंसा तथा मर्दानगी के मुद्दों पर काम करता है। अतः उन युवा लड़कों को भी अध्ययन में शामिल करना आवश्यक समझा गया जिससे कि अध्ययन को और अधिक गहराई दी जा सके।

विकल्प के अध्ययन और काम के अनुभवों से यह निकलकर आया कि यदि हमारे प्रयासों को व्यवहारिक और बदलाव की दिशा में मोड़ना है तो हमें समुदायों के संदर्भ और उनकी रोजमर्रा की हकीकतों को समझना अत्यधिक आवश्यक है। अतः विकल्प ने 2016 में टिस के साथ भागीदारी में एक एक्शन रिसर्च की शुरुआत की। अध्ययन से निकले परिणाम, विकल्प को अपने क्षेत्र में कम उम्र में होने वाली शादियाँ और उनकी युवा लड़कियों पर पड़ने वाले प्रभाव खासतौर पर हिंसा जो कि बाल विवाह से ग्रसित लड़कियाँ सह रही हैं उसे समझने एवं उसके आधार पर ठोस कार्यक्रम और रणनीि बनाने का अवसर प्रदान करेंगे, जिससे कि न सिर्फ ज़ल्द, जबरन और बाल विवाह को कम किया जा सके बल्कि जो इसमें आ चुकी है, उन युवतियों को भी सशक्त किया जा सके।

अध्ययन पद्धति

अध्ययन की अवधारणा गढ़ने एवं उसकी पद्धति निर्धारित करने के लिए टिस के अध्ययनकर्त्ताओं ने विकल्प के दो कार्यकर्त्ता जो कि उसके नेतृत्व में भी है उनसे गहराई से चर्चा की। जिससे कि ज़ल्द एवं बाल विवाह पर काम करने के लिए उनके व्यक्तिगत कारणों और प्रतिबद्धता को समझा जा सके। ऊषा जब 14 साल की थीं, तब उनकी शादी अपने से 10 साल बड़े आदमी के साथ लगभग हो ही गई थी, लेकिन अपनी शिक्षा को जारी रखने की उनकी जिद्द ने न सिर्फ उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने की हिम्मत दी बल्कि ज़ल्द और बाल विवाह से लड़ना, उन्होंने अपना जीवन पर्यंत मिशन बना लिया जिससे कि राजस्थान की युवा लड़कियाँ अपने हक के लिए खड़ी हो सकें। योगेश लड़कों के साथ काम करने और उनकी मर्दानगी एवं ज़ल्द विवाह के मुद्दों पर समझ बनाने के काम में ज़्यादा ऊर्जा लगाते हैं, जिससे कि राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में युवा लड़के ज़ल्द विवाह से उनके जीवन पर होने वाले असर को समझ सकें।

यह अध्ययन मुख्यतः तीन भागों में बाँटा गया–पहला हिस्सा विकल्प द्वारा की गई सतही पहल थी, जिसमें कि उन्होंने टारगेट क्षेत्र को समझने एवं रिसर्च टीम को सहभागी अध्ययन पद्धतियों पर प्रशिक्षण देने का काम किया। इसके बाद 10 चुने हुए गाँवों की संक्षिप्त प्रोफाईल तैयार की गई। दूसरे हिस्से में गुणात्मक आँकड़ों को विस्तृत साक्षात्कारों के जरिए 10 गाँवों से एकत्रित किया गया। तीसरे भाग में टिस और विकल्प के अध्ययनकर्त्ताओं ने मिलकर एकत्रित जानकारियों का विश्लेषण किया।

अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे–

- ज़ल्द विवाह में आने वाली युवा लड़कियों के अनुभवों को टटोलना और ज़ल्द विवाह के संदर्भ में उनकी अवधारणाओं को समझना।
- साथ ही यह भी देखना कि बड़ी उम्र की महिलाओं (युवा विवाहित लड़कियों की सास) ज़ल्द विवाह के बारे में क्या सोचती हैं।
- युवा लड़के जिनकी शादी हो गई है उनके नज़रिए से ज़ल्द विवाह के अनुभव को समझना।
- ज़ल्द विवाह के संदर्भ में सामुदायिक सोच, व्यवहार एवं रवैयों को समझना जो कि सामाजिक–आर्थिक कारणों के साथ मिलकर ज़ल्द विवाह जैसी प्रथाओं को बढ़ावा देती हैं।

अध्ययन प्रतिभागी

अध्ययन की प्राथमिक विषय शादीशुदा युवतियाँ थीं जो कि दो मुख्य श्रेणी में थी–(1). जो लड़कियाँ अध्ययन के समय 18 वर्ष से कम उम्र की थीं, (2). वे लड़कियाँ जो 19–24 वर्ष की थी लेकिन उनकी शादी 18 साल से पहले हो गईं। इसके अलावा बड़ी उम्र की महिलाएँ (मुख्यतः लड़की की सास) जो कि स्वयं कम उम्र में शादी करके आई थीं। युवा लड़कियों एवं बड़ी उम्र की महिलाओं से बात करने का मकसद था, युवा लड़कियों के कम उम्र में शादी के अनुभव में इन उम्रदराज औरतों की क्या भूमिका होती है और कम उम्र की शादी में समय के साथ क्या बदलाव आये हैं?

10 गाँव (मोरठ, वासनी खुर्द, वासनी कलां, चँगेड़ी, ओगणा, खेड़ा, भुमलावास, मानखण्ड, गिरधारीपुरा, शिवपुरा, खरताणा) जिनमें अध्ययन किया गया वो उदयपुर–मावली ब्लॉक में स्थित हैं। यह विकल्प का मुख्य कार्यक्षेत्र भी है। अध्ययन का सैंपल अध्ययन के मकसद के अनुरूप किया गया। अतः परपसिव सैंपलिंग पद्धति इस्तेमाल करते हुए प्राथमिक प्रतिभागी एवं अन्य उत्तरकर्ताओं का चुनाव किया गया। विवाहित युवतियों तक परिवार, जाति एवं रिश्तेदारों के नेटवर्क के जरिए पहुँचा गया।

इसी खास मकसद के मद्देनजर, 50 युवा लड़के भी अध्ययन में शामिल किए गए जिनके साथ, अर्द्ध पूर्व निर्धारित सवालों के साथ साक्षात्कार किए गए जिनके जरिए ज़ल्द और बाल विवाह को युवा लड़कों के संदर्भ में समझने का प्रयास किया गया।

व्यक्तिगत पसंद एवं पारिवारिक दबावों के अलावा ज़ल्द और जबरन शादी में काफी हद तक सामाजिक मूल्यों और कायदों की भी अहम भूमिका होती है। यह सामाजिक व्यवहार और विचारधारा समझने के लिए प्राथमिक विषय अर्थात् युवतियों के परिवारजनों को भी अध्ययन में शामिल किया गया। अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति जो सामाजिक स्तर पर प्रभाव डालते हैं और पारिवारिक निर्णयों में जिनका दखल होता है जैसे कि जाति–पंचायत के नेता, चुनकर आये जन प्रतिनिधि, सरकारी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता और पुलिस ऑफिसर के साथ भी अध्ययन के तहत साक्षात्कार किए गए। सभी साक्षात्कार अक्टूबर से दिसम्बर, 2016 के बीच किए गए।

भाग 1

अध्ययन क्षेत्र

मावली ब्लॉक, जिला–उदयपुर

सन् 2011 की जनगणना के मुताबिक मावली ब्लॉक की कुल जनसंख्या 253, 344 थी, जिसमें से 12.6 प्रतिशत शहरों में और 87.4 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे थे। इसमें से 95.6 प्रतिशत हिन्दू, 2.4 प्रतिशत मुस्लिम एवं 1.8 प्रतिशत जैन धर्म को मानने वाले थे। हिन्दू धर्म को मानने वालों में से 10.7 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 20.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति समुदायों से थे।

मावली ब्लॉक का लिंग अनुपात 966 है जो कि राज्य स्तर के लिंग अनुपात 883 से कहीं ज़्यादा है। परन्तु शिशु लिंग अनुपात 901 था, जो कि एक चिंता का विषय है और शिशु लड़कियों में अधिक मृत्यु दर एवं उनकी उपेक्षा की तरफ इशारा करती है। औसत साक्षरता दर शहरों में 77.8 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 59.6 थी। महिला और पुरुषों की साक्षरता दर में काफी अंतर था मावली ब्लॉक में। महिलाओं की साक्षरता दर सिर्फ 40.2 प्रतिशत थी जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 65.2 प्रतिशत थी।

यह राज्य के साक्षरता दर से कहीं कम थी, जो कि महिलाओं में 52.7 प्रतिशत और पुरुषों में 80.5 प्रतिशत है। मावली ब्लॉक अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ के अधिकतर लोग कृषि का काम या कृषि से संबंधित काम जैसे कृषि मजदूरी इत्यादि के कामों में लगे हैं। आबादी का एक छोटा हिस्सा घरेलू उद्योगों से भी आजीविका कमा रहा है।

जनगणना के अनुसार उदयपुर जिले की कुल आबादी 30 लाख से थोड़ी ज़्यादा थी जिसकी सघनता लगभग 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. थी। जिले की जनसंख्या को सीमित करने के कई प्रयासों के बावजूद उदयपुर की आबादी तेजी से बढ़ी है (23.6 प्रतिशत) जबकि राज्य की आबादी बढ़ने की गति 21.4 प्रतिशत है। परन्तु 2001 से आबादी की बढ़त में काफी कमी भी आई है। जनगणना के आँकड़े यह भी दर्शाते हैं कि लिंग अनुपात 2001 में 969 से गिरकर 2011 में 958 हो गया। महिला और पुरुष के साक्षरता दर 2001 के बाद से काफी बढ़े थे लेकिन अभी भी महिलाओं के साक्षरता दर 48.7 प्रतिशत और पुरुषों के साक्षरता दर 74.7 प्रतिशत में काफी अंतर था।

लगभग 39 प्रतिशत आबादी आर्थिक पायदान की सबसे नीची श्रेणी में थी जबकि 18.1 प्रतिशत संपन्नता की सबसे ऊँची श्रेणी में। स्वास्थ्य सूचकांकों के संदर्भ में देखे तो प्रजनन दर प्रति 1000 महिलाओं पर 4 बच्चे थी जो कि राष्ट्रीय प्रजनन दर 2.1 की लगभग दुगुनी है। शिशु मृत्यु दर भी प्रति 1000 जीवित शिशुओं पर 62 थी, जबकि राज्य स्तर पर यह 60 है।

उदयपुर जिले में ज़ल्द विवाह की स्थिति

विवाहित युवतियां जिनकी शादी 18 साल से पहले हो गई थी वे कुछ 42.7 प्रतिशत थीं ग्रामीण विवाहित युवतियों की। उदयपुर में और 27.2 प्रतिशत थी शहरी उदयपुर में। ग्रामीण उदयपुर में विवाहित युवकों में कानूनी उम्र 21 से पहले शादी का प्रतिशत भी काफी ज्यादा 41.2 प्रतिशत था (MHA, 2013:11)। राजस्थान में ज़ल्द विवाह की संख्या में कटौती हुई है। इनका सबूत हमें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2015–16 से मिलता है। 18 साल पूरे करने से पहले ही शादी की घटनाएँ पिछले दस साल में आधी हो गई हैं। एनएफएचए–3 के समय 65 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 साल पूरे करने से पहले ही हो गई थी जो कि एनएफएचए–4 में घटकर 35.4 प्रतिशत रह गई। 21 साल जो कि लड़कों के लिए शादी की कानूनी उम्र है वह भी में 35.7 प्रतिशत हो गई जो कि में 57 प्रतिशत थी।

ज़ल्द और बाल विवाह में आई यह कमी पर्याप्त नहीं है। एक और अधिक चिंताजनक बात यह है कि 2015–16 में जब यह सर्वे हो रहा था, उस समय भी 15–19 साल की लगभग 6 प्रतिशत लड़कियाँ या तो गर्भवती थीं या माँ बन चुकी थीं और यह अनुपात 2005–06 में लगभग 16 प्रतिशत था। राजस्थान के कई और महिला सशक्तीकरण एवं जेंडर आधारित हिंसा के संदर्भ में चिंता में डालने वाले आँकड़ें दर्शाता है। कुल जनसंख्या

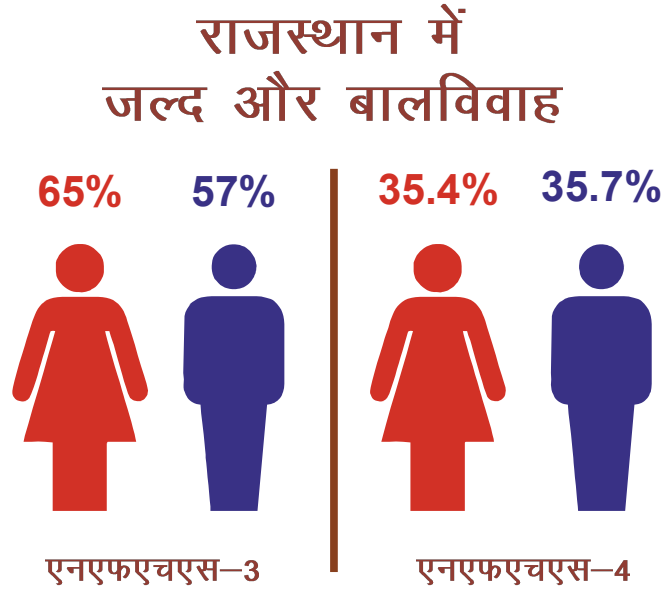

की सिर्फ 19 प्रतिशत महिलाएँ ही आर्थिक गतिविधियों में भाग ले रही थीं, और 25 प्रतिशत से भी कम के पास अपना घर या जमीन थी, जबकि 25 प्रतिशत से भी ज़्यादा महिलाओं ने अपने पति द्वारा हिंसा की बात कही। शिक्षा की कमी, आमदनी वाली आर्थिक गतिविधियाँ में लगभग न के बराबर भागीदारी और कम उम्र में शादी, यह सब महिलाओं के प्रति जेंडर आधारित गैर–बराबरी के सूचक है जो कि एक शोषित और अभावपूर्ण जीवन की नींव रखते हैं।

अध्ययन क्षेत्र की रूपरेखा

अध्ययन क्षेत्र के गाँवों की प्रोफाईल जैसा कि–तालिका में दिखाया गया है, सभी सर्वे में शामिल गाँवों में औरतों और आदमियों की शिक्षा में औरतों और आदमियों की शिक्षा में भारी अंतर था। यह चिंताजनक था कि 10 में से 6 गाँवों (भुमलावास, खरताणा, मानखण्ड, गिरधारीपुरा, वासनी खुर्द और मोरठ) में शिशु लिंग अनुपात काफी खराब था, जो कि जेंडर आधारित गैर–बराबरी और लड़कियों के प्रति उपेक्षा को दर्शाता है। नीचे तालिका में सर्वे किए गए 10 गाँवों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है जो कि ज़ल्द और बाल विवाहित युवतियों की स्थिति भी दर्शाता है।

ओगणा खेड़ा– फतहनगर नगर पालिका का एक वार्ड ओगणा खेड़ा, फतहनगर शहरी क्षेत्र में स्थित है जो कि नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नं. 10 में आता है। 2011 जनगणना आँकड़ों के अनुसार ओगणा खेड़ा की जनसंख्या 1,199 थी और वे अधिकतर भील आदिवासी थे। कुछ और जाति–समुदाय जैसे–राजपूत, रावत और कुम्हार भी थोड़ी संख्या में यहाँ रहते हैं। इस बस्ती में उच्च प्राथमिक विद्यालय है जो कि कक्षा आठ तक है लेकिन कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। बस्ती में ही स्थित आँगनबाड़ी काफी खस्ता हालत में एक छोटे–से कमरे में चल रही थी। राजपूतों की बस्ती, भीलों की बस्ती से थोड़ी दूर पर बसी हुई है जहाँ के लिए पक्की सड़क भी मौजूद थी, जबकि भील बस्ती को जोड़ने वाला रास्ता कच्चा था। यहाँ पर तीन मंदिर भी थे, जिनमें एक भगवान् शिव का था और दो मंदिर उनके समुदाय के विशेष देवी (माताजी) और देवता (बावजी) के थे। यह मंदिर स्थानीय त्यौहार मनाने के लिए मुख्य स्थल है।

महिलाएँ अक्सर अपनी बीमारियाँ और परेशानियाँ, बावजी या माताजी पर थोप देती हैं। बस्ती में पानी की व्यवस्था भरपूर है, जिसमें दो पानी की टंकी, हैंडपंप, कुएँ और नल शामिल हैं। किराने की दुकान जहाँ से इस बस्ती के रहने वाले अपनी रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं, जो एक राजपूत की है।

मोरठ– यह एक बड़ी ग्राम पंचायत है जो कि फतहनगर से 7 किमी. दूर है। दूसरे गाँवों से भिन्न, मोरठ में पास के शहर आने–जाने की सुविधा अच्छी नहीं है और न ही पक्की रोड है। आजीविका के अधिकतर साधन कृषि एवं पशुपालन

2011 की जनगणना के अनुसार अध्ययन किए गए गाँवों की प्रोफाइन

गाँव का नाम	कुल	लिंग आधारित जनसंख्या		अनुसूचित जाति जनसंख्या		अनुसूचित जनजाति जनसंख्या		लिंग आधारित जनसंख्या (0–6)		साक्षरता दर (%)	
		F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
मोरठ	1167	595	572	59	57	165	148	71	79	31.6	62.9
चंगेडी	3188	1602	1586	401	421	141	136	259	202	48.5	77.7
वासनीकलां	1467	742	725	124	110	151	153	123	113	41.7	74
वासनी खुर्द	1738	839	899	69	78	11	18	131	152	40.8	77.5
शिवपुरा	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
भुमलावास	943	496	447	0	0	314	335	68	78	37.7	66.7
ओगणा खेड़ा	1199	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
गिरधारीपुरा	735	360	375	20	22	1	1	52	60	36	66.6
मानखंड	1207	585	622	28	28	201	237	80	107	37.6	65.8
खरताणा	2769	1374	1395	265	246	142	138	183	194	39.8	69.6

स्रोत–जनगणना 2011, भारत सरकार
फतहनगर नगरपालिका का एक वार्ड

आधारित है।

यहाँ सर्दी, गर्मी तथा मानसून के मौसमों में गेहूँ, मक्की, बाजरा, राई और कई तरह की दालें एवं मूँगफली की खेती होती हैं। गाँव का कुछ हिस्सा दूसरे हिस्सों से ज़्यादा संपन्न दिखाई देता है जहाँ लोगों के पक्के घर है, पक्के रास्ते है और निजी वाहन (कार एवं स्कूटर) इत्यादि भी है। जबकि गाँव का भीतरी हिस्सा और गाँव के बाहरी तरफ बसा भाग संपन्न नजर नहीं आता। लेकिन अधिक संख्या में रहने वाली आबादी या तो भील (अनुसूचित जनजाति) है या मेघवाल (अनुसूचित जाति) है। ज़ल्द एवं बाल विवाह के अधिकतर मामले इन संसाधनविहीन परिवारों में ही पाये गए जहाँ बहुत ही कम लड़कियों को शिक्षा भी मिली थीं।

गिरधारीपुरा– यह मोरठ प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक छोटा–सा गाँव है जो कि फतहनगर से 3 किमी. दूर है एवं उदयपुर जिला हेडक्वार्टर से भी रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। फतहनगर से पास होने के कारण लोगों के पास कृषि के अलावा भी कई आजीविका चलाने के अवसर उपलब्ध है। गिरधारीपुरा को ''जमाइयों के गाँव'' के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पुराने समय से बेहतर आमदनी और आजीविका के लिए आदमी अपनी पत्नी के घर आकर रहने लगे थे। यहाँ के अधिकतर आदमी, औरत

और बच्चे भी पास की मार्बल फैक्ट्रियों में काम करते हैं या अनाज मिलों में काम करते हैं।

गाँव में एक उच्च प्राईमरी विद्यालय, एक आँगनबाड़ी और एक सामुदायिक भवन है एवं लगभग सभी परिवारों के पास अपनी कृषि भूमि भी है चाहे वे किसी भी जाति या वर्ग के हों। सबसे अधिक संख्या में वहाँ बंजारा जाति (मध्यम स्तर जाति जो तेजी से उच्च वर्ग एवं उच्च जाति की तरफ अग्रसर है), की आबादी है। कुछ घर गायरी, सालवी, राजपूत, गमेती एवं जाट जाति के भी है। अधिकतर घर मुख्य सड़क के आसपास ही बसे हैं इसलिए जाति विभाजन दूर से झलकता नहीं है। लेकिन गाँव के भोज में या स्कूल में जब मीड–डे मील परोसा जा रहा था तो अध्ययनकर्त्ता ने पाया कि बच्चे जाति के अनुसार लाईन बनाकर खाने के लिए बैठे। पूरे गाँव में तीन मंदिर, सात दुकानें, दो पानी की टंकियाँ और बारह हैंडपंप है एवं एक बावजी की मजार है।

वासनीकलां– यह एक बड़ी पंचायत है जो कि चार अन्य गाँवों को मिलाकर बनी है। राष्ट्रीय हाइवे से लेकर गाँव तक की पक्की सड़क है तथा फतहनगर से लगभग 5 किमी. की दूरी पर स्थित है। समुदाय में लगभग 11 अलग–अलग जातियाँ शामिल है–भील, मेघवाल, राजपूत, कुमावत, गायरी, चारण, पालीवाल, गुर्जर, वैष्णव, लौहार और हरिजन। राजपूत सबसे ताकतवर हैं जबकि संख्या में भील सबसे अधिक हैं। सभी जातियों की महिलाएँ घूँघट प्रथा मानती हैं, लेकिन राजपूत औरतें अन्य जाति की औरतों से ज़्यादा पर्दा करती हैं। पूरा गाँव जाति आधारित समुदाय के अनुसार बसा हुआ है और विभिन्न जातियों के बीच कोई सामाजिक मेल–जोल नहीं है। अंतर्जातीय विवाह पर सख्त पाबंदी है। ऊँची जाति के व्यक्ति अन्य जातियों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर खाते हुए नहीं देखे जा सकते। राजपूतों के किलों जैसे घर गाँव के बीच में स्थित हैं जिसके आसपास मध्य जाति के घर हैं और गाँव के अंत में दलित और आदिवासी समुदाय बसे हुए हैं। गाँव में बिजली है लेकिन गलियाँ काफी खराब हालत में है क्योंकि पानी निकास की कोई व्यवस्था नहीं है और कूड़ा भी सब जगह फैला हुआ पड़ा था। कई सरकारी संस्थान जैसे हाईस्कूल, पोस्ट ऑफिस, राशन की दुकान और पंचायत ऑफिस गाँव में ही स्थित हैं। दो सरकारी विद्यालय जो गाँव में हैं उनमें एक उच्च प्राईमरी स्कूल है जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए है और हाईस्कूल भी है जो लड़के–लड़कियों दोनों के लिए है। सबसे करीबी स्वास्थ्य केन्द्र फतहनगर में है। यहाँ 5

हिन्दू मंदिर है और 1 बावजी की मजार, जो कि अध्ययन क्षेत्र के अन्य गाँवों में भी थी।

वासनीखुर्द– 2011 के जनगणना आँकड़ों के अनुसार इस गाँव में कुल 383 घर हैं। गाँव में अधिकतर घर मुस्लिम समुदाय के हैं, लेकिन अन्य जातियों के भी कुछ घर मौजूद हैं, जिनमें जाट, गुर्जर, गमेती (भील) और मेघवाल शामिल है। पूरा गाँव लगभग तीन मोहल्लों में बँटा हुआ है, दो प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है। इसके अलावा एक मदरसा भी है जहाँ मुस्लिम बच्चे पढ़ने जाते हैं।

सारी सड़के पक्की हैं और पानी और सफाई की भी समुचित व्यवस्था है एवं घर भी पक्के बने हुए जो कि काफी अच्छी हालत में दिखते हैं। ज़्यादातर गाँव वाले सनवाड़ या फतहनगर आते हैं अपनी स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों के लिए। ज़्यादातर लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि और पशुपालन है, जबकि कुछ लोग घोड़े भी पालते हैं जिन्हें शादी के समय किराये पर दिया जाता है।

मानखण्ड– एक मध्यम आकार का गाँव है जिसकी कुल जनसंख्या 1206 व्यक्ति है। इस गाँव में राजपूतों और भीलों (जो कि गाँव में लगभग अदृश्य ही है) के बीच गहरी गैर–बराबरी है। राजपूतों के घर तुलनात्मक रूप से बड़े और अच्छे बने हुए हैं जबकि भीलों के छोटे, कम जगह में और काफी खस्ता हालत में दिखे। राजपूत गाँव में काफी ताकतवर हैं और ''निम्न जातियाँ'' उन्हें सरदार के नाम से संबोधित करती है। पानी और बिजली की व्यवस्था पर्याप्त थी और आँगनबाड़ी भी चालू अवस्था में थी।

"ज़्यादातर लड़कियों की कानूनी उम्र यानि 18 साल से कहीं पहले विवाहित की जा चुकी थी और शादी का स्कूल छूटने से गहरा ताल्लुक था।"

भुमलावास– यह अन्य गांवों से काफी छोटा था जिसमें कुल 181 परिवार रहते थे और औसत स्त्री पुरुष अनुपात 90 एक था। 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार जो कि राजस्थान के राज्य स्तर औसत 928 से भी कम था। साथ ही शिशु लिंगानुपास भी 872 था जो कि राजस्थान के औसत 888 से कम है। पुरुष साक्षरता दर 67 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 38 प्रतिशत थी। गांव में रहने वाले अधिकतर (लगभग 69 प्रतिशत) आदिवासी थे। जबकि अनुसूचित जाति की जनसंख्या बिल्कुल नहीं थी। लगभग 60 प्रतिशत लोगों ने किसी स्थाई नौकरी अथवा काम (साल में 6 महीने से ज़्यादा रोजगार) होने की बात कहीं जबकि 40 प्रतिशत ने अस्थाई आजीविका के माध्यमो को अपना मुख्य काम बताया।

शिवपुरा– मावली मुख्यालय से 8 किलोमीटर दुर स्थित, एक छोटा सा गांवा है शिवपुरा। वहां की सेवाओं में एक से

तीन कक्षा तक का एक प्राथमिक विद्यालय, एक आंगनवाड़ी केन्द्र और एक छोटी किराणा की दुकान मौजूद है। गांव में जाने वाली कोई सड़क नहीं है और ना ही रात में रास्तों के साथ कोई स्ट्रिट लाइट है। यहां के निवासी पीने के पानी के लिए हेण्डपम्पों पर निर्भर हैं। गांव में कई लोग खराब स्वास्थ्य और कुपोषण से पीड़ीत हैं। यहां पर शिक्षा की दर बहुत कम है। आबादी में ज्यादातर लोग भील समुदाय से हैं, जिनके घर पुरे गांव में विखरे हुए हैं। और राजपूत जाति के लोग रहते हैं। बहुत कम कृषि कार्य मौजूद है, इसलिए भील समुदाय के लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। और कुछ लोग रोजगार की तलाश में अन्य जगह जाते हैं।

चंगेड़ी– मावली तहसील के तहत बसा चंगेडी एक बड़ा गांव है जहां कुल 727 परिवार रहते हैं। 6 साल के बच्चों की सख्या 461 थी जोकि कुल जनसंख्या का 15 प्रतिशत थी। जनगणना 2011 आंकड़ो के अनुसार यहां का स्त्री–पुरुष अनुपात 1, 010 था जो कि राजस्थान के 928 से कहीं ज्यादा है। परंतु साक्षरता दर राज्य के साक्षरता दर से कम थी। शिशु लिंग अनुपात भी 1282 था जो कि राजस्थान के 988 से बहुत ज़्यादा है। गांव में लगभग 26 प्रतिशत अनुसूचित जाति व 8.7 प्रतिशत अनुसूचित जल जाति की आबादी रहती है। लगभग 77 प्रतिशत लोगों ने अपने आपको लिए स्थाई रोजगार की श्रेणी में रखा 1704 व्यक्ति जिन्होंने स्वयं को स्थाई रोजगार की श्रेणी में माना उनमें से 714 कृषि के कामों से जुड़े थे।

खरताना– मावली तहसील में स्थित इस गांव में लगभग 574 परिवार रहते हैं। औसत स्त्री–पुरुष अनुपात 2011 जनगणना में 985 पाया गया जो कि राजस्थान के औसत 928 से ज्यादा है। शिशु लिंग अनुपात भी 943 था जो कि राज्य के 888 अनुपात से ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 55 प्रतिशत थी जो कि राज्य की 66 प्रतिशत से कम है। महिला साक्षरता दर 40 प्रतिशत और पुरुष साक्षरता दर 70 प्रतिशत थी।

अनुसूचित जाति कुल गांव की 18 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति पूरे गांव की 10 प्रतिशत थी। लगभग 57 प्रतिशत लोगों ने अपने काम को स्थाई माना जबकि 44 प्रतिशत दिहाड़ी या अस्थई कामों में थे। आंकड़ों से साबित होता है कि बड़ी संख्या में लोगों के पास कोई स्थाई काम नहीं था। रोजगार का अभाव और साक्षरता की कमी, जल्द विवाह को बढ़ावा देने का वातावरण बनाते हैं।

विवाहित युवतियों के घरों की प्रोफाईल

अध्ययन क्षेत्र में ज़ल्द और बाल विवाह की प्रथा सभी धर्म एवं जाति के समुदायों में प्रचलित है। अध्ययन में शामिल कुल विवाहित युवतियों में से 76 प्रतिशत हिन्दू थी, 22 प्रतिशत मुस्लिम और बची हुई 2 प्रतिशत का धर्म स्पष्ट नहीं था या उन्होंने इंगित नहीं किया था। 50 प्रतिशत से ज़्यादा घर जहाँ ज़ल्द एवं बाल विवाहित युवतियाँ रह रही थीं, वह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की थीं और 33 प्रतिशत अन्य पिछड़ी जातियों कीं। राशनकार्ड के आधार पर यदि आँके, तो आधे से ज़्यादा घर अत्यधिक पिछड़े और कुपोषित थे।

रेखाचित्र 1 : विवाहित युवतियों के घरों की सामाजिक श्रेणियां (स–218)

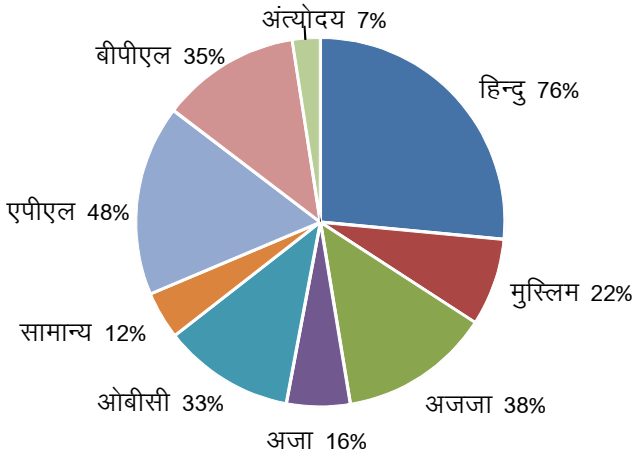

नोटः बीपीएल– गरीबी रेखा से नीचे
एपीएल– गरीबी रेखा से उपर
ओबीसी– अन्य पिछड़ा वर्ग
अजा– अनुसुचित जाति
अजजा– अनुसुचित जनजाति

औसत परिवार का आकार 5.5 व्यक्ति था जो कि राजस्थान के औसत परिवार आकार 4.5 व्यक्ति से बड़ा है, खासतौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों में।

मूलभूत सुविधाओं के संदर्भ में देखें तो अधिकतर घरों में कुछ न कुछ कृषि भूमि थी, बिजली का कनेक्शन, दो पहिया वाहन, टेलीविजन और मोबाईल तो हर घर में है। ज़्यादातर घरों में सुचारू सफाई की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थीं। औसत कृषि ज़मीन थी सामान्य एवं अन्य पिछड़ी जातियों वाले परिवारों 5. 5 बीघा ज़मीन (मापने का तरीका जो राजस्थान में प्रचलित है, एक बीघा एक एकड़ का तीसरा हिस्सा होता है।) जबकि अनुसूचित जाति के परिवारों के पास औसतन 2.8 बीघा और अनुसूचित जाति परिवारों के पास औसत 3.1 बीघा जमीन

थी। ये शादीशुदा युवतियाँ लगभग सभी घरों में टेलीविजन देखने की बहुत शौकीन थीं। अध्ययन सर्वे के दौरान भी अपनी बात को कहने या समझाने के लिए उन्होंने कई बार प्रचलित टीवी सीरियल के किरदारों का ज़िक्र किया।

रेखाचित्र 2 : विवाहित युवतियों के घरों में सुविधाएं (स–218)

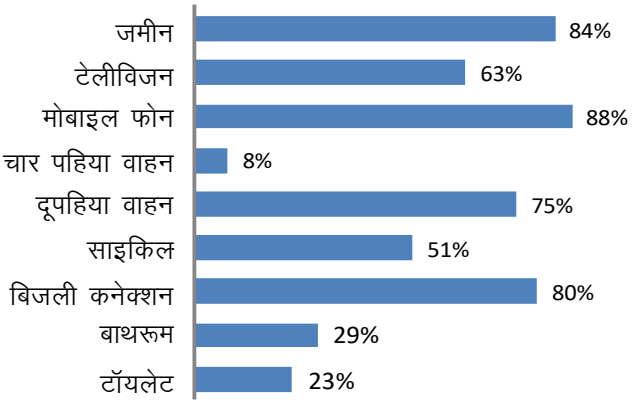

अध्ययन में मकान की स्थिति को भी परिवार का आर्थिक स्तर मापने के लिए किया गया। साथ ही युवा शादीशुदा लड़कियों को स्वयं के लिए कितनी जगह उपलब्ध थी, खासतौर से इन हालातों में जबकि सभी घरों में विभिन्न पीढ़ियों के लोग साथ में रह रहे थे। साक्षात्कार के दौरान भी, बिरले ही इन युवतियों को अकेले में हमसे बात करने का मौका मिला, क्योंकि हर समय वहाँ कोई न कोई मौजूद था या उन पर निगरानी रख रहा था। ज़्यादातर परिवार एक या दो कमरे वाले घरों में रह रहे थे। और इनमें से अधिकतर (72 प्रतिशत) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के परिवारों से थीं।

रेखाचित्र 3 : घर की ईमारत की स्थिति (स–218)

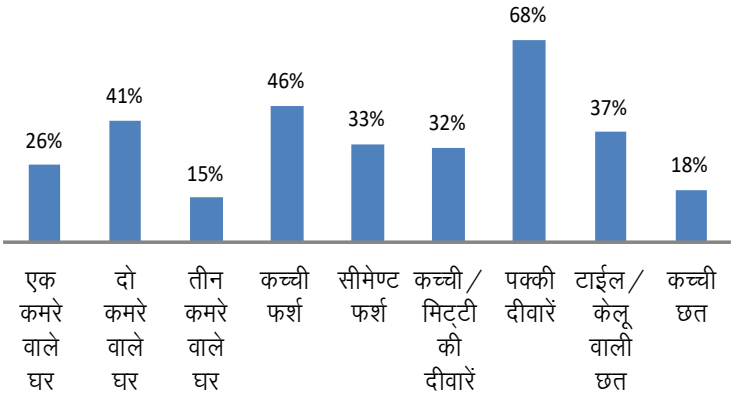

बहरहाल 75 प्रतिशत घरों ने यह बताया कि विवाहित युवतियों के पास निजी कमरा उपलब्ध था जबकि 19 प्रतिशत के पास अपनी कोई निजी जगह नहीं थीं। गाँवों में राजपूत समुदाय के घरों और अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में खासतौर पर भील समुदाय के घरों में भारी अंतर था।

भाग 2

विवाहित युवतियों और बड़ी उम्र की महिलाओं के अनुभवों पर आधारित अध्ययन परिणाम

उत्तर भारत में हुए पहले के अध्ययनों में यह बात स्पष्ट निकलकर आई कि महिलाओं के पास और खासतौर पर युवा महिलाओं में एजेंसी का खासा अभाव है। उन्हें पारिवारिक संसाधनों पर एक बोझ समझा जाता है चाहे माता–पिता उनसे कितना ही प्यार क्यों न करते हों। युवा लड़कियों की यौनिकता पर नियंत्रण इसका खास हथियार है और यह परिवार द्वारा निर्धारित शादियों एवं पर्दा इत्यादि के जरिए किया जाता है। महिलाओं और उनकी यौनिकता पर नियंत्रण करने के लिए यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि वे अपने माता–पिता के घर से दूर ससुराल वालों के साथ रहें, बाहरी–कामों और आमदनी के जरियों से दूर रहे और संपत्ति पर उनका कोई हक न हो।

इस अध्ययन से भी उत्तर भारत का यह रवैया उजागर हुआ जहाँ पर कि लड़कियों को अपने निर्णयों पर कोई नियंत्रण नहीं था। स्कूल जाने की उम्र में उन पर अचानक शादी थोप दी गई और वह भी किसी बिलकुल अजनबी व्यक्ति के साथ और उन पर विवाहित जीवन की जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया।

अध्ययन के अधिकतर साक्षात्कार लड़कियों की ससुराल में हुए और उन्हें हमेशा निगरानी में रखा गया। लड़की की सास साक्षात्कार करते समय अधिकतर आसपास ही रही जबकि साक्षात्कार करने वाली भी युवा लड़कियाँ ही थीं। इसकी वजह से बातचीत पर उनका असर भी पड़ता था और युवा विवाहिता अपनी बात भी खुलकर नहीं रख पाती थी। अक्सर ये बड़ी उम्र की औरतें साक्षात्कार के बीच में दखल भी देती थीं और कई बार उन्होंने साक्षात्कार करने वाली लड़कियों को धिक्कारा भी कि ''इस तरह के सवाल करते तुम्हें शर्म नहीं आती। क्या तुम अपनी माँ या दादीमाँ से ऐसे सवाल पूछोगी?'' विवाहित नवयुवतियाँ इन सामाजिक नियंत्रणों शर्म और व्यवहारिकताओं को समझती थीं और इसलिए अक्सर यौन संबंधों, शारीरिक हिंसा और गर्भनिरोध संबंधी सवालों के जवाब या तो देना नहीं चाहती थी या बहुत ज़्यादा झिझक रही थीं।

अधिकतर विवाहित युवतियों ने यह बताया कि शादी की वजह से उनकी पढ़ाई छूट गई क्योंकि उन्हें अपना घर छोड़कर ससुराल आना पड़ा और यौन संबंध एवं प्रजनन करना पड़ा। ज़्यादातर लड़कियों की शादी उनके अभिभावकों ने ही तय की और करवाई लेकिन उनमें से शायद ही कोई अपने अभिभावकों को अपने दुःख और परेशानियों के लिए दोषी मानती हैं। युवा लड़कियाँ यदि स्वतंत्रता माँगेंगी तो भी अभिभावक उनका सहयोग नहीं करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बहुत से मामलों में जहाँ लड़कियों ने स्वतंत्रता से फैसले लिए हैं वहाँ रिश्तेदार और समुदाय लड़कियों के प्रति हिंसा को भी जायज ठहराते हैं। अधिकतर युवतियाँ इज्जत और सामाजिक मान–सम्मान के विचारों से लबरेज थी और उनके जवाब भी काफी नपे–तुले थे। कई मामलों में आसपास खड़े व्यक्तियों ने इन युवतियों की निजी ज़िंदगी की नई परतें खोलीं। घर और समुदाय का इन युवतियों पर गहरा और चौतरफा नियंत्रण ज़ल्द और बाल विवाह के जरिए उनकी बातों और कहानियों से स्पष्ट निकलकर आया।

रेणुका की कहानी

रेणुका, साक्षात्कार के समय 17 साल की थी। उसकी शादी, उसकी चार और बहनों के साथ एक सामूहिक शादी समारोह में हुई थी। जब वह मात्र 14 साल की थी। साक्षात्कार के दौरान, जब उसके पति कमरे में आये तो उसने ज़ल्दी से घूँघट से अपना मुँह ढ़क लिया। रेणुका 10वीं की परीक्षा में दो विषयों में फेल हो गई थी और यह उसकी शादी और भी ज़ल्दी करने का कारण बन गई।

ओगणाखेड़ा, अपनी ससुराल आने के बाद से रेणुका की ज़िंदगी बिलकुल बदल गई थी। उसे साड़ी पहननी पड़ रही थी जबकि वह खुद पहन भी नहीं पाती थी। उसने बताया कि अब वह साईकिल नहीं चला सकती क्योंकि यहाँ उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं है। जब उससे पूछा कि क्या उसके पति उससे अच्छी तरह पेश आते है तो उसने बताया कि वह कभी–कभी बहुत नाराज होते है। उसकी सास जो कि काफी सख्ती से काम लेती थी, चाहती थी कि रेणुका हमेशा कुछ न कुछ काम करती रहे। रेणुका ने बताया कि उसे बच्चों का कोई शौक नहीं है लेकिन वह जानती थी कि इस फैसले पर उसको कोई नियंत्रण नहीं है।

रेणुका के अनुसार उसके पिता चाहते थे कि "वह कुछ बने" और फिर भी उन्होंने ही उसकी कम उम्र में शादी तय कर दी। उसके पिता अपनी चार लड़कियों की शादी सिर्फ सामूहिक विवाह से ही करने की स्थिति में थे। रेणुका उनके खिलाफ नहीं जा सकती थी और उसकी कोई सुनता भी नहीं।

ज़ल्द हाशियाकरण–शादी की उम्र, यौनिक संबंध और यौनिकता पर नियंत्रण

ज़्यादातर युवा विवाहितों की शादी 16 साल की उम्र से पहले हो गई थी। उनमें से कुछ की शादी तो 10 साल से भी पहले हो गई थी (रेखाचित्र 4)। यहाँ शादी का मतलब सिर्फ शादी तय हो जाने से नहीं होता बल्कि शादी तब मानी जाती है जब लड़की अपनी ससुराल आ जाए और यौन संबंध स्थापित कर लें। काफी चिंता का विषय है कि आधी (50 प्रतिशत) से भी ज़्यादा लड़कियों ने बताया कि उनका मासिक शादी के बाद ही शुरू हुआ और यह सभी जाति की लड़कियों पर लागू होता था। लेकिन इनमें से भी सबसे बड़ी संख्या में जिन लड़कियों ने बताया कि उनकी महावारी शादी के बाद हुई वे भील समुदाय की थीं। (रेखाचित्र 5 एवं 6)। औसत महावारी की उम्र (जो अध्ययन में अधिकतर ने बताई) 14 साल थी, अर्थात् आधे से ज़्यादा लड़कियों की शादी 14 साल से भी पहले हो गई थी।

रेखाचित्र 4 : युवतियों की शादी के समय उम्र (स–218)

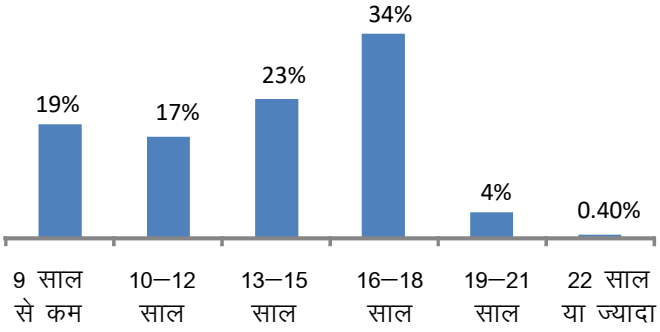

रेखाचित्र 5 : सामाजिक जातियों के अनुसार विवाहित युवतियां (स–218)

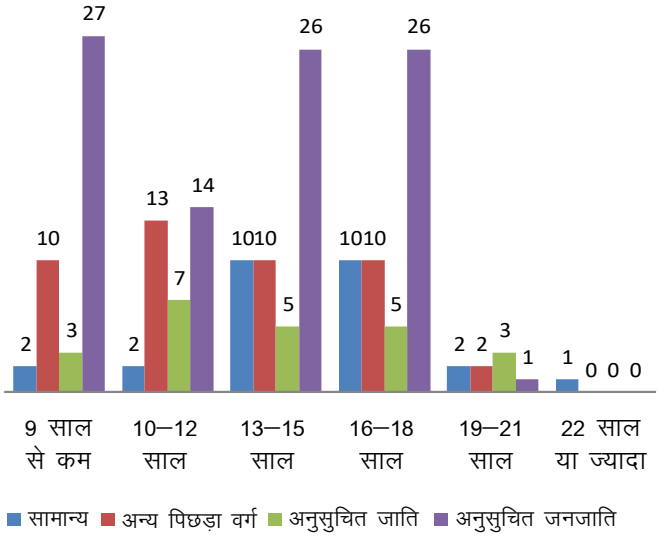

रेखाचित्र 6 : जाति के अनुसार माहवारी शुरूआत की उम्र (स–218)

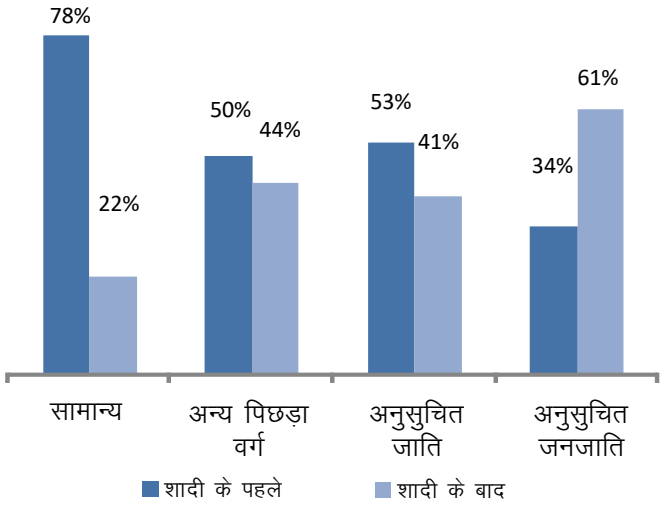

अध्ययन क्षेत्र में हुई शादियाँ काफी पहले ही तय हो गई थीं। किशोरी लड़कियाँ, शादी के बाद भी अपने घर में रहती है, जहाँ उन पर नियंत्रण ससुराल से थोड़ा कम होता है, और जब लगता है कि अब वे यौन संबंधों की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार तब गौना करके उन्हें उनकी शादी वाले घर भेज दिया जाता है। यह रिवाज लड़कियों को थोड़ा समय जरूर दे देता है हालाँकि उनका भविष्य पहले ही तय हो चुका होता है।

अध्ययन में सर्वे की गई लगभग आधी लड़कियों ने शादी के तुरन्त बाद यौन संबंध स्थापित नहीं किए थे, जबकि लगभग 40 प्रतिशत शादी के तुरन्त बाद ही ससुराल आ गई थीं। देखने पर लगता है कि शादी की उम्र बढ़ गई है लेकिन दरअसल अब लड़कियों की शादी और गौने के बीच का समय अत्यधिक कम हो गया है या फिर लगभग खत्म ही हो गया है। 40 प्रतिशत लड़कियों कि सगाई और शादी के बीच काफी कम समय था, जबकि 36 प्रतिशत लड़कियों की शादी एक से लेकर तीन साल पहले तय हो गई थी। (रेखाचित्र–7) यह बात और है कि सगाई और शादी के बीच का लंबा अंतराल यौन संबंधों की अनिवार्यता या हिंसा से बचाव हो यह ज़रूरी नहीं है।

आधी उत्तरदाता युवा लड़कियों का विवाह 14 वर्ष की आयु तक कर दिया था

रेखाचित्र 7 : सगाई की अवधि (स–218)

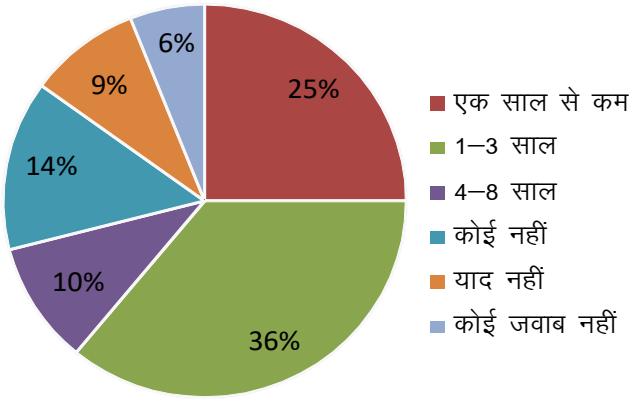

शादी की उम्र आमतौर पर बढ़ जाने के बावजूद ज़ल्द विवाह और बाल विवाह इस क्षेत्र में लगातार हो रहे है, इसका एक बड़ा कारण है सामूहिक शादियाँ। इन सामूहिक शादियों में एक साथ कई लड़कियों की, जिनकी उम्र 18–19 से लेकर 8–10 साल तक कुछ भी हो सकती है शादी कर दी जाती हैं। लगभग 63 प्रतिशत युवतियों ने बताया कि उनकी शादी उनकी बहनों के साथ सामूहिक शादी के रूप में हुई थीं। सामूहिक शादी करने वालों में सबसे ज़्यादा संख्या (73 प्रतिशत) अन्य पिछड़ी जाति के समुदाय में पाई गई। कई लड़कियों ने शादी में बढ़ते खर्चों और परिवार में कई लड़कियों का होना सामूहिक शादी का कारण बताया।

अतः लड़की ने जन्म किस नंबर पर लिया है इससे उसकी ज़ल्दी शादी का खतरा बढ़ जाता है। छोटी बहनों की शादी बड़ी बहनों के साथ कर दी जाती हैं और इसके पीछे आर्थिक कारणों को मुख्य माना जाता है।

साक्षात्कारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कम उम्र की आज्ञाकारी लड़कियों को ससुराल के नियमों और कायदों के अनुरूप ढालना आसान है। लड़की के परिवार वालों को भी लड़की को सुरक्षित और उसकी यौनिकता पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाती है। लड़कियों की यौनिकता पर ही समाज और परिवार का मान–सम्मान टिका होता है। यह मर्दानगी को स्थापित करने और औरतों के शरीर पर नियंत्रण रखने का भी महत्वपूर्ण ज़रिया हैं, जो कि यौनिकता और प्रजनन की क्षमताओं और संभावनाओं पर नियंत्रण से होता है। युवा लड़कियाँ इन नियंत्रणों के चलते न कोई जानकारी हासिल कर पाती है और न ही अपने फैसलों में उनकी कोई सक्रिय भूमिका होती हैं।

अध्ययन में हमने पाया कि कम से कम 50 प्रतिशत युवतियाँ 16 साल की होते–होते अपनी ससुराल चली गई थीं और बहुत सी लड़कियाँ उम्र संबंधी सवालों के जवाब देने में हिचकिचा रही थीं, क्योंकि उन्हें शादी की कानूनी उम्र पता थी। इसमें चिन्ता का विषय यह भी है कि सबसे कम उम्र में शादी करने वाली लड़कियाँ अधिकतर अनुसूचित जनजाति से थी।

लड़की के घरवालों द्वारा लड़की को उसकी ससुराल भेजने की ज़ल्दबाजी दर्शाती है कि लड़कियाँ अभी भी बोझ समझी जाती हैं। शादी इसलिए बहुत–ही कारगर उपाय है न सिर्फ लड़कियों की यौनिकता और इच्छा पर नियंत्रण रखने का बल्कि ये भी सुनिश्चित करने का कि वे अपनी ही–जाति में शादी करें और अपनी पसंद या प्यार के कारण घर से भागने या विद्रोह करने की हिम्मत भी न कर सकें और यह रणनीति लड़के–लड़कियों दोनों पर ही लगाई जाती है।

जाति, जेंडर और विवाहित युवतियों की शिक्षा

अनगिनत अध्ययनों ने यह साबित किया है कि ज़ल्द विवाह की औपचारिक शिक्षा को खत्म करने में विशेष भूमिका हैं। महावारी की शुरुआत और शादी तय होते ही लड़कियों का

दीपिका की कहानी

17 साल की दीपिका साक्षात्कार के समय गर्भवती थी हालाँकि अभी वह अपने पति के साथ नहीं रह रही है और न ही ससुराल में। स्कूल छोड़ने के कुछ दिन के अंदर ही उसकी शादी 16 साल की उम्र में हो गई थी। इन्हें त्यौहारों के दौरान एक–दूसरे के घर आने–जाने की आजादी थी इसलिए दीपिका 17 साल की उम्र में गर्भवती हो गई। दीपिका को अपनी आजादी खोने का काफी डर था, पर स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाई कि इसका मतलब क्या होगा?वो इस बात से भी बहुत दुःखी थी कि उसकी पढ़ाई बीच में छूट गई और उसे शादी करनी पड़ी, लेकिन फिर भी वह काफी सावधान थी कि इन सबके बावजूद वह अपने अभिभावकों को कोई दोष न दें। शादी इन किशोरी लड़कियों की ज़िंदगी का अटल सत्य है। दीपिका की सास ने उसे अपने बेटे के लिए चुना था जब वह सिर्फ 3 साल की थी।

स्कूल छुड़वा दिया जाता है। इसके साथ ही उनका नया सफर शुरू होता है, घर के कामों और सबकी देखभाल करने वाली बेगार की तरफ। ज़ल्द विवाह के प्रचलन का एक प्रभाव यह भी है कि लड़कियाँ भी बहुत ही कड़े समाजीकरण से गुजरती है जहाँ जेंडर आधारित भूमिकाएँ बहुत सख्ती से बँटी हुई हैं। यहाँ लड़कियाँ बचपन से सिर्फ शादी के सपने देखती है और उन पर कड़ी पाबंदी होती है घर से बाहर के काम करने या उन भूमिकाओं में आने में, जो घर के काम से जुड़े नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वे अपने खेतों में काम कर सकती हैं। उन समाजों में जहाँ लड़की के लिए कुछ न कुछ शिक्षा ज़रूरी है वहाँ समाज और परिवार वाले तय करते है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी शिक्षा लड़कियों को देनी चाहिए। अक्सर शिक्षा का स्तर जुड़ा होता है उसके शादी की योग्यता से। ज़्यादा शिक्षा को यहाँ अधिकतर, लड़कियों को ज़रूरत से ज़्यादा आजादी देने के रूप में देखा जाता है। जिसमें यह खतरा है कि वे अपनी जाति के बाहर किसी को पसंद या शादी न कर लें। कितनी शिक्षा किसके लिए ठीक है और समाज एवं परिवार की इस पर राय सर्वे के दौरान कई युवतियों ने बताईं। उन्होंने यह भी बताया कि यह विचार कई बार लड़कों पर भी लागू होते हैं।

25 साल से कम उम्र की कुछ युवतियों ने बताया कि अगर उन्हें फैसला करने का हक होगा तो वो कभी भी कॉलेज जाने वाले लड़के से शादी नहीं करेंगी क्योंकि उसका मन घर में और घर के कामों में नहीं लगेगा, हमेशा बाहर ही घूमता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि लड़कों के आठवीं तक और लड़कियों को पाँचवीं तक पढ़ना उचित है। इसके बाद उन्हें अपनी घर की जिम्मेदारियाँ सीखनी चाहिए और शादी तय कर लेनी चाहिए। यह एक युवा शादीशुदा लड़की ने बताया।

अध्ययन के दौरान एक युवती ने यह भी कहा कि लड़कियाँ इसलिए भी स्कूल छोड़ती हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त क्षमता नहीं है स्कूल पास करने की। "आखिर तो वह एक लड़की ही है, उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है और न ही वह पढ़ाई पर ध्यान दे पाती है। तो इससे अच्छा है कि उसकी शादी कर दो। अन्य कारण जो लड़कियों ने बताए उनमें एक था सुरक्षा। वासनीकलां की ज़्यादातर लड़कियाँ सिर्फ आठवीं तक ही पढ़ पाईं क्योंकि गाँव में सिर्फ प्राथमिक स्कूल ही है। आगे पढ़ने के लिए मावली कस्बे में जाना पड़ता जहाँ अधिकतर लड़कियाँ नहीं जातीं। तो अगर कुछ लड़कियाँ आगे पढ़ना भी चाहें तो इतनी दूर अकेले आना–जाना सुरक्षित नहीं होता।"

बड़ी उम्र की औरतों को तो इतना भी पढ़ने को नहीं मिला। उन्होंने बताया कि स्कूल उनके लिए खेलने या भेड़–बकरी चराने के लिए ही था, उनमें से कुछ ने इसलिए भी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि टीचर ने गृहकार्य न करके लाने के लिए उन्हें डाँटा या मारा।

जहाँ एक तरफ कुछ युवतियों की सोच शिक्षा को लेकर समाज का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी तो वहीं कुछ युवतियाँ इस बात से दुःखी थी कि उनकी पढ़ाई छूट गई और इसका अभी भी उन्हें पछतावा था। लगभग सभी (92 प्रतिशत) अब औपचारिक शिक्षा से निकल चुकी थीं, सिर्फ 7 प्रतिशत ही थीं जो अभी भी स्कूल जा रही थीं। यह पूछने पर कि उन्होंने कितनी पढ़ाई की है सिर्फ 75 प्रतिशत (218 में से 164) विवाहित युवतियों ने उत्तर दिए। 13 प्रतिशत कभी स्कूल नहीं गई। 38 प्रतिशत ने सिर्फ प्राथमिक कक्षाओं तक पढ़ाई की (1–5 कक्षा, उम्र 6–10 साल), प्रतिशत ने उच्च प्राथमिक कक्षा तक शिक्षा ली। (6–8 कक्षा, उम्र 11–14 साल), 14 प्रतिशत ने उच्च माध्यमिक, (9–10 कक्षा उम्र 14–16 साल) 7 प्रतिशत ने उच्चतर माध्यमिक (11–12 कक्षा, उम्र 16–18 साल) और 3 प्रतिशत ने कॉलेज की डिग्री (बी.ए. अथवा बी. एड. कोर्स किए थे। (रेखाचित्र–8) जिन लड़कियों ने उसी साल शादी की जिस साल वे स्कूल से ड्रॉप आउट हुईं, ऐसी सूरत में 63 प्रतिशत लड़कियों की शादी 6–14 साल के बीच और 14 प्रतिशत की शादी 14–16 साल के बीच हुई।

रेखाचित्र 8 : विवाहित युवतियों के शिक्षा का स्तर (स–164)

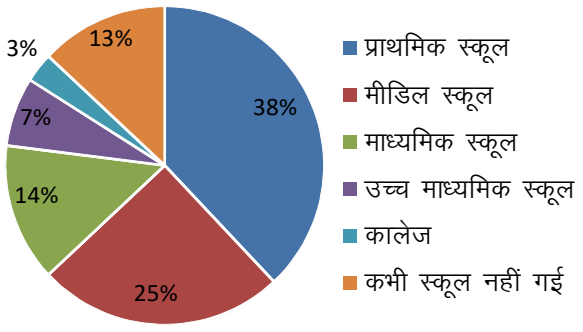

लगभग 92 प्रतिशत विवाहित लड़कियां औपचारिक शिक्षा में नहीं थीं

अधिकतर लड़कियों की शादी, शादी की कानूनी उम्र से काफी पहले हो गई थी और सभी को अपनी औपचारिक शिक्षा छोड़नी पड़ी।

यह पूछने पर कि उन्होंने स्कूल क्यों छोड़ दिया, 40 प्रतिशत से ज़्यादा विवाहित युवतियों ने शादी को मुख्य कारण बताया जबकि लगभग 25 प्रतिशत के अनुसार गरीबी मुख्य कारण था। उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का गाँव से दूर होना अध्ययन क्षेत्र के लगभग सभी गाँवों की हकीकत है और इसलिए वह भी बड़ा कारण था पढ़ाई छोड़ने का। इसके अलावा, अभिभावकों का दबाव और सुरक्षा को भी कुछ लोगों ने स्कूल छोड़ने के पीछे के कारणों में उल्लेख किया।

रेखाचित्र 9 : स्कूल छोड़ने के कारण (स–171)

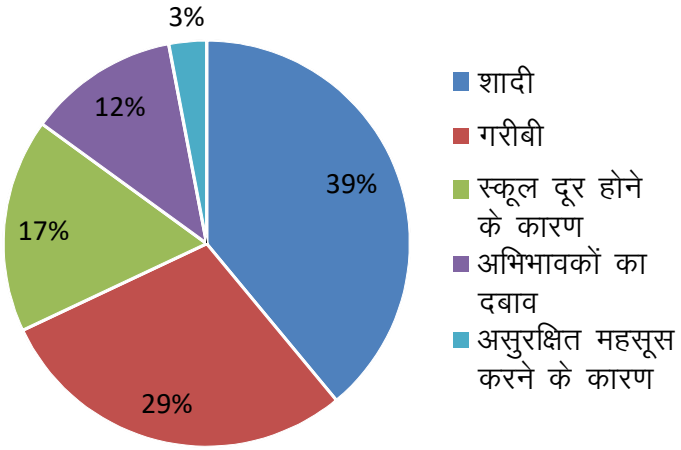

साथ ही 43 प्रतिशत युवा विवाहितों ने बहुत से अन्य कारण भी बताये, घर में किसी की मृत्यु या लंबी बीमारी, स्कूल में परिणाम अच्छे नहीं या फेल हो गए, छोटे भाई–बहनों की देखभाल, घर के काम, स्कूल में सजा का डर। सगाई के बाद स्कूल में अलग–थलग महसूस करना और पति एवं ससुराल वालों का प्रतिबंध।

आधे से ज़्यादा विवाहित युवतियों ने कहा कि उन्हें स्कूल की याद आती है। सबसे ज़्यादा लड़कियाँ जिन्होंने कहा कि उन्हें स्कूल की याद आती है वे अन्य पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति से थीं जबकि सबसे कम जिनकी संख्या थी वे अनुसूचित जनजाति की थी। आधी से ज़्यादा युवतियों ने कहा कि वे स्कूल में खेले जाने वाले खेलों को सबसे ज़्यादा याद करती है (रेखाचित्र 10 और 11)।

रेखाचित्र 10 : विवाहित युवतियों की स्कूल संबंधित भावनाएं (स–218)

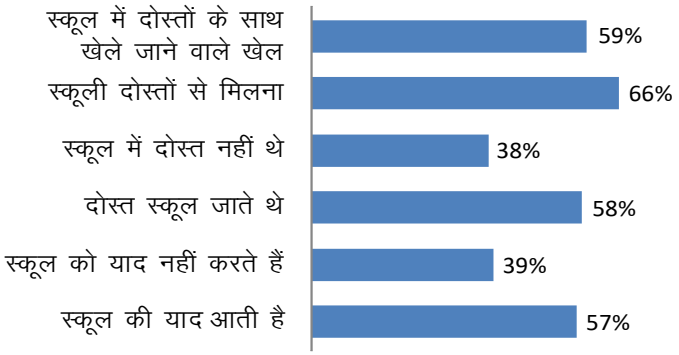

रेखाचित्र 11 : विवाहित युवतियों की स्कूल संबंधित भावनाएं (जाति आधिरित) (स–218)

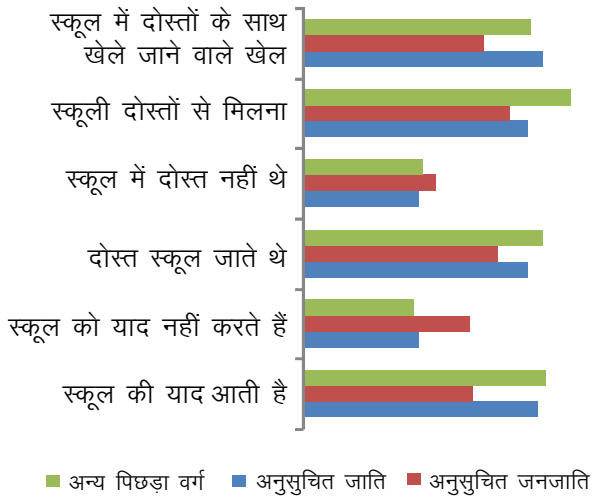

शादीशुदा युवतियाँ जो अपनी स्कूल की दोस्तों के साथ अभी भी मेलजोल में है वे स्कूल को ज़्यादा याद करती हैं और यह इस ओर भी इशारा करता है कि चाहे समाज ने शादी के लिए शिक्षा की सीमा तय कर दी हो जिससे लड़कियाँ "स्थिर जीवन" जी सकें, लेकिन लड़कियाँ इन सब से परे फिर भी शिक्षा के लिए लालायित रहती हैं।

जब लड़कियों के आसपास प्रेरणादायक रोल मॉडल होते हैं तो वह भी लड़कियों पर सकारात्मक असर डालते हैं। थोड़ी–सी लड़कियाँ जिन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा जारी रखी वे कुछ स्थानीय नौकरियाँ जैसे नर्सिंग या टीचर के लिए प्रशिक्षण ले रही थीं। कुछ वहीं पर अन्य कामों जैसे आँगनबाड़ी या आशा कार्यकर्त्ता बनी हैं।

परिवार के लोग ही आमतौर पर पिता, माता और कुछ मामलों में पति का युवतियों ने नाम लिया जिन्होंने उनकी औपचारिक शिक्षा जारी रखने या नौकरी के लिए प्रशिक्षण के निर्णय को प्रभावित किया।

रेखाचित्र 12 : विवाहित युवतियों के रोल मॉडल (स–218)

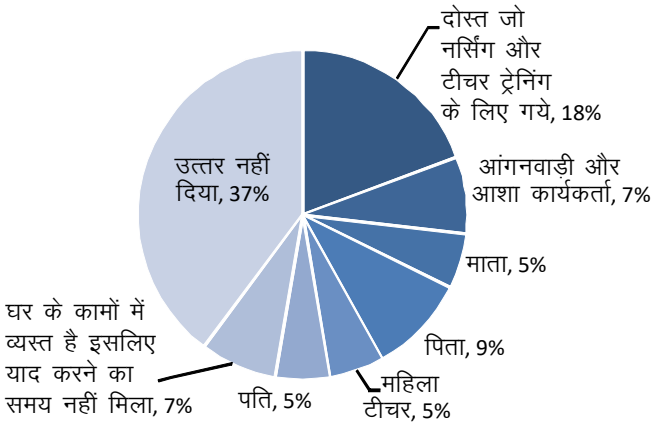

अनुसूचित जनजाति जैसे भील समुदाय की लड़कियों के साथ ज़्यादा गहन काम करने की ज़रूरत है आज जिनके पास न तो अपने दोस्तों से और न ही रिश्तेदारों से कोई प्रेरणा मिलती है और न ही कोई सहायता। यह इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है जबकि सामाजिक गैर–बराबरी के कारण उनका समाज के दूसरे तबकों के साथ बहुत ही कम मेलजोल होता है।

जिन विवाहित युवतियों ने विकल्प संस्थान की मदद से अपनी पढ़ाई जारी रखने की कोशिश की उन्हें भी बहुत संघर्ष करना पड़ा, जो कि साक्षात्कारों ने भी देखा। उदाहरण के लिए कमला एक नवविवाहिता है जो कि अपना दसवीं की परीक्षा देने के लिए अपने ससुराल वालों के खिलाफ जाकर आवेदन–पत्र भर रही थी। शुरुआत में वह विकल्प के कैंप में भी आना चाहती थी लेकिन काम ज़्यादा होने की वजह से और ससुराल से विरोध के कारण नियमित नहीं आ सकी। कमला बहुत कमजोर भी है क्योंकि हर बार वह ससुराल वालों से लड़ाई के बाद खाना नहीं खाती। उसके पढ़ने के निर्णय में कोई उसके साथ नहीं था। सब उससे पूछते कि दसवीं पास करने से क्या फर्क पड़ेगा। ज़्यादातर समय वह गुस्से और विद्रोह के तेवर में दिखीं। विकल्प के कार्यकर्त्ता अक्सर उसे शांत रहने की सलाह देते जिससे कि उसके ससुराल वाले पढ़ने आने दें।

लड़कियों के साथ हुई चर्चाओं से यह स्पष्ट निकलकर आया कि शिक्षा भी जाति आधारित सामाजिक–आर्थिक एवं राजनैतिक दर्जाबंदी स्थापित करने का नया तरीका बन गई है।

"ऊँची जाति" के पुरुषों का कहना था कि "नीची जातियों" में ही लड़कियों की ज़ल्दी शादी होती है। सर्वे के दौरान, साक्षात्कारकर्ता ने जब एक जैन घर का दरवाजा खटखटाया तो घर के मालिक ने काफी रूखेपन से जवाब दिया कि इस तरह की ज़ल्द शादी और कम उम्र की विवाहिता युवतियाँ "नीची जाति" के मोहल्लों में मिलेंगी, जैन मोहल्लों में नहीं। हमारी जाति की लड़कियाँ पहले पढ़ती है और फिर उम्र पूरी होने पर ही शादी करती हैं। हालाँकि पढ़ी–लिखी लड़कियाँ इन समुदायों में सिर्फ एक सांस्कृतिक संपदा से ज़्यादा कुछ नहीं। यह समुदाय लड़कियों की शिक्षा को सशक्तीकरण, स्वायत्त या स्वयं की क्षमताओं को निखारने का जरिया नहीं मानता। कम पढ़ी–लिखी और ज़ल्द शादी होने वाली लड़कियों को "निम्न जाति" के सूचक के रूप में देखा जाता है।

पूर्वाग्रह ग्रसित और गैर–बराबरी में निहित विचार सरकारी सामुदायिक कार्यकर्ता जैसे आँगनबाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम (सरकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता) और ग्राम की अन्य महिला स्वास्थ्य सेवाएँ देने वाली कार्यकर्ता से भी सुनने को मिले जो कि महिलाओं के साथ काफी करीबी तौर से संपर्क में रहती हैं।

आशा कार्यकर्ता से एक साक्षात्कार के दौरान, उन्होंने यह बात बहुत ज़ोर देकर कही कि उनके क्षेत्र में अब बाल विवाह का प्रचलन पिछले दो सालों में लगभग खत्म हो गया है और अब यह सिर्फ छोटी जातियों जैसे कि गमेती एवं भील समुदाय के अंदर ही देखने को मिलते हैं, गरीबी और अनपढ़ता की वजह से।

यह अब ऊँची जातियों में नहीं होती जैसे कि वह जिस जाति (वैष्णव) में यह नहीं होती। उन्होंने यह भी बताया कि क्योंकि जिस आँगनबाड़ी में वह काम करती है वह भील बस्ती में स्थित है इसलिए दूसरी (ऊँची) जातियों के बच्चे वहाँ नहीं आते। ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाएँ जैसे टीकाकरण इत्यादि के लिए वैष्णव और ब्राह्मण अपने ही मोहल्ले के स्वास्थ्य केन्द्र में जाते हैं।

गैर बराबरी और उससे होने वाले हाशियाकरण को भविष्य में गहराई से देखने की ज़रूरत है।

बड़ी उम्र की 115 (129 में से) (विवाहित युवतियों की सास) ने शिक्षा के सवालों पर जवाब दिए। उनमें से अधिकतर की कम उम्र में शादी हो गई थीं। उनमें से 77.5 प्रतिशत महिलाएँ कभी स्कूल नहीं गई थीं जबकि 12 प्रतिशत ने प्राथमिक कक्षाओं तक पढ़ा था। यह पूछने पर कि उन्होंने पढ़ाई क्यों छोड़ी चार मुख्य कारण पता लगे–शादी, गरीबी, अभिभावकों का दबाव और गाँव में ही स्कूल का अभाव। कुछ अभिभावकों को डर था कि उनकी लड़की स्कूल से या स्कूल के रास्ते से अगवा कर ली जाएगी। महिलाओं ने बताया कि उनसे सिर्फ घर पर रहकर घर के काम करने, माँ का हाथ बँटाने या फिर थोड़ी बहुत बकरी पालने या खेत पर काम करने की उम्मीद थीं।

यूँ तो वर्तमान समय में लड़कियाँ प्रौढ़ महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा सालों तक शिक्षा में रह पा रही है, लेकिन उनकी जीवन की हकीकतें और रास्ते अभी भी वहीं है जो उनसे पहले की पीढ़ी की औरतों के थे।

स्वास्थ्य, प्रजनन और शिशु जन्म

विकास नीतियों के सभी दस्तावेजों में यह विस्तार से समझाया और बताया गया है कि कैसे ज़ल्द एवं बाल विवाह लगभग हमेशा ही नुकसानदेह यौनिक और प्रजनन स्वास्थ्य में तब्दील हो जाता है, जेंडर आधारित हिंसा को बढ़ावा देता है, कुपोषण और मातृत्व मृत्यु दर बढ़ाता है, लड़कियों में अधिक बीमारी और मृत्यु की घटनाएँ बढ़ाता हैं जो कि इनकी और आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करता हैं।

इन विवाहित युवतियों के जीवन का यह एक अहम पहलू है कि सब कम उम्र में यौन संबंधों, ज़ल्द गर्भवती और बच्चों के जन्म के चक्रव्यूह में फँस जाती हैं। ज़्यादातर लड़कियाँ घर की जिम्मेदारियों, यौन संबंधों और गर्भ इत्यादि के बोझ से इतना ज़्यादा दब जाती है कि उनका इन सबमें कोई नियंत्रण नहीं होता और न हीं इन निर्णयों में उनकी भागीदारी। किसी दूसरे संदर्भ में जो कानूनी रूप से बलात्कार माना जाएगा। उसका यहाँ शादी के नाम पर सामान्यीकरण कर दिया गया है। शर्म, पर्दा और तमाम सामाजिक पाबंदियों के चलते ज़्यादातर लड़कियाँ जब शादी करके ससुराल आती है तो उन्हें महावारी, गर्भनिरोध एवं यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी कोई जानकारी नहीं होती।

उन सबका इन युवा लड़कियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर हमें अध्ययन क्षेत्र में नजर आया। कई महिलाओं और युवतियों ने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का जिक्र किया और यह भी बताया कि ज़्यादातर उन्हें खुद भी समझ नहीं आता कि क्या परेशानी है और न उनके लिए वे कभी किसी डॉक्टर के पास गईं। हालाँकि आजकल युवतियाँ पहले की अपेक्षा कम बच्चों को जन्म दे रही हैं लेकिन गर्भपात जो कि अक्सर कम उम्र और कुपोषण के

63 प्रतिशत लड़कियों की शादी 6 से 14 साल की उम्र के बीच की गई थी।

नारायणी की कहानी

24 साल की नारायणी की शादी मात्र 3 साल में अपने चचेरी बहनों के साथ एक सामूहिक समारोह में हो गई थीं। 15 साल की होने पर वह अपनी ससुराल आ गई और पति के साथ रहने लगी। उसके अनुसार उसकी महावारी ससुराल आने के बाद शुरू हुई और महावारी के पहले साल में ही वह गर्भवती भी हो गई। पहला बच्चा एक लड़का था दूसरा बच्चा एक लड़की की 6 महीने की उम्र में निमोनियाँ से मृत्यु हो गई। जब साक्षात्कारकर्ता उससे मिले तो उसने बताया कि वह नसबंदी कराने की बात सोच रही है, लेकिन अच्छा होता कि उसके एक दो बेटे और होते। नारायणी ने बताया कि उसे अपनी शादी की कोई याद नहीं। शिक्षा और आजीविका के साधनों पर सवाल पूछने पर नारायणी के भी अपने समुदाय की दूसरी युवतियों के जैसा ही जवाब था। उन्हें लगता है कि शिक्षा और रोजगार अच्छी चीज हैं लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगी में इसका क्या अर्थ है वे सही–सही व्यक्त नहीं कर पातीं। जो नारायणी को निश्चित तौर पर पता है वह है कि आखिर में उसे पढ़ाई छोड़कर घर के काम, खेतों पर मजदूरी और बकरियों का चराने के ही काम करने होगें।

कारण होता है वह अभी भी न तो कहीं दर्ज होता है और न ही उसके लिए स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध है। सर्वे के दौरान बहुत–सी चर्चाओं में इन युवा विवाहितों ने अनजाने यौन संबंधों और अनचाहे गर्भ के बारे में अपने डर और दहशत की बात कही।

आधी से ज़्यादा विवाहित युवतियों को महावारी के बारे में जानकारी नहीं थी जब तक उनके खुद के मासिक शुरू नहीं हुए। उनमें से ज़्यादातर लड़कियों ने महावारी संबंधी जानकारी अपनी माँ, दोस्तों या बहनों सी ली थी। कुछ लोगों ने टीचर से भी पूछा और किताब में पढ़ा (रेखाचित्र–13) जब महावारी के बारे में पूछा तो विवाहित युवतियों और महिलाओं दोनों ने बताया कि अपनी महावारी के बारे में अपनी माताओं से कभी बात नहीं की थी। इन सब बातों को माँ से करने में हमें बहुत शर्म आती है, एक महिला ने समझाया।

रेखाचित्र 13 : विवाहित युवतियों की माहवारी संबंधी जानकारी (स–143)

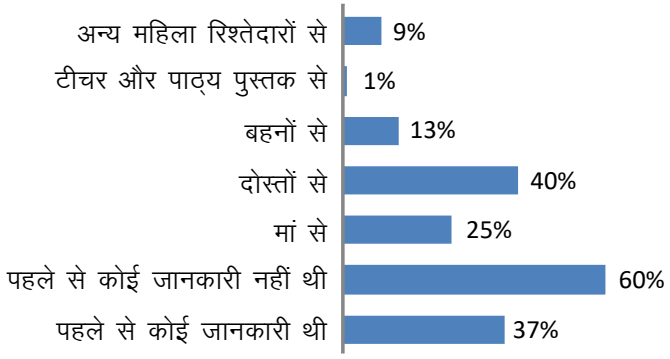

महावारी संबंधी पाबंदियाँ हिन्दू और मुस्लिम दोनों समुदायों में प्रचलित हैं। युवा विवाहितों ने बताया कि महावारी के समय उन्हें खाना या आम का अचार वगैरा छूना मना है क्योंकि माना जाता है कि उनके छूने से यह दूषित हो जाएगा। उन्हें धार्मिक प्रतिष्ठा में भी भाग लेना मना है। कुछ युवतियों ने बताया कि वह दूसरे व्यक्तियों के लिए रखे पानी को भी नहीं छू सकतीं। जबकि कुछ ने बताया कि वह परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ उन दिनों में खाना नहीं खा सकतीं। इस तरह की प्रथाएँ लड़कियों में नकारात्मक आत्म छवि बनाती है और उनके आत्मविश्वास को ठेस पहुँचाती हैं।

महावारी की शुरुआत और गर्भ धारण के बीच काफी कम अंतर पाया गया, 31 प्रतिशत युवतियों ने महावारी के दो साल के अंदर शिशु को जन्म दिया, 20 प्रतिशत ने 3 साल के अंदर और 14 प्रतिशत ने महावारी के चार साल के भीतर शिशु को जन्म दिया। (रेखाचित्र–14)

रेखाचित्र 14 : माहवारी और शिशु जन्म में अंतराल (स–143)

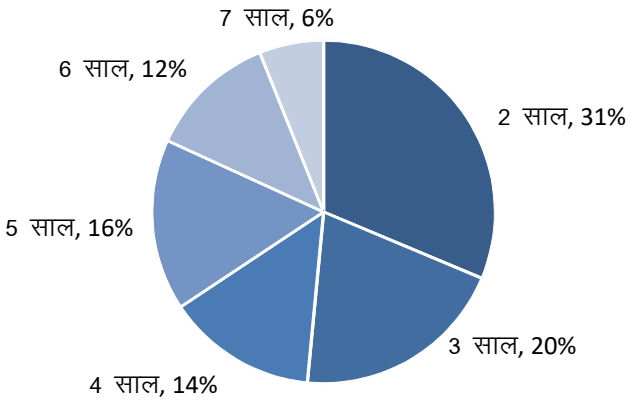

उत्तरकर्ताओं में महावारी की औसत उम्र 13 साल थी, फिर भी आधी से ज़्यादा युवतियों के 16 साल के होते–होते कम से कम एक शिशु का जन्म हो गया था। अतः शादी के बाद यौन संबंध (जब वे असल में अपनी ससुराल आकर रहने लगीं) काफी छोटी उम्र में हो गए थे। ज़ल्द गर्भ धारण करने के पीछे परिवार का दबाव और गर्भ निरोधक उपलब्ध न होना भी हैं। सभी उत्तरकर्ताओं का सर्वे के समय कम से कम एक बच्चा था। (रेखाचित्र–15)

रेखाचित्र 15 : युवा विवाहितों के बच्चे (स–218)

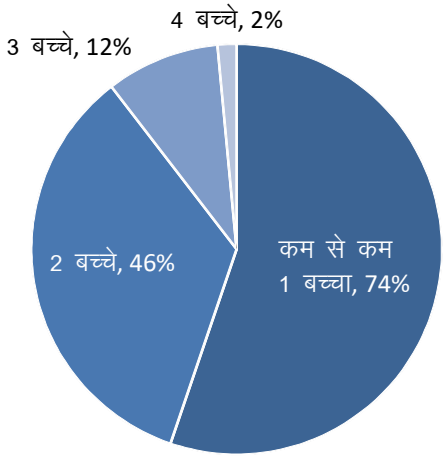

कुछ युवतियों ने गर्भपात, मृत शिशु या अन्य कारणों से गर्भ क्षति की बात भी कहीं। सबसे ज़्यादा गर्भ क्षति, गर्भपात (85 प्रतिशत) के कारण हुई। 38 प्रतिशत उत्तरकर्ताओं को गर्भ निरोधक की जानकारी थी जबकि 28 प्रतिशत को इसकी कोई जानकारी नहीं थी और इसके अलावा सभी युवतियाँ ने जवाब देने से इंकार कर दिया। 25 प्रतिशत से भी कम युवतियों ने किसी भी तरह के गर्भ निरोधक के इस्तेमाल की बात कही, 40 प्रतिशत ने बताया कि कोई भी तरीका

इस्तेमाल नहीं करतीं जबकि अन्य 40 प्रतिशत ने इस सवाल का जवाब देने से इंकार कर दिया (रेखाचित्र–16)। गर्भ निरोधक के बारे में निर्णय लेने का हक आदमियों के पास है, यह मान्यता प्रचलित थी। गर्भ निरोधक संबंधित सवालों के उत्तर ''मेरे पति इस्तेमाल करने से मना करते है'' से लेकर ''मुझे डर लगता है'' तक सभी किस्म के थे। कई नवयुवतियाँ ऑपरेशन (नसबंदी) करवाना चाहती थी लेकिन ऐसा करने की इजाजत नहीं थी। कुछ युवतियों ने कुछ ''देशी दवा'' की बात भी की जो वो गर्भ निरोधक के लिए इस्तेमाल करती हैं। कुल मिलाकर गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी बहुत ही सीमित थी।

साक्षात्कारकर्ताओं को बहुत आश्चर्य हुआ जब चँगेड़ी गाँव की आँगनबाड़ी कार्यकर्ता ने भी गर्भ निरोधक के बारे में जवाब देने से इंकार कर दिया। आँगनबाड़ी कार्यकर्ता ने अन्य विवाहित युवतियों से ज़्यादा शिक्षा ली थी, और कॉलेज पूरा करने के बाद वह टीचर बनना चाहती थी। लेकिन उसके पति ने उसे बी.ए. की परीक्षा में बैठने से मना कर दिया। उसके दो बच्चे थे। गर्भ निरोधक के बारे में पूछने पर बताया कि वह उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती और कभी भी इस्तेमाल नहीं किए।

रेखाचित्र 16 : गर्भ निरोधक और गर्भपात (स–218)

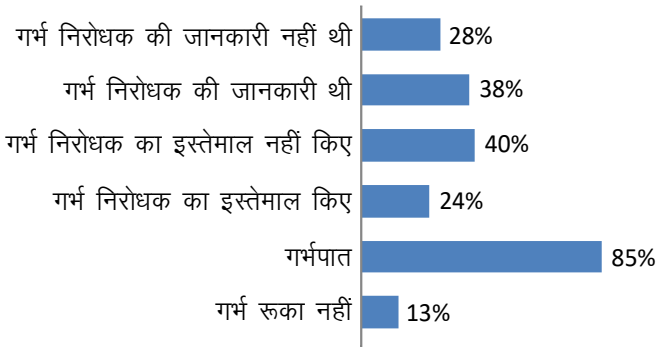

लड़के की चाहत भी, बच्चे कितने इस फैसले को प्रभावित करता है। आधे से ज़्यादा उत्तरकर्ताओं का मानना था कि उनका कम से कम एक लड़का तो जरूर होना चाहिए। नौजवान विवाहिताएँ बारम्बार और ज़ल्दी–ज़ल्दी गर्भ को नहीं रोक सकती थीं क्योंकि पति और ससुराल वालों का काफी दबाव रहता है। एक युवा विवाहिता से जब हमने पूछा कि तुम्हारा एक बेटा है तो क्या और बच्चे चाहिए, तो उसने ना में जवाब दिया। इस पर उसकी सास ने गुस्से से चिल्लाकर कहा ''तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की। मुझे कम से कम एक बेटा और चाहिए जैसे राम और लक्ष्मण की जोड़ी।'' पुराने समय से ही, बार–बार गर्भ धारण मातृ और शिशु मृत्यु का कारण रहा है। स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसूती और सार्वजनिक सूचनाएँ और उससे मिलने वाले फायदें मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करने में मदद कर सकते हैं। 155 शादीशुदा युवतियाँ जिन्होंने कम से कम एक बच्चे को जन्म दिया था, उनमें से 85 प्रतिशत ने सरकारी अस्पताल में प्रसूती करवाई थी जबकि 16 प्रतिशत ने घर पर प्रसूती करवाई थी चाहे प्रशिक्षित दाईं या एनएम की सहायता से या उसके बिना। बड़ी उम्र की 114 महिलाएँ जो सर्वे में शामिल हुई (युवतियों की सास) उनमें से 82 प्रतिशत ने घर पर ही प्रसूती की, स्थानीय दाईं की मदद से। 14 प्रतिशत को दाईं की सहायता भी नहीं मिली जबकि 4 प्रतिशत ने सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया।

29 औरतों ने यह भी बताया कि जन्म के कुछ दिनों के अंदर ही उनके बच्चे की मृत्यु हो गई। कुल 38 बच्चों की मृत्यु इस तरह बताई गई, जिसका अर्थ है कि सात महिलाओं के दो बच्चों की मृत्यु कुछ ही दिनों के अंतराल में हुई होगी।

उन 38 बच्चों में 12 लड़कियाँ थीं जिनकी मृत्यु जन्म के कुछ दिन के अंदर हो गईं। उनमें से 4 बच्चों की मृत्यु स्वास्थ्य सेवाएँ न मिल पाने के कारण हुई।

अस्पतालों में प्रसूती करने से मातृ और शिशु मृत्यु दर में काफी कमी आई है लेकिन फिर कुछ बड़ी उम्र की महिलाओं में उसके प्रति नकारात्मक रूख है और वे मानती है क्योंकि ये युवा औरतों में कोई सहनशक्ति नहीं है इसलिए अस्पतालों में भागती हैं। उदाहरण के लिए एक ने लताड़ते हुए कहा–''हमारे समय में हम कहीं नहीं जाते थे। बच्चे घर पर ही हो जाते थे। हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आजकल की लड़कियों को जरा–सा दर्द हो जाए, तुरन्त डॉक्टर के पास भागती हैं।''

बड़ी उम्र की औरतों ने बीमारी और बच्चों की मृत्यु के पीछे बुरी आत्माओं के हाथ होने की भी बात कहीं। एक औरत ने जोर देकर कहा कि ''मेरा बच्चा बुरी आत्मा के प्रकोप से ही मरा था।'' क्योंकि ये बड़ी उम्र की औरतों का युवा विवाहितों के जीवन पर बहुत प्रभाव और नियंत्रण होता है, बहुत ज़रूरी है कि इनकी सोच में बदलाव लाया जाए उनका स्वास्थ्य

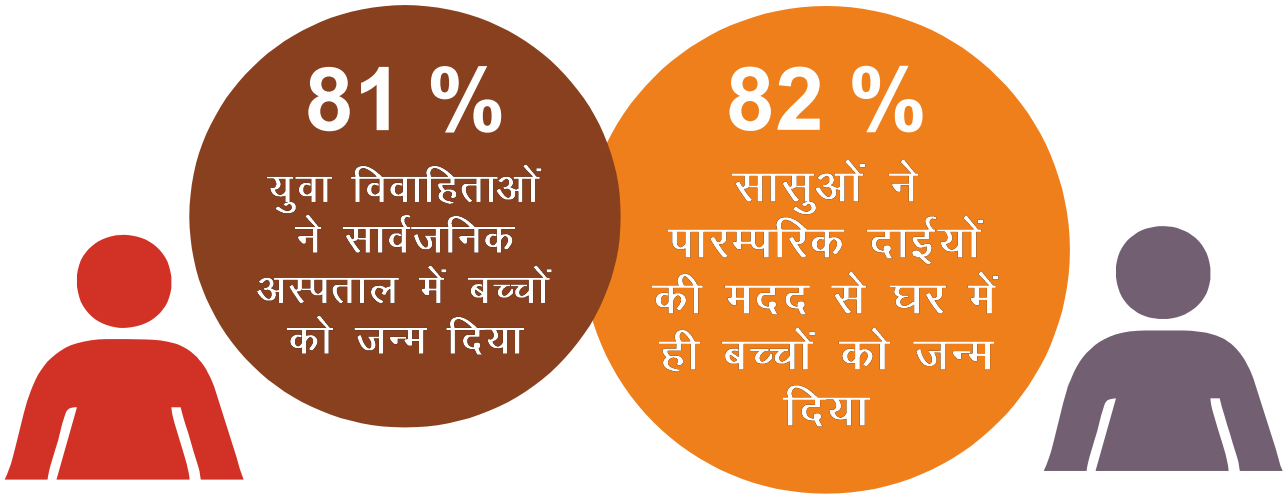

और बीमारी को लेकर नज़रिया बदलेगा तो उससे काफी सकारात्मक स्वास्थ्य परिणाम निकल सकते हैं। ज़ल्द और बाल विवाह के संबंध में यह काफी उपेक्षित क्षेत्र है जिसमें दखल देने की सख्त ज़रूरत है। ज़ल्द विवाह और औरतों के स्वास्थ्य के संदर्भ में अधिकतर चर्चाएँ प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी होती हैं। यह बहुत ज़रूरी है कि समाज में उनके स्वास्थ्य को लेकर जो धारणा है उसे भी समझा जाए। समाज यह उम्मीद करता है कि यह शादीशुदा युवतियाँ घर के काम, प्रजनन, खेतों के काम सभी आसानी से बिना थके करे क्योंकि वे स्वस्थ और मजबूत हैं। साथ ही यह उम्मीद भी की जाती है कि अगर उन्हें कोई तकलीफ है तो उसकी बात न करें।

अधिकतर विवाहित युवतियों ने बताया कि वे अस्वस्थ्य महसूस करती हैं जिसमें से 65 प्रतिशत ने कहा कि वो कभी–कभी ही स्वस्थ महसूस करती हैं।

146 युवतियाँ जिन्होंने साक्षात्कार के 12 महीने के दौरान स्वास्थ्य समस्याओं की बात कही उनमें से ज़्यादातर ने सामान्य बुखार और अलग–अलग तरह के शारीरिक दर्द की बात कहीं। कुछ ने टाईफाईड, मलेरिया, प्रसूती संबंधी, गर्भ और नसबंदी संबंधी जटिलताओं की बात भी कहीं। कुछ युवतियों ने अपनी बीमारी का कारण बुरी आत्माओं को बताया। युवा विवाहितों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को संबोधित करना बहुत ही आवश्यक है।

ससुराल की सख्त निगरानी के चलते युवा विवाहित लड़कियों के लिए हिंसा के किसी भी अनुभव के बारे में खुलकर बात करना बहुत ही मुश्किल था। साक्षात्कारकर्ताओं के लिए किसी भी यौनिक अथवा शारीरिक हिंसा संबंधी सवाल का उत्तर सीधे तौर पर पाना लगभग असंभव था।

रेखाचित्र 17 : पिछले 12 महीने में रिपोर्ट की गई स्वास्थ्य स्थिति (स–146)

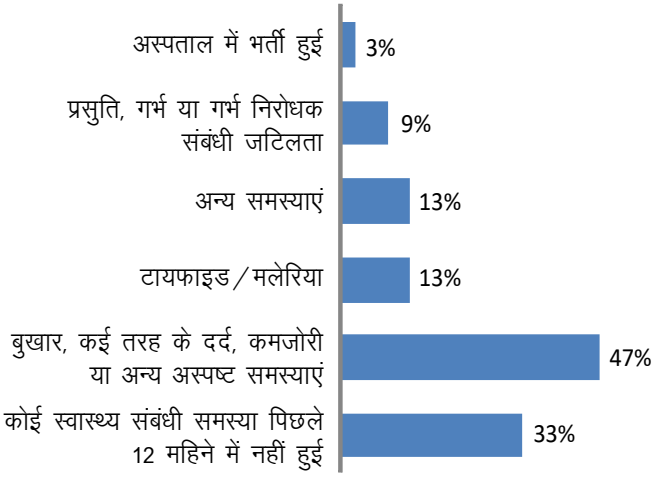

लड़कियाँ कुछ मामलों में घरेलू हिंसा के बारे में खुले तौर पर कह पा रही थीं क्योंकि सामाजिक स्तर पर घरेलू हिंसा औरतों को अनुशासित करने का एक स्वीकार्य तरीका है। कुछ आदमियों के साथ हुए साक्षात्कार जो अगले भाग में दिए गए है, उनसे स्पष्ट होगा कि युवा लड़के भी अपनी मर्दानगी को प्रदर्शित करने के लिए अपनी नव विवाहिता पत्नियों के साथ ऐसा व्यवहार करते है जो कि उनके सामुदायिक कायदों के अनुरूप हो। अक्सर हिंसा (उन आदमियों के बीच) तभी की जाती है जब औरतें अपनी घरेलू जिम्मेदारियाँ या निर्भरता के दायरों को तोड़ती हैं।

जल्द विवाह और हिंसा

युवा विवाहित लड़कियों के हिंसा संबंधी अनुभवों पर बात करने की झिझक को समझते हुए कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जो सीधे तौर पर हिंसा के प्रश्न नहीं थे जैसे कि शादी संबंधी उनकी सबसे खराब यादें कौन–सी हैं।

अपनी दुःखद यादों के बारे में बात करते हुए आधी से ज़्यादा युवतियों ने बताया कि वे शादी नहीं करना चाहती थीं। बड़ी संख्या में लड़कियों ने बताया कि उनमें बहुत गुस्सा और डर था अपना घर छोड़कर कहीं और जाने का, जबकि लगभग 25 प्रतिशत ने स्कूल छूट जाने को भी अपना दुःखद अनुभव बताया। कुछ लड़कियाँ ने जबर्दस्ती यौन संबंधों, शारीरिक हिंसा, मौखिक हिंसा, घर के कामों का बोझ और बच्चे के जन्म संबंधी जटिलताओं से जुड़ी यादों को दुःखद अनुभव के रूप में व्यक्त किया।

मंजू की कहानी

मंजू एक भील विवाहित लड़की है जिसने अपने पति के साथ अक्सर लड़ाई–झगड़े की बात कही। उसने बताया कि उसके पति ने उसे कई बार पीटा है। लेकिन मंजू को यह मार–पिटाई से ज़्यादा शिकायत नहीं थी क्योंकि उसका कहना था कि मार–पिटाई के अलावा वो मंजू को काफी चाहता था और दूसरे आदमियों की तरह शराब भी नहीं पीता था। मंजू का यह भी मानना था कि उसके साथ बार–बार मार–पिटाई इसलिए भी होती है क्योंकि उसके जवाब देने की ''बुरी आदत'' हैं। औरतों को अपने पति को ऊँची आवाज में जवाब नहीं देना चाहिए।

उसने यह भी बताया कि वह अपने मायके अपनी मर्जी से नहीं जा सकती और अगर जाती है तो उसका पति साथ जाता है। मंजू की एक साल की बेटी भी है। वो और उसकी बेटी अक्सर अस्वस्थ रहते हैं। शादी के एक साल के अंदर ही वह गर्भवती हो गई क्योंकि यह उसके ''पति की इच्छा'' थी। उसकी शादी तभी तय हो गई थी जब वह 10 साल की थी और महावारी के आते ही उसका स्कूल छुड़वा दिया गया एवं उसके ससुराल वालों ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला कि शादी को औपचारिक करे उसे ससुराल भेज दिया जाए वो सिलाई सीखना चाहती थी लेकिन अपने पति की इजाजत का इंतजार कर रही थी जिससे कि वह एक सिलाई मशीन खरीद सकें।

37 प्रतिशत लड़कियों ने अपना सबसे दुःखदाई अनुभव अपने पतियों की शराब पीने की आदत और उनके जोर–जोर से चिल्लाने को बताया। खुद काफी कम उम्र की होने के कारण समझ नहीं पाती थी कि शादी का क्या मतलब था व्यवहारिक तौर पर, अपने दोस्तों और परिवार वालों से दूर, उस पर पति भी ''अच्छा इंसान'' नहीं था। लगातार गर्भ धारण और बच्चों को जन्म देने का बोझ, नई जगह और नया वातावरण, पर्दा प्रथा और पढ़ाई भी नहीं कर सकती थीं। कई युवतियों ने अपनी सास से डरने की बात भी कही। ज़्यादातर लड़कियों ने कहा कि वो चाहे कितना भी काम करें, सास को वो कभी खुश नहीं कर पातीं। अधिकतर नवविवाहितों ने शादी को डर और असहजता, उत्कंठा से जोड़कर देखने की बात कही।

कई लड़कियों ने काम पूरा न कर पाने पर चिल्लाने और मार खाने की बात कही। (रेखाचित्र–18) अधिकतर लड़कियों ने शादी अपने माता–पिता के दबाव में आकर करने की बात कही। कुछ उत्तरकर्ताओं ने सास–ससुर और सामाजिक नियमों का दबाव होने को भी कारण बताया।

रेखाचित्र 18 : विवाहित युवतियों की शादी से जुड़ी दुःखद यादें (स–218)

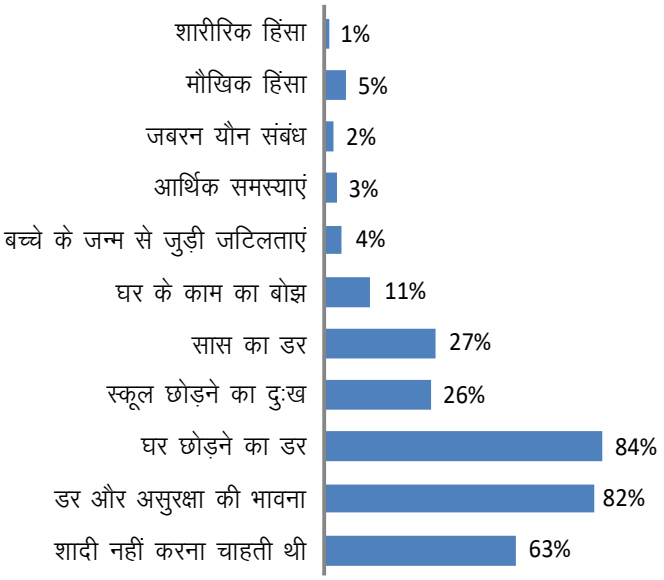

यह पूछने पर कि शादी के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगी, 40 प्रतिशत ने बताया कि शादी का समारोह उन्हें काफी अच्छा लगा। आधी से ज़्यादा युवतियों ने कहा कि शादी में मिले गहने और कपड़े उन्हें अच्छे लगे थे। 30 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें पति का साथ अच्छा लगता था। कुछ विवाहितों ने सामाजिक फायदों की भी बात कही जैसे–सामाजिक स्तर बेहतर हो जाना, बेहतर आर्थिक स्तर और बच्चे।

रेखाचित्र 19 : विवाहित युवतियों की शादी से जुड़ा क्या अच्छा लगता था (स–218)

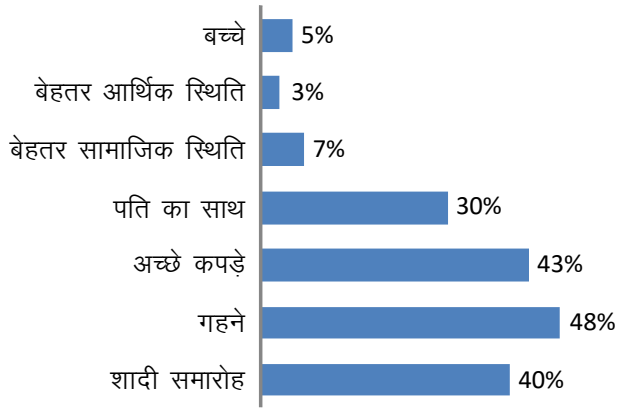

यह आँकड़े विकल्प संस्थान के इस विचार को स्थापित करते है कि शादियों में लड़कियों को मिलने वाली महत्ता उन्हें अच्छी लगती है लेकिन वे उस दिन के बाद जीवन की अन्य हकीकतों से अधिकतर अनभिज्ञ होती हैं।

शादी से जुड़े अनुभवों को और गहराई से समझने के लिए साक्षात्कारकर्ताओं ने उनसे किसी गंभीर घटना के बारे में बताने को कहा जो उनके साथ, किसी करीबी दोस्त, पड़ौसी या अन्य महिला के साथ हुई हो। यह इसलिए किया गया क्योंकि अध्ययनकर्ताओं को लगा कि ये युवतियाँ अपनी व्यक्तिगत कहानियाँ सुनाने में झिझकेंगी। लगभग 30 प्रतिशत युवतियों ने अपनी किसी करीबी रिश्तेदार जैसे पिता, दादा, माँ, भाई–बहन या बच्चे की मृत्यु को अपने जीवन की सबसे गंभीर घटना के रूप में बताया। शादी के संदर्भ में बात करते हुए ज़्यादातर युवतियों ने पति द्वारा की गई हिंसा और शादी टूटने या पति द्वारा छोड़ दिए जाने को भी गंभीर घटना बताया (रेखाचित्र–20)।

अन्य कुछ घटनाओं के तहत युवतियों ने स्कूल छूट जाने या स्कूल में फेल होने, घर के लड़ाई–झगड़े, अस्वस्थ्य होने और हिंसा के कारण लगने वाली चोटों का जिक्र किया। इन घटनाओं में एक वह घटना भी शामिल थी जिसमें उसके एक दोस्त ने उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसे गर्भपात करने के लिए दवाई लेने को कहा। नारीवादी दार्शनिकों ने इस प्रक्रिया को एक लड़की के अपने पुरुष रिश्तेदार, पिता या संरक्षक की मृत्यु को "पितृ सत्ता का जोखिम" बताया है जो कि महिलाओं एवं लड़कियों के हित और भलाई को खतरे में डालता है।

रेखाचित्र 20 : विवाहित युवतियों के जीवन की गंभीर घटनाएं (स–218)

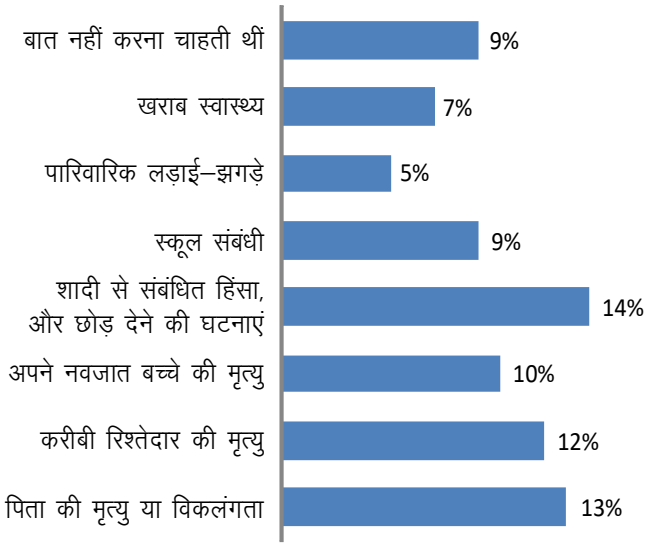

कुल 43 प्रतिशत युवा विवाहितों ने गंभीर घटना के सवाल को किसी जान–पहचान वाले व्यक्ति द्वारा दिए गए नकारात्मक अनुभव की बात कही। 25 प्रतिशत से ज़्यादा ने पति द्वारा शराब पीकर हिंसा करने की बात कही। कुछ लोगों ने नवजात बच्चे की मृत्यु और बच्चे के जन्म से जुड़ी जटिलताओं का जिक्र किया (इन मामलों में अधिकतर किसी बहन की बात कही गई) बुरी आत्माओं के प्रभाव से बीमारी एवं अस्वस्थता, मृत्यु एवं दिमागी परेशानी की बात भी आई।

सबसे चिंताजनक घटनाएँ जो रिपोर्ट हुई वे थी महिलाओं/लड़कियों द्वारा आत्महत्या करने की जो उन्होंने पति की हिंसा से तंग आकर कुएँ में छलांग लगाकर कर ली।

बहुत से अन्य तनावकारी मुद्दे जैसे बीमारी, लड़ाई–झगड़े, पति द्वारा छोड़ना, घर से भागना और दिमागी बीमारी इत्यादि का भी इन विवाहित युवतियों ने ज़िक्र किया (रेखाचित्र–21)।

रेखाचित्र 21 : किसी अन्य के जीवन की गंभीर घटनाएं (स–43)

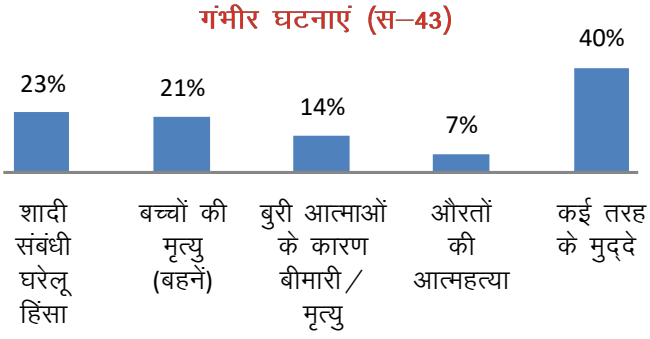

जब बड़ी उम्र की महिलाओं (युवतियों की सास) से पूछा गया कि शादी को लेकर उनकी क्या चिंताएँ और डर थे, उनके जवाब भी युवतियों के समान ही थे और उतने ही नपे–तुले। अध्ययन में शामिल कुल 109 महिलाओं में से 25 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें अपनी सास से डर लगता और कुछ मामलों में ससुर से भी (यह अनुपात युवतियों में भी लगभग में समान था–26 प्रतिशत) ने अपनी सास से डरने की बात कही उन्हें शादी की ज़रूरतें पूरी न कर पाने का डर था जिसकी वजह से डाँट या मार भी पड़ने का खतरा रहता था।

कई महिलाओं ने कहा कि उन्हें पति के साथ शारीरिक संबंधों से या उसके साथ "अकेले में" होने से डर लगता था। कुछ महिलाओं ने बताया कि शादी से पहले उन्हें यौन संबंधों की बिलकुल जानकारी नहीं थी और डरती थी कि ससुराल में न जाने क्या होगा। इतना ही नहीं औरतों को यह भी डर लगता था कि वो अपने घर या खेतों के काम की जिम्मेदारी ठीक से निभा पाएगी या नहीं। उन्हें डर लगता था कि अगर उनकी सास या ननद उनके काम से खुश नहीं हुई तो क्या होगा? उन्हें नई जगह होने और नए–नए लोगों से मिलने का भय भी रहता था खासतौर से ''सबको खुश'' रखने की क्षमता को लेकर कुछ ने अपनी पिटाई के अनुभव को याद करते हुए बताया जब उन्हें सबसे ज़्यादा डर लगा था (रेखाचित्र–22)।

रेखाचित्र 22 : बड़ी उम्र की महिलाओं में शादी से जुड़ी डर और चिन्ताएं (स–109)

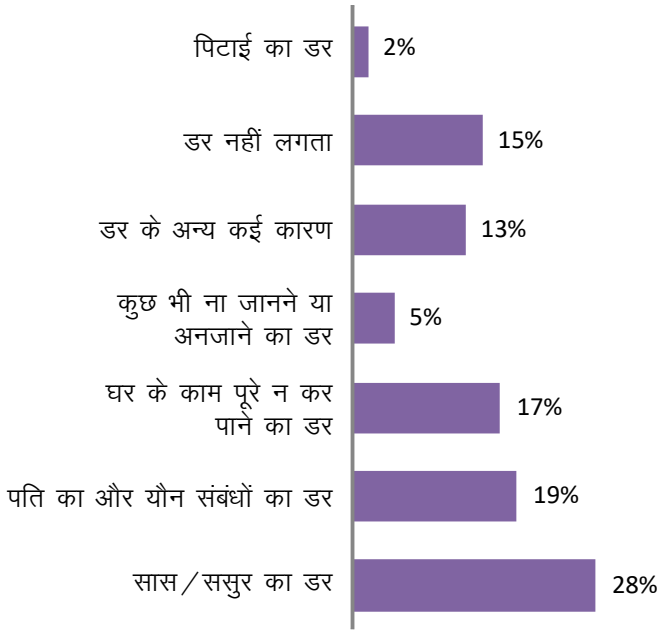

जब महिलाओं से उनके अनुभव के बारे में पूछा जिसने उनके जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हो, फिर से महिलाओं उनके जवाब काफी हद तक युवतियों जैसे ही थे। साथ ही कई महिलाओं ने अपने बच्चों की मृत्यु और ससुराल में अपनी बेटियों की खैरियत को लेकर चिंता जाहिर की। (रेखाचित्र–23) एक महिला ने बताया कि उसने 6 बेटियों को जन्म दिया और उसके पति, सास और परिवार ने बेटा न होने की वजह से उसे काफी सताया और जब सातवाँ उसका लड़का हुआ तभी वह शादी बच सकीं।

एक महिला ने अपनी बहन की मृत्यु की घटना सुनाई जो 12 या 13 साल की उम्र में हुई थी। उसने बहन के सास–ससुर के लिए उसे दोषी ठहराया। उन्होंने मेरी बहन का ध्यान नहीं रखा। जब उसे पता चला कि उसकी बेटी को उसका पति मारता था तो वह ससुराल जाकर बेटी को ले आई और उसकी दूसरी शादी करवा दी।

युवा विवाहित लड़कियों और महिलाओं (जो कभी खुद कम उम्र में शादी होकर आई थीं) के उत्तर यह स्थापित करते हैं कि कम उम्र में शादी, नई जगह जाने, नए लोगों के साथ रहने, ज़िम्मेदारी से काम करने और ठीक से न कर पाने की स्थिति में हिंसा का डर और चिंता से जुड़ी हुई है और ये ही युवतियाँ बड़ी होकर अपनी बेटियों के लिए चिंतित और फिक्रमंद रहने लगीं थीं।

रेखाचित्र 23 : बड़ी उम्र की महिलाओं के जीवन की सबसे गंभीर घटना (स–106)

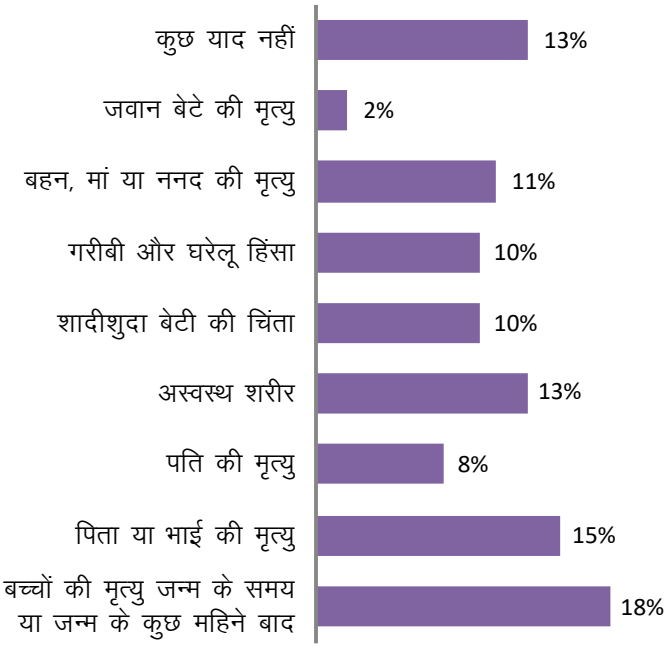

विवाहित युवतियाँ और लिंग आधारित कार्य विभाजन

यह पूरी तरह से पहले ही स्थापित हो चुका कि महिलाओं और लड़कियों द्वारा लंबे समय तक किए जाना वाला काम जिसको न कोई महत्व देता है और न ही उसकी आर्थिक उपयोगिता को समझा जाता है, न सिर्फ महिलाओं को पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर बना देता है बल्कि उनके जीवन में और कोई विकल्प भी नहीं छोड़ता। विवाहित लड़कियों के अनुभव इसी सत्य को दर्शाने वाले थे। जहाँ अधिकतर युवतियाँ ससुराल में घर और खेत के कमर तोड़ देने वाले काम कर रही थीं। गरीब परिवारों में उन पर मजदूरी का एक और बोझ भी था। यह सही है कि लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि वे बिना शिकायत किए लगातार काम करें (स्कूल जाने के साथ–साथ)। फिर भी इस अध्ययन ने यह पुर्नस्थापित किया कि काम का बोझ और स्वभाव दोनों ही ससुराल में काफी बहुत बदल जाते हैं तथा कई गुना बढ़ जाते हैं। शादी तय होने के बाद, ससुराल वाले लड़की के परिवार पर लगातार दबाव बनाते हैं कि उसे शादी कर ससुराल भेज दे क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़की का श्रम अब उनके लिए है। ससुराल वाले उसके शारीरिक और प्रजनन, दोनों ही श्रमों को पूरी तरह से इस्तेमाल और नियंत्रित करते हैं जिसमें महिलाओं को इस "पितृ सत्ता के तोल मोल" में शायद ही कोई मौका होता है। जैसा कि पहले भाग में दर्शाया गया है कि नववाहित लड़कियाँ और बड़ी उम्र की महिलाएँ भी अपने पति से ज़्यादा सास से डरती थीं। ससुराल न सिर्फ एक बिलकुल नई और अजनबी जगह होती है उनके लिए बल्कि वहाँ वे अपनी सास की सख्त निगरानी में भी रहती है जो उनसे काम करवाने और अनुशासित करने की भूमिका अदा करती हैं। नीचे दी गई लक्ष्मी की कहानी एक उत्साहित करने वाली कहानी है जो पढ़ाई और रोजगार के जरिए और लड़कियों के लिए नए दरवाजे खोलने एवं मौके बनाने की संभावना को जन्म देती है। यह कहानी हर लड़की का एक ही भविष्य हो, इसका विकल्प भी देती है।

विवाहित युवतियों से, शादी से पहले के काम पूछे गए तो उन्होंने कुछ इस तरह के काम गिनाए–पानी लाना, गाय/भैंस का दूध निकालना, गोबर इकट्ठा करना, गाय/भैंस की जगह साफ करना, घर के पालतू जानवरों को खाना देना, खेतों पर काम करना, छोटे भाई–बहनों की देखभाल, घर के बीमार व्यक्ति की देखभाल, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ईंधन इकट्ठा करना और बाजार से सामान लाना। शादी के बाद उनमें से कुछ कामों की गहनता और अनुपात कहीं ज़्यादा बढ़ गया। जैसे–जानवरों का दूध निकालना, गोबर इकट्ठा करना, गाय भैंस के रहने की जगह साफ करना, जानवरों को चारा डालना, खेतों पर काम, ईंधन इकट्ठा करना, मजदूरी और बाजार संबंधी काम (रेखाचित्र–24) ये काम उनके घर शादी से पहले करने वाले कामों के अलावा थे। ज़्यादा मेहनत वाले काम और घर की बदतर आर्थिक स्थिति के कारण उन पर ससुराल आने के बाद काम का बोझ बहुत अधिक बढ़ गया था। युवतियों ने बताया कि बीमार पड़ने पर भी उन्हें लगातार काम करना पड़ता था और घर के दूसरे सदस्यों से बहुत ही कम मदद मिलती थी।

लक्ष्मी की कहानी

लक्ष्मी की शादी तय हो गई थी जब वह 3 साल की थी और शादी 8 साल में उसकी बहनों के साथ एक सामूहिक शादी के समारोह में हुई थी। दसवीं में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। इसके अलावा गाँव के बावजी और उसके अभिभावकों ने भी उसे पढ़ाई छोड़ने की सलाह दी थी। वह इस बात से शर्मिन्दा भी थी कि सभी भाई–बहनों में वह ही थी जो कि दसवीं पास नहीं कर पाई थी। शादी होने के बाद भी लक्ष्मी अपने घर में ही रहती थी क्योंकि उसके पिता उसकी पढ़ाई को समर्थन देते थे और साथ भी। पर लक्ष्मी पर ससुराल जाने का दबाव बढ़ता जा रहा था लेकिन वह वहाँ नहीं जाना चाहती थी। जब कभी भी अपनी ससुराल गई चाहे थोड़े समय के लिए भी, तो भी उस पर पूरे घर का काम आ जाता था। घर की सफाई, बर्तन, पशुओं की देखभाल, उनका चारा–पानी लाना, खाना बनाना, कपड़े धोना वगैरा। हर बार ससुराल से वापस आकर बिलकुल ऊर्जाहीन हो जाती थी। उसके ससुराल वाले उसकी शिक्षा को जारी रखने के जरा भी समर्थक नहीं थे और न ही उसके किसी रोजगार में जाने के। वो चाहते थे कि वह ज़ल्दी बच्चे पैदा करे और घर को संभालें।

सुसराल वाले लक्ष्मी के अपने घर रहने का भी बहुत विरोध करते थे क्योंकि उन्हें डर था कि वह उनकी इज्जत खराब कर रही थी। लक्ष्मी का पति भी उस समय दसवीं में पढ़ रहा था और उसे लगा कि कम से कम वह तो समझेगा कि लक्ष्मी अपनी पढ़ाई क्यों जारी रखना चाहती थी। उसे अपने सास–ससुर से बहुत ही कम उम्मीद थी। लक्ष्मी चाहती थी कि यह शादी किसी तरह खत्म हो जाए लेकिन उसे डर था कि अगर ऐसा हुआ तो शादी तोड़ने के एवज में जो मुआवजा देना पड़ेगा, वह उसके माता–पिता कभी नहीं भर पायेंगे। लक्ष्मी ने अध्ययनकर्ता से कहा कि "भगवान का शुक्र है कि शिक्षा जैसी चीज मौजूद है जिसके बिना सारी लड़कियाँ शादी करके उस उम्र में अपनी पूरी ज़िंदगी ससुराल में काम करते–करते दुःखों के साथ बिताने पर मजबूर होतीं।

रेखाचित्र 24 : विवाहित युवतियों पर काम का बोझ शादी से पहले और बाद में (स–218)

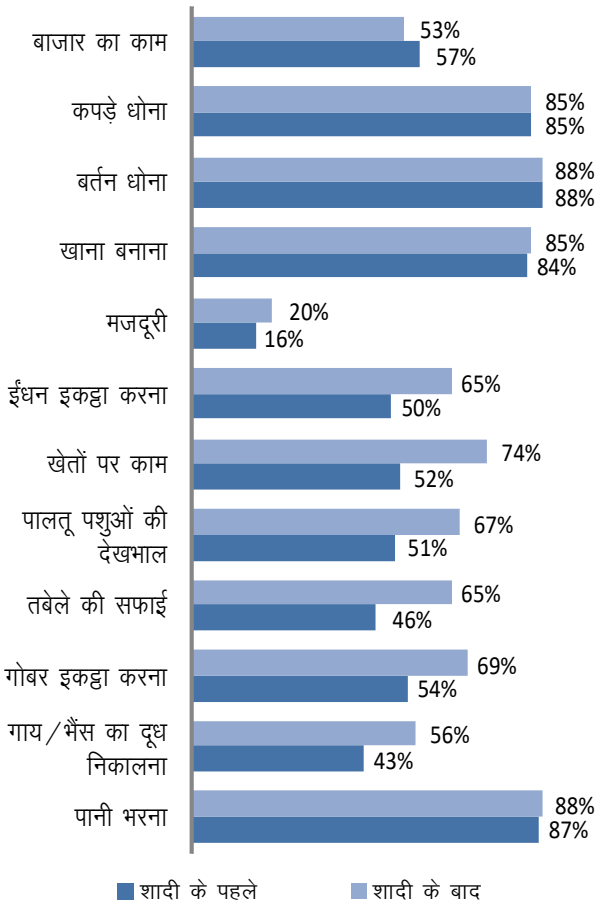

यह पूछने पर कि क्या आदमियों पर भी इसी तरह का दबाव है इस पर युवतियों ने जवाब दिया–''वो बाहर काम करते हैं और घर आ जाते हैं।'' जब अध्ययनकर्ताओं ने लड़कों से पूछा कि ये नवशादीशुदा युवतियाँ भी खेतों पर काम करती हैं तो सभी आदमियों ने वहीं कहा जा एक आदमी की सोच थी–हाँ पर वो तो औरतें हैं, ''सही कहा न मैंने।''

यूँ तो औरतों के घर के कमर तोड़ काम उनके जीवन का अधिकांश समय और ऊर्जा ले लेते हैं लेकिन समाज में इन कामों का कोई महत्व नहीं और न ही औरतों के लिए सम्माननीय जगह। पर यह स्थिति नवविवाहित युवतियों के संदर्भ में और भी अधिक शोषणकारी हो जाती है क्योंकि ये कम उम्र की किशोरी–लड़कियाँ हैं जिन पर इतना ज़्यादा बोझ आ जाता है।

शादी तोड़ने के आर्थिक प्रभाव

आमतौर पर कम उम्र की विवाहित लड़कियाँ शोषण और नियंत्रण की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाती हैं क्योंकि शादी की प्रथा में एक सोची–समझी आर्थिक सौदेबाजी भी शामिल होती है। हालाँकि शादी लड़कियों के लिए सुरक्षा का छलावा मात्र होती है, लेकिन अगर वे शादी तोड़ने की कोशिश करें तो लड़कियों और औरतों पर उसके बहुत ही खतरनाक आर्थिक प्रभाव होते हैं।

इस अध्ययन के दौरान हमने महिलाओं से शादी टूटने या खत्म हो जाने के कारण और प्रक्रियाएँ भी पूछीं। 107 महिलाएँ जिन्होंने इस सवाल का जवाब दिया उनके अनुसार शादी तोड़ने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है खासतौर पर उस पक्ष को जिसकी गलती साबित हो जाए। शादी को खत्म करने के एवज में जुर्माना, सजा और पैसे का भुगतान करना पड़ता है। ऐसे मामलों में जहाँ पति–पत्नी के बीच झगड़ा होता है या वो एक साथ नहीं रह सकते, उन मामलों में उन्हें 50,000 से लेकर 5,00,000 तक कुछ भी जुर्माना भरना पड़ सकता है। कुछ बड़ी उम्र की महिलाओं के अनुसार गलती किसकी है इसका फैसला जाति–पंचायत करती है। वह यह फैसला सबकी बात सुनने और सबूत के बाद करती है। मुस्लिम समुदाय की औरतों ने बताया कि शादी खत्म होने की दशा में शादी के समय तय राशि "मेहर" (शादी के समय वर पक्ष द्वारा स्वीकृत राशि) लड़के के घरवालों को वापस करनी पड़ती है।

सिर्फ 17 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि लड़के वालों को जुर्माना देना चाहिए यदि पति की गलती साबित हो जाए। कुछ महिलाओं का कहना था कि जुर्माने की राशि अब पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई हैं। आमतौर पर यह समझ है कि अधिकतर पति ही शादी तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, औरतें बहुत ही कम शादी तोड़ती हैं। जैसा कि एक महिला ने समझाया–''जो औरत अपनी शादी तोड़कर निकलती है उसे तो मरा हुआ ही समझो।'' कुछ मामलों में कानूनी रूप से भी तलाक माँगा जाता है और जुर्माना भी नहीं देते।

एक महिला ने एक घटना याद करते हुए बताया कि एक बार जब लड़के वालों के बार–बार कहने पर भी लड़की वाले अपनी बेटी को ससुराल नहीं भेज रहे थे, तो बाद में पता चला कि लड़की की शादी कहीं और हो गई थी और वह वहाँ रह रही थी। तब लड़के वाले यह मामला जाति पंचायत में ले गए जहाँ लड़की वालों को 40,000 का जुर्माना भरना पड़ा।

शादी तोड़ने के ज़्यादातर मामलों में निर्णय पति द्वारा किए गए थे जहाँ वे या तो उस पत्नी के साथ रहना नहीं चाहते थे या किसी और से रिश्ता बना लिया था। एक महिला ने बताया कि उसका दामाद उसकी बेटी को पसंद नहीं करता था इसलिए उसने शादी तोड़ दी। महिला के परिवार वालों को 50,000 जुर्माना मिला लड़के वालों से। एक और मामले में जहाँ औरत ने अपने पति से रिश्ता खत्म कर लिया क्योंकि वह शराब बहुत पीता था, औरत को 60,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ा।

कभी–कभी शादियाँ इसलिए भी टूट जाती है क्योंकि दोनों परिवारों के बीच अनबन हो जाती है। एक महिला ने बताया कि उसकी पहली शादी जब वह 10 साल की थी, वह टूट गई थी क्योंकि उसके पिता ने उसके होने वाले ससुर से झगड़ा कर लिया था। फिर उसकी शादी किसी दूसरे परिवार में की गई जब वह 15 साल की थी। यह स्पष्ट दर्शाता है कि लड़कियों को अपनी ज़िंदगी के फैसलों पर कोई इख्तियार नहीं है। उसके घर वाले और ससुराल वाले जैसे चाहे उस पर नियंत्रण करते हैं और उनके बीच यदि तनाव हो तो उसका असर भी लड़की पर पड़ता है। कुछ मामलों में घरेलू हिंसा को भी शादी टूटने का पीछे का कारण बताया गया।

कुल मिलाकर बड़ी उम्र की महिलाओं के बीच यह सह स्वीकार्यता थी कि शादी टूट भी सकती है और नए रिश्ते बनाये जा सकते हैं। (रेखाचित्र–25)।

रेखाचित्र 25 : शादी का टूटना और बड़ी उम्र की महिलाएं (स–107)

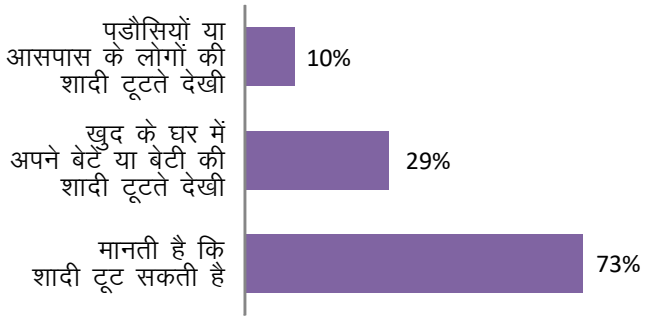

ये साक्षात्कार शादी के एक महत्वपूर्ण पहलू की ओर इशारा करते हैं चाहे वह मुस्लिम समुदाय में हो या हिन्दुओं में – शादी का टूटना कोई असंभव घटना नहीं है लेकिन फिर भी लड़कियों का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। जाति पंचायत के पास जो ताकत है उसे वे मनमाने तौर पर इस्तेमाल करते हैं और समुदाय में जाति आधारित रिश्ते अभी भी सत्ता निर्धारित करने के मुख्य स्त्रोत हैं।

दूसरी शादी अथवा नाता

नवविवाहित युवतियों के पास क्या विकल्प होते हैं जब उनकी शादी टूट जाती हैं?अध्ययन क्षेत्र में कुछ बड़ी उम्र की औरतें तो दूसरी शादी या अनौपचारिक रिश्ते जिसे 'नाता' कहा जाता है, में गई थीं औरतें जब उनकी शादी जो बहुत बचपन में हुई थी नहीं चली।

यहाँ जो जानकारी अध्ययन से मिली उसके आधार पर कहा जा सकता है कि 'नाता' कम सम्माननीय रिश्ता माना जाता है क्योंकि यह ''असली शादी'' नहीं है। चंगेड़ी गाँव के चुनाव में जीत कर आई उपसरपंच ने बताया कि आदमी दूसरी शादी कर सकते हैं लेकिन औरतें नहीं, इसलिए वे नाता जैसे रिश्तों में जाती है जो एक तरह के समझोते होते हैं। उन महिलाओं से जब कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा–यहाँ ऐसे ही होता है, औरतें दूसरी शादी नहीं कर सकतीं, सिर्फ आदमी कर सकते हैं।

शादी तोड़ने के जुर्माने को भी महिलाओं ने आदमियों के ही फायदे के रूप में रखा। उनके अनुसार जब आदमी "नाता" या दूसरी शादी के लिए औरतों के साथ रिश्ता बनाते हैं तो भी उन्हें पत्नी को पैसे देने पड़ते हैं। "बिना पैसों के वो घर कैसे चलाएंगी।" लेकिन अगर औरत शादी तोड़कर "नाता" या दूसरी शादी में जाना चाहती है तो, दूसरे पति, पहले पति को पत्नी का हर्जाना भरते हैं। 'नाता' प्रथा की सोच या "नाता प्रथा" का प्रचलन अधिकतर महिलाओं को अपने निर्णयों पर नियंत्रण नहीं देता जबकि वे सिर्फ एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच उनकी अदला–बदली होती रहती हैं। अध्ययनकर्ताओं ने कई महिलाओं से बातचीत की जो कि तलाक, छोड़ने या विधवा होने के बाद नाता प्रथा में आई थीं। इनमें से अधिकतर मामलों में रिश्ते की नाजुकता और कमजोरी की बात हुई जबकि महिलाओं ने इन रिश्तों से खुद के पास अधिक एजेंसी होना माना।

नाता शादी से अलग प्रथा है क्योंकि इसमें न तो फेरे होते हैं और नही आग के पास सात वचन लिए जाते हैं (पंचोली और हेमाद्री 2006) नाता प्रथा में पैसे का लेन–देन होता है जिसमें आदमी, उस औरत के घर वालों (अधिकतर उसके पति) को पैसे देता है जिसके साथ वह रहना चाहता है। आमतौर पर नाता आपसी समझ के साथ किया जाता है जिसमें आदमी और औरत दोनों के घर वालों के बीच और औरत की भी रजामंदी होती है। लेकिन फिर भी औरत और उसके घर वालों के लिए यह शर्म की बात होती है। इस रिश्ते के ज़रिए

पप्पूरी की कहानी

40 साल की भील महिला पप्पूरी नाता प्रथा में आई क्योंकि उसे अपने पाँच बच्चों को पालना था। जिस भील आदमी के साथ वह 'नाता' में आई वह पहले से शादीशुदा था लेकिन उसे अपने खेतों पर काम करने के लिए मदद चाहिए थी और ज़ल्द एवं बाल विवाह के विपरीत जहाँ रिश्ते और शादियाँ माँ–बाप या रिश्तेदारों द्वारा की जाती है, नाता प्रथा में वयस्क व्यक्ति आपस में मिलकर साथ रहने या शादी करने का फैसला करते हैं।

अक्सर जब आदमी ''नाता'' रिश्ता बनाते हैं तो उसकी पत्नी को शादी टूटने का नुकसान सहना पड़ता है।

राधा की कहानी

31 साल की राधा की कहानी दूसरी औरतों से काफी अलग थी। उसकी दो बार शादी हो चुकी थी। उसने अपने पहले पति को छोड़ दिया था जिससे उसके दो बच्चे भी थे क्योंकि वह बहुत शराब पीता था और हिंसक भी था। अभी वो वर्तमान पति के साथ वासनीखुर्द में रह रही थी। उसके पति की भी यह दूसरी शादी थी। दूसरी शादियों से भिन्न वह शादी दो प्रौढ़ व्यक्तियों का निर्णय था, जो एक–दूसरे के साथ रहने को राजी थे। हालाँकि राधा के घर वालों ने इस रिश्ते के कारण उससे मुँह मोड़ लिया था। राधा को यह रिश्ता टूट जाने का भय था। राधा का पति ड्राईवर था और उनका रिश्ता मुश्किल में था क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे। वो इसके लिए राधा को दोषी ठहरा रहा था और किसी जवान लड़की से शादी की धमकियाँ दे रहा था।

कंचन की कहानी

दो बच्चों की माँ कंचन अपने पति से ज़्यादा पढ़ी–लिखी थी क्योंकि वह स्कूल नहीं गया था। अपनी बहनों के साथ हुई सामूहिक शादी के समय वह सिर्फ तीन साल की थी, सभी लड़कियों में सबसे छोटी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और टेलरिंग (सिलाई–कटाई) का एक साल का प्रशिक्षण भी किया, ससुराल जाने से पहले। वह 19 साल की उम्र में ससुराल गई। क्योंकि कंचन और उसके माता–पिता राजस्थान के गाँव में नहीं बल्कि अहमदाबाद शहर में रहते थे शायद इसीलिए यह संभव हो पाया। पति के घर आने के तुरन्त बाद ही वह गर्भवती हो गई इसलिए आगे पढ़ाई या कोई और कोर्स जो वो करना चाहती थी, वह नहीं हो सका। हालाँकि उसका पति चाहता था कि वह यह आगे ट्रेनिंग करे और पढ़े लेकिन उसे डर था कि ऐसा करने पर वह अपने पति पर बच्चों और घर का बोझ डालेगी, इसलिए उसने आगे इन प्रशिक्षणों को न करने का फैसला लिया। पति के पढ़े–लिखे न होने के बावजूद कंचन को कोई शिकायत नहीं है क्योंकि उसका मेहनती होना, शराब न पीना और उसके प्रति हिंसक न होना ही काफी है। शहर में रहने वाली लड़की एक ऐसे आदमी से शादी करके रह रही थी जो उसकी तुलना में न सिर्फ बिलकुल पढ़ा–लिखा नहीं थी बल्कि अन्य मायनों में भी उसकी स्थिति कंचन से कमतर थी, इसका एक कारण यह भी हो सकता था कि यह उसकी दूसरी शादी यानि ''नाता'' था।

औरत का श्रम और प्रजनन शक्ति दोनों ही उस परिवार के नियंत्रण में आ जाता है जो उसके लिए राशि अदा करते है। ये औरतें अधिकतर वे होती हैं जिनके पति की मृत्यु हो गई हो या पति ने छोड़ दिया हो।

नाता प्रथा का महत्व लड़कियों और औरतों के जीवन की उन सीमाओं की तरफ इशारा करता है जहाँ राजस्थान के पितृसत्तात्मक समाज में औरतों और लड़कियों के पास शादी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अधिकतर औरतें अपनी शादी से बाहर नहीं निकल पाती चाहे उनमें कितना भी शोषण हो। लेकिन उन्हें पति छोड़ देते हैं, कारण कुछ भी हो सकता है – शिक्षा की कमी, परिवार वालों का सहयोग न मिलना, विधवा होने पर भेदभाव और वंचित करना, रोज़गार की कमी या ससुराल वालों का औरत के प्रति जिम्मेदार न होना। कम उम्र में शादी हो जाने पर औरतों के पास और कोई रास्ते नहीं होते, वे शादी के तहत (चाहे किसी भी तरह की हो) ज़िंदगी बिताने के लिए मजबूर होती हैं।

अगला भाग राजस्थान के उन युवा लड़कों/आदमियों के अनुभवों को समेट रहा है जो ज़ल्द विवाह के अनुभवों से गुजरे थे।

भाग 3

विवाहित युवकों के विचार

राजस्थान में **ज़ल्द विवाह** लड़कियों के साथ–साथ लड़कों को भी प्रभावित करता है। लेकिन युवा विवाहित लड़कों पर अध्ययन बहुत कम हुए हैं। इस अध्ययन में 51 युवा विवाहित लड़कों का साक्षात्कार किया गया जिनके जरिए उनके अनुभव और उम्मीदों को समझने का प्रयास किया गया। आमतौर पर कहें तो ज़ल्द विवाह युवा लड़कों को अनुशासित करने और उन्हें जाति एवं समुदाय के दायरों में ही रखने और जेंडर की सीमाएँ बाँधने की प्रक्रिया हैं।

वे युवा लड़के जिनका किशोरावस्था में विवाह हो गया था, वे एक समय के बाद अपनी शिक्षा को जारी रखने में असमर्थ थे और रोजगार के अवसर भी उनके लिए अत्यधिक सीमित थे। ज़्यादातर युवाओं ने कहा कि अपने ऊपर ''घर चलाने वाले'' व्यक्ति के रूप में बहुत दबाव महसूस करते हैं और इतनी कम उम्र में उन पर परिवार की जिम्मेदारी आ जाने से उनकी सत्ता भी काफी कम थी।

सुरेश की कहानी

सुरेश 22 साल का राजपूत युवा है जो कि ओगणाखेड़ा में रहता है। उसकी शादी 2002 में हो गई थी जब वह 8 साल का था और तीसरी कक्षा में पढ़ता था। वह खेतों पर काम करता था और अब उसका छोटा–सा दूध का धंधा था। उसकी 18 महीने की एक बेटी थी। उसे लगता है कि उसे अपनी ख्वाहिशों को त्यागना पड़ेगा क्योंकि उस पर परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं। उसे स्कूल छोड़ने का पछतावा है लेकिन अब उसने अपनी परिस्थिति से समझौता कर लिया है। उसके अनुसार ''मैं अपने माता–पिता के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी इच्छाएँ पूरी करना मेरा फर्ज हैं।'' बेटा होने के नाते यह उसका धर्म है।

50 प्रतिशत से ज़्यादा युवा, जो अध्ययन में शामिल हुए वे 19–21 साल के थे और 20 प्रतिशत, 16 से 18 साल के उनमें से अधिकतर ने उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी की थी और पिछले एक साल से खेतों पर या दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहे थे। लगभग 25 प्रतिशत युवाओं का कम से कम एक बच्चा था, जबकि कुछ के 2 बच्चे भी थे (रेखाचित्र 26–29) यह पूछने पर कि शादी से पहले उनके क्या सपने थे, आधे से थोड़े ज़्यादा लोगों ने कहा कि उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं और लगभग 25 प्रतिशत लोगों ने सामान्य–सा जवाब दिया जैसे–अच्छी नौकरी। यह पूछने पर कि भविष्य के लिए उनके क्या सपने हैं तो अधिकतर उत्तरकर्ताओं ने कोई निश्चित जवाब न देकर आमतौर पर ''अच्छी'' या ''सामान्य'' जीवन जीने को अपनी ख्वाहिश के तौर पर जाहिर किया (रेखाचित्र–30 और 31)। ये विवाहित युवा, गरीब परिवारों से थे जिनके पास न शिक्षा थी और न ही अच्छे रोजगार या उसके अवसर। ज़ल्द शादी ने उनकी जिन्दगी का वर्तमान और भविष्य तभी गढ़ दिया था जब वे किशोर थे। एक तरह से ये युवा जबरन प्रौढ़ बनने और फिर पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के चक्रव्यूह में फँसे हुए थे।

रेखाचित्र 26 : युवा विवाहित लड़कों की प्रोफाईल

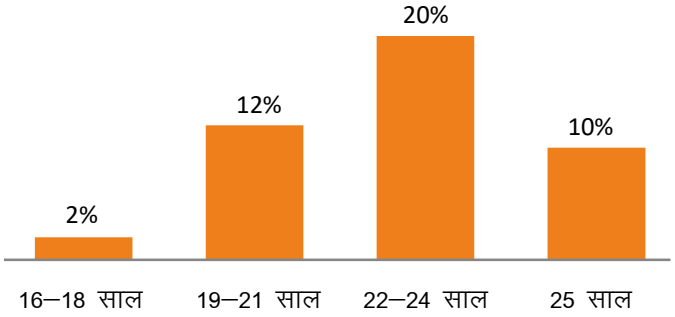

रेखाचित्र 27 : युवा विवाहित लड़कों की शिक्षा की स्थिति

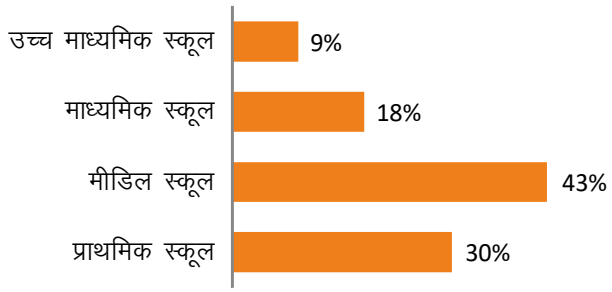

रेखाचित्र 28 : पिछले 12 महिनों में आजीविका का मुख्य साधन

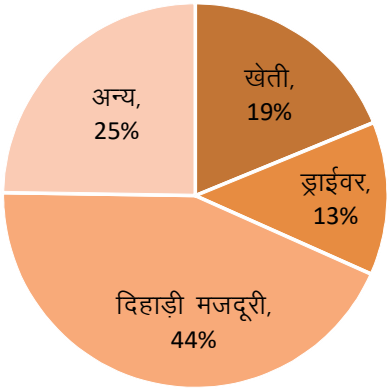

रेखाचित्र 29 : युवा विवाहित लड़के जिनकी कम से कम एक संतान है

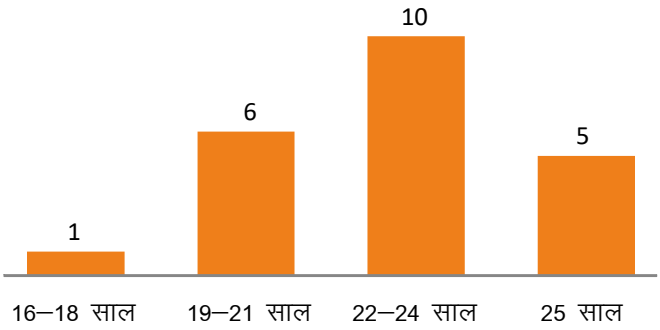

रेखाचित्र 30 : युवा विवाहित लड़कों की शादी से पहले की ख्वाहिशें

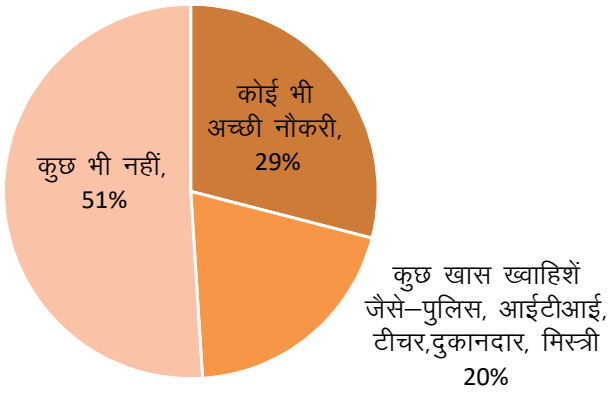

रेखाचित्र 31 : युवा विवाहित लड़कों की भविष्य की ख्वाहिशें

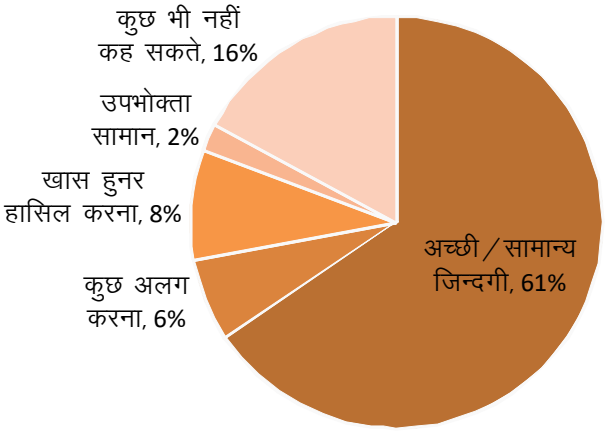

मर्दानगी के विचार

अधिकतर लड़के जिनके साथ अध्ययन हुआ उन्होंने कहा कि शादी करने का उन पर कोई दबाव नहीं था लेकिन शादी के निर्णय में उनके पास कोई अधिकार नहीं था। ज़ल्द शादी जबकि उनकी ज़िंदगी का सामान्य हिस्सा है फिर भी शादी के समय उन्हें काफी डर और घबराहट का अहसास था। शादी के बाद भी उन्हें परिवार का बोझ महसूस होता है। अधिकतर युवाओं ने शादी के संदर्भ में परंपरागत ग्रामीण मर्दानगी की बातें ही रखी जैसे शारीरिक ताकत और घर के लिए कमाने वाले की भूमिका इत्यादि। लेकिन फिर भी अधिकतर युवाओं ने कहा कि घर के निर्णयों में उनके मत का ज़्यादा महत्व नहीं है क्योंकि घर के बड़े ही सब फैसले करते है। आधे से ज़्यादा विवाहित लड़कों ने कहा कि वे अपने माता–पिता की इच्छाओं के विरुद्ध नहीं जा सकते।

जगदीश की कहानी

18 साल का जगदीश बंजारा समुदाय से है। उसकी शादी 4 साल पहले हो गई थी जबकि वह आठवीं कक्षा में था। उस समय उसे शादी को लेकर काफी डर और घबराहट थी जिसके बारे में उसने अपने शिक्षकों से भी बात की थी। शिक्षकों ने उसे समझाया लेकिन उसके पारिवारिक निर्णयों में कुछ न कर पाने की असमर्थता भी जताई। अभी फिलहाल उसकी पत्नी दसवीं कक्षा में है और वह बारहवीं कक्षा में। वह चाहता है कि दोनों अपनी स्कूल पूरी करके आगे भी पढ़ाई करें। वह अपनी पत्नी से कभी–कभी मिलता है जब वह त्यौहारों पर ससुराल आती है। उसे इस व्यवस्था से कोई परहेज नहीं है। लेकिन जैसे–जैसे वह स्नातक पूरी करने के करीब जा रहा है परिवार से दबाव बढ़ता जा रहा है कि वह पत्नी को घर ले आए। उसके समुदाय में सभी लोग उसके माता–पिता पर दबाव बना रहे कि शादीशुदा लड़की मायके में कैसे रह रही है। लेकिन जगदीश को लगता है कि उसकी पत्नी के आ जाने से उसकी शिक्षा और आगे के कैरियर पर नकारात्मक असर पड़ेगा। उसके समुदाय के ज़्यादातर लड़के शादी के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं और या कुछ रोजगार प्रशिक्षण करते हैं या कुछ काम–धंधा। सब यह चाहते हैं कि वह भी कुछ ऐसा ही करें।

इस आधार पर कहा जा सकता है कि चाहे युवक विवाह के लिए तैयार न भी हो तो समुदाय का दबाव और आसपास सभी लोगों के एक जैसे अनुभव के अनुसार उन्हें ज़ल्द शादी एक सामान्य घटना के रूप में ही नजर आती है। लगभग आधे युवकों ने यह माना कि उनकी शादी में उन्हें न तो निर्णय लेने का और न ही अपनी पसंद का अधिकार था। (रेखाचित्र–32) कुछ युवा विवाहित अपनी पत्नियों को घर लाने में जितनी हो सकें, देरी करना चाहते थे जैसे कि जगदीश। क्योंकि अगर वो अभिभावकों के दबाव में आ गए तो उनकी अपनी शिक्षा जारी रखने में काफी दिक्कत होगी।

या शायद छोड़नी ही पड़ जाए। कुछ आर्थिक रूप से संपन्न और जीवन में कुछ पाने की ख्वाहिश रखने वाले लड़कों के लिए ज़ल्द शादी आकर्षक नहीं थी।

रेखाचित्र 32 : युवा विवाहित लड़कों की शादी के प्रति भावनाएं

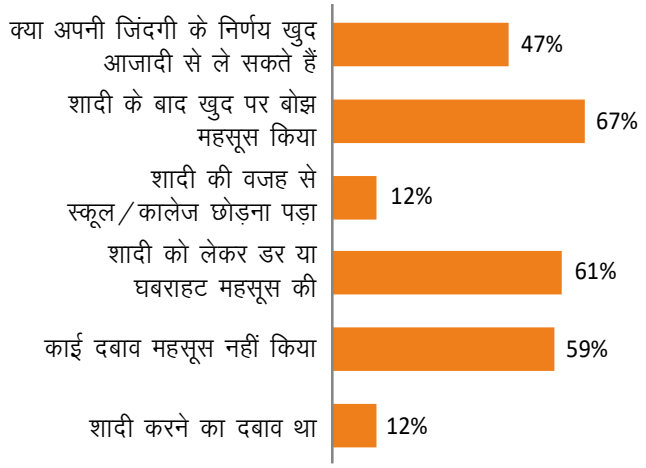

मर्दानगी के प्रचलित विश्वास और समझ, युवकों के गर्भधान और गर्भपात संबंधी विचारों में जटिलता और विरोधाभास प्रस्तुत करते थे। ज़्यादातर युवकों ने माना कि कितने बच्चे हो और कब हो यह पति–पत्नी का संयुक्त फैसला होना चाहिए फिर भी अधिकतर युवा विवाहित लड़कों का कहना था कि गर्भधान न हो यह औरत की जिम्मेदारी है और अगर औरतें यह उम्मीद करे कि आदमी गर्भनिरोधकों का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें यह बहुत आपत्तिजनक लगेगा। कुछ युवा विवाहितों ने शादी के बाहर भी लड़कियों या महिलाओं से रिश्ता होने की बात कही। कई लोगों ने दूसरी शादी करने या शादी के साथ–साथ बाहर रिश्ता भी बनाये रखने की इच्छा जाहिर की। लेकिन अधिकतर आदमी गर्भनिरोधक के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते थे।

ज़्यादातर विवाहित युवक दो से ज़्यादा बच्चे नहीं चाहते थे। उनमें से कुछ को पुरुष नसबंदी के बारे में भी पता था। पर इनमें से बहुत ही कम, इसका इस्तेमाल बच्चे रोकने के लिए तैयार थे क्योंकि अधिकतर का मानना था कि नसबंदी से उनकी मर्दानगी पर असर पड़ेगा (रेखाचित्र–33)।

47 प्रतिशत

युवा विवाहित लड़कों का कहना था कि गर्भधान न हो यह औरत की जिम्मेदारी है

रेखाचित्र 33 : युवा विवाहित लड़कों की बच्चों और गर्भ निरोधक पर प्रतिक्रिया

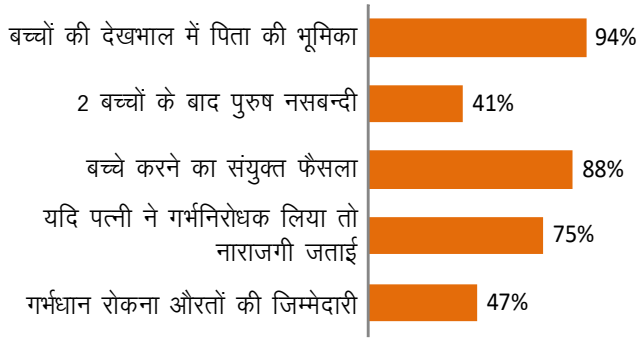

यह पूछने पर कि शारीरिक ताकत क्या मर्द होने का ज़रूरी हिस्सा है, इस पर ज़्यादातर विवाहित युवकों ने सहमति जताई। आधे से ज़्यादा युवकों का मानना था कि आदमी को हमेशा चीजें अपने नियंत्रण में रखनी चाहिए और घर पर होने वाले सभी निर्णयों में आखिरी फैसला आदमी का ही माना जाना चाहिए। परिवार की इज्ज़त सभी युवकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। कुछ ने यहाँ तक कहा कि परिवार की इज्जत बचाने के लिए यदि हिंसा का सहारा भी लेना पड़े तो ठीक है। सभी युवकों ने एक स्वर में कहा कि अपने माता–पिता की बात सुनना उनका कर्त्तव्य है। बहुत ही कम युवाओं ने यह कहा कि उन्हें लगता है कि वे खुद के बारे में स्वयं निर्णय ले सके (रेखाचित्र–34)।

रेखाचित्र 34 : युवा विवाहित लड़कों के मर्दानगी से जुड़े विचार

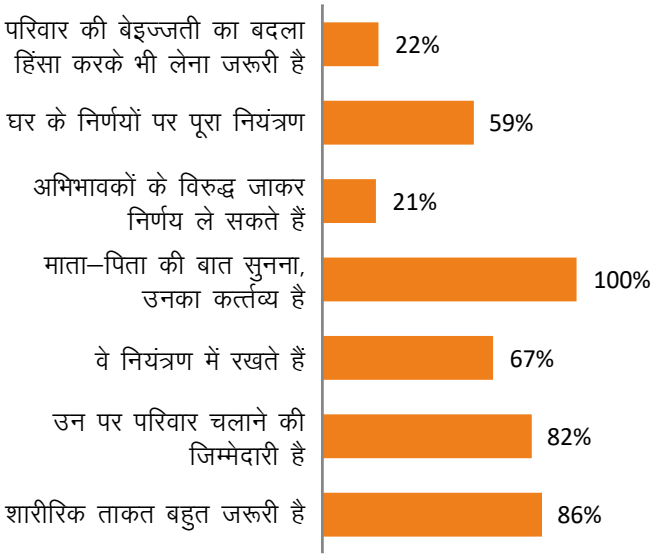

यह पूछने पर कि परिवार में महिलाओं की भूमिका क्या होती है, आधे से ज़्यादा युवकों ने ज़ोर देकर कहा कि उनका काम – घर संभालना, बच्चे पालना, खाना बनाना इत्यादि होता

है। अधिकतर युवकों ने माना कि औरतों का अपने सास–ससुर के प्रति आज्ञाकारी होना ज़रूरी है। उनका यह भी कहना था कि अगर ज़रूरत पड़े तो औरतों को पशुओं का खेती काम भी ससुराल में करना चाहिए। 94 प्रतिशत युवकों ने कहा कि औरतों को अपने पति और ससुराल वालों के सामने ऊँची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। औरतों के बारे में अन्य जो परंपरागत विचार जो उन्होंने अध्ययनकर्ताओं के साथ बाँटे थे वे औरतों को अपने पति को खुश रखना चाहिए और पति की इजाजत के बिना घर से नहीं निकलना चाहिए। 71 प्रतिशत युवकों ने कहा कि औरतों को घर से बाहर काम नहीं करना चाहिए जबकि लगभग आधे लोगों का मानना था कि औरतों की खुद की आमदनी नहीं होनी चाहिए (रेखाचित्र–35)।

विवाहित युवकों के महिलाओं की भूमिका, जिम्मेदारियाँ और व्यवहार को लेकर जो विचार थे खासतौर पर ससुराल पति और ससुराल में संबंधियों के साथ, वह राजस्थान के जेंडर गैर–बराबरी पर आधारित समाज की छवि प्रस्तुत करने वाले थे, जो कि ग्रामीण राजस्थान की हकीकत है। यह बात और थी कि वे स्वयं ज़ल्द विवाह के शिकार थे, फिर भी युवा लड़कियों के साथ होने वाले अन्याय के प्रति वे अपने मर्दाना फायदों के चलते पूरी तरह से अनभिज्ञ थे।

रेखाचित्र 35 : युवा विवाहित लड़कों के महिलाओं की भूमिका

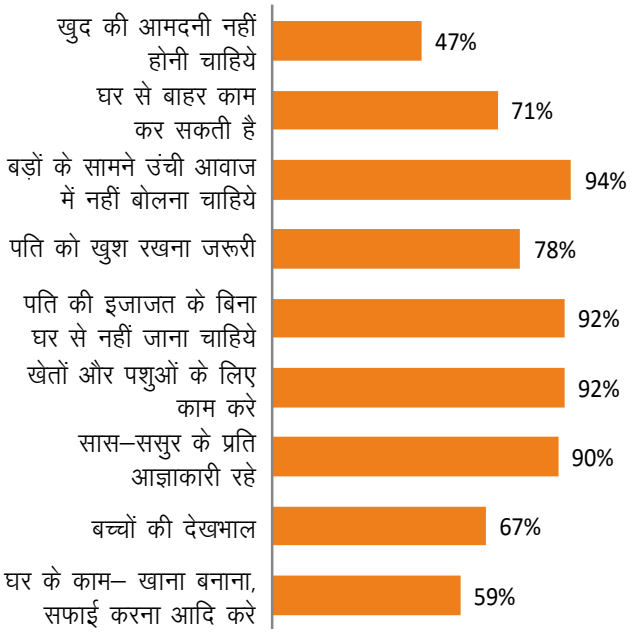

मर्दानगी, अधिकार और सत्ता

हालाँकि विवाहित युवकों ने भी शादी के संदर्भ में खुद के निर्णय न होने की बात कही, जो कि विवाहित युवतियों की भी सच्चाई थी, लेकिन फिर भी शादी संबंधी फैसलों पर उनके उत्तरों से लगा कि मर्दानगी और सामाजिक स्वीकृति के कारण, विवाहित युवकों को ज़्यादा अधिकार और सत्ता मिली हुई थी। उदाहरण के लिए मोरठ गाँव में कई युवकों ने अध्ययनकर्ताओं को बताया कि अगर उनकी मौजूदा पत्नी उन्हें खुश नहीं रख पाई तो वे दूसरी शादी कर लेंगे। अगर पत्नी उनकी बात न माने, उनका या उनके माता–पिता का अनादर करे या अगर उन्हें पसंद न हो तो वो शादी खत्म करने में जरा भी नहीं हिचकिचायेंगे। एक और गाँव में अध्ययनकर्ताओं ने एक लड़के से बात की जो कि अपनी पत्नी को घर लाने के लिए राजी नहीं था क्योंकि वह ''सुंदर नहीं थी।'' लड़के के माता–पिता जिन्होंने यह शादी करवाई थी वे अपने बेटे के निर्णय से सहमत थे।

हरलाल की कहानी

हरलाल 25 साल का है और दस साल से शादीशुदा है। उसने सातवीं तक पढ़ाई की है और दिहाड़ी मजदूरी पर काम करता है। वैसे उसने कई सालों से मेहनत की है लेकिन उसे नहीं लगता कि वह बेहतर रोजगार में जा सकता है क्योंकि उसकी पढ़ाई का स्तर बहुत ही कम है। वह अपने परिवार के कम उम्र में उस पर शादी का दबाव डालने का दोषी मानता है। उसने बताया कि उसके और पत्नी के बीच में बहुत से मनमुटाव हो गए थे इसलिए इसी साल उनका रिश्ता टूट गया था। उसके अनुसार अब वह अपनी पत्नी के साथ और ''समझौता'' नहीं कर सकता।

लालू की कहानी

लालू 17 साल का भील लड़का है जो कि आईसक्रीम बेचने का काम करता है। उसकी शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी और उसने सिर्फ पाँचवीं तक पढ़ाई की है। उसने कहा कि जब उसकी शादी हुई तो वह बहुत ही छोटा था, शादी का मतलब तक समझने के लिए। लेकिन यह निश्चित तौर पर जानता था कि उसे अपनी पत्नी पसंद नहीं थी इसलिए उसने अपने माता–पिता से दूसरी शादी करने के लिए कहा हुआ था।

घरेलू हिंसा विवाहित युवकों की नजर में कोई समस्या नहीं

अगर विवाहित युवतियाँ अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी न करें, जैसे घर के काम, खाना पकाना, बच्चों की देखभाल और सास–ससुर की इज्जत करना, तो विवाहित युवकों के अनुसार उन्हें अपनी पत्नी को मारने का पूरा हक है। ये बातें सुन रहे बुजुर्गों ने भी उसमें अपनी बात जोड़ते हुए कहा कि उन्होंने अपने बेटों को ''पत्नी को नियंत्रण में रखना'' सिखाया है। चँगेड़ी गाँव में अध्ययनकर्ता कुछ ऐसे भी प्रोढ़ों और बुजुर्गों से मिले जिन्होंने कहा कि ज़ल्द या बाल विवाह रोकना उनके रीति–रिवाज और जाति के खिलाफ है। उनके अनुसार अगर लड़के–लड़कियों की ज़ल्द शादी न की जाए तो उन्हें नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होगा (रेखाचित्र–36)।

रेखाचित्र 36 : युवा विवाहित लड़कों का हिंसा के प्रति नजरिया

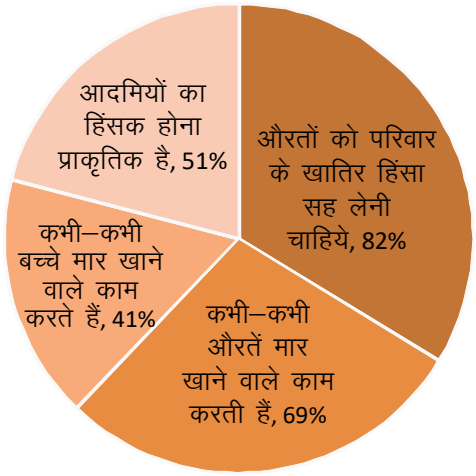

जेंडर समानता पर मिली प्रतिक्रियाओं में काफी विरोधाभास देखा गया। जहाँ एक तरफ विवाहित युवकों ने जेंडर समानता जैसे विषयों पर जानकारी होने का दावा किया और माना कि महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, हुनर विकास और राजनैतिक भागीदारी होनी चाहिए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि औरतों को अनुशासित करना ज़रूरी है और उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो जायज है।

कुल युवाओं में सिर्फ 25 प्रतिशत का मानना था कि औरतें के पास राजनैतिक पदों को संभालने की क्षमता नहीं होती, जबकि आधे से ज़्यादा युवकों को यह स्वीकार्य था कि उनकी पत्नी उनसे ज़्यादा पढ़ी–लिखी हो। लगभग सभी का मानना था कि औरतों के पास रोजगार से जुड़े हुनर होने चाहिए। लेकिन आधे से थोड़े ज़्यादा युवकों का यह भी मानना था कि पैसों से संबंधित फैसले औरतों के हाथ में नहीं होने चाहिए। जहाँ सिर्फ 50 प्रतिशत युवकों का कहना था कि आदमी प्राकृतिक रूप से हिंसक होते हैं वही अधिकतर आदमियों का यह कहना था कि घर बचाने की खातिर औरतों को हिंसा सह लेनी चाहिए। आधे से ज़्यादा युवकों का मानना था कि औरतों के साथ होने वाली हिंसा गलत नहीं है क्योंकि वे मार खाने वाले काम करती है। आधे से थोड़े कम लोगों ने स्पष्ट कहा कि बेटियाँ होने से बेहतर है कि बेटा होना और इसके बावजूद अधिकतर लोगों ने यह भी कहा कि वे जेंडर समानता के पक्षधर हैं।

रेखाचित्र 37 : युवा विवाहित लड़कों का औरतों की क्षमता के प्रति नजरिया

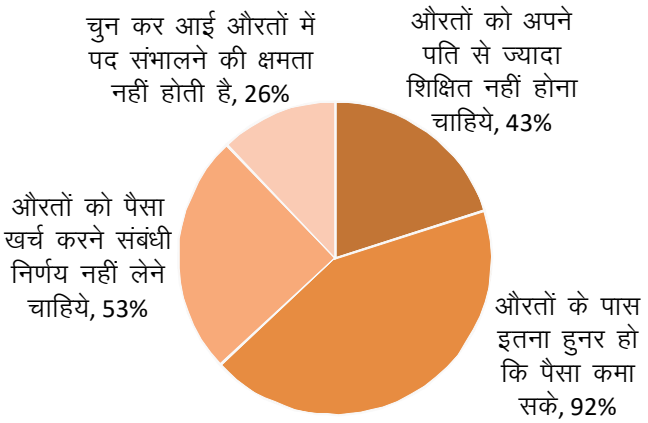

रेखाचित्र 38 : युवा विवाहित लड़कों का जेण्डर समानता के प्रति नजरिया

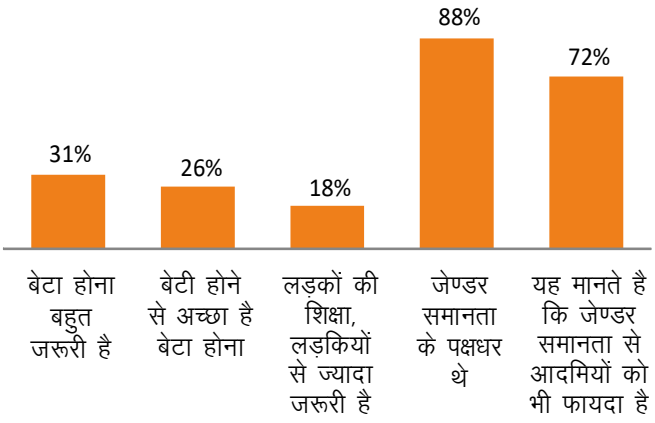

मर्दानगी का यह विचार कि औरतों को नियंत्रण में रखना चाहिए क्योंकि वे आदमियों के समान नहीं होती, इसके पीछे अशिक्षा, गरीबी और समाजीकरण को मुख्य कारणों के रूप में देखा गया है। एक ऐसा संदर्भ जहाँ बेटा होना, सबसे महत्वपूर्ण हैं, वहाँ लड़कियों का समाज में क्या स्थान होगा, समझा जा सकता है। ऐसे समाज में यदि ज़ल्द या बाल विवाह रोकने के लिए काम करना है तो युवा लड़कों को विकल्प देने होंगे। ऐसे रोल मॉडल बनाने होंगे जो इन विकल्पों को समाज में जेंडर समानता के लिए स्थापित कर सकें। लड़के–लड़कियों को आपस में बातचीत करने और एक–दूसरे के बारे में सुने–सुनाये रूढ़िवादी नज़रियों को तोड़ने के लिए उनके लिए "सुरक्षित जगहों" को भी बनाना महत्वपूर्ण होगा।

निष्कर्ष

ज़ल्द, बाल और जबरन विवाह लड़कियों के मानव अधिकारों का हनन है। बड़े पैमाने पर ये लड़कियों और औरतों के खिलाफ होने वाली हिंसा का एक स्वरूप भी है। यह समानता और सशक्तिकरण की उपलब्धियों को किसी हद तक कम करने और महिलाओं एवं लड़कियों के प्रति होने वाली गैर–बराबरी के लिए ज़िम्मेदार है। लगभग डेढ़ करोड़ लड़कियाँ हर साल इसकी गिरफ्त में आकर गरीबी, बीमारी और गैर–बराबरी के कभी न खत्म होने वाले चक्रव्यूह में फँस जाती हैं। राजस्थान, भारत के पश्चिम में बसा हुआ एक सुखाग्रसित राज्य है, जहाँ ज़ल्द और बाल विवाह बहुत बड़े पैमाने पर प्रचलित है और उसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वीकृति भी मिली हुई है। हर साल धार्मिक त्यौहारों के समय लाखों लड़के–लड़कियों की शादी करवाई जाती है।

विकल्प संस्थान राजस्थान में 2004 से काम कर रही है। युवाओं के साथ किए गए पहले के काम में यह निकलकर आया कि शादीशुदा युवतियाँ अपने अनुभवों के बारे में बात करना चाहती हैं लेकिन ससुराल और हिंसा के डर की वजह से वह बोल नहीं सकतीं। इन युवतियों के लिए उपयुक्त और आसानी से उपलब्ध होने वाली सुविधाएँ देने के मकसद से विकल्प ने इस अध्ययन की परिकल्पना की। अध्ययन के जरिए से नवविवाहित युवतियों के शारीरिक, मानसिक और यौनिक हिंसा के अनुभवों को समझकर उसके अनुसार उनकी मदद करने की रणनीति तैयार कर सकें। इसके जरिए से लड़कों और युवकों के मर्दानगी और हिंसा के संदर्भ में विचार और व्यवहार को भी समझने की कोशिश थी। इस रिपोर्ट में उस अध्ययन से निकले नतीजों को प्रस्तुत किया गया।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य कम उम्र में शादी हुई युवतियों और युवकों के अनुभवों को समुदाय की सोच, व्यवहार और मान्यताओं के संदर्भ में समझना, जिनका गहरा रिश्ता जाति, वर्ग और जेंडर से हैं।

सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों में ज़ल्द और बाल विवाह की प्रथा ज़्यादा प्रचलित है

यह अध्ययन समुदायों में किया गया वहाँ अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर थे और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे थे। सभी परिवारों के पास अपनी कुछ जमीन भी थी। लगभग 50 प्रतिशत परिवार अत्यधिक गरीब थे। यूँ तो कम उम्र में शादियाँ सभी जातियों में प्रचलित थी लेकिन शादी के समय सबसे कम उम्र अनुसूचित जनजाति (भील) समुदाय में पाई गई। शादीशुदा युवतियाँ कई आधारों पर वंचित हो रही थीं

चाहे वह आर्थिक कमियाँ हो, जेंडर आधारित असमानताएँ या जाति आधारित हाशियाकरण।

जन्म क्रम और ज़ल्द शादी का जोखिम

वे लड़कियाँ जो परिवार में दूसरे–तीसरे या चौथे स्थान पर पैदा हुईं उनके लिए सबसे ज़्यादा था। यह काफी प्रचलित और मान्य प्रथा कि अभिभावक शादी के आर्थिक दबाव को कम करने की नियत से छोटी–बड़ी सभी बहनों का विवाह एक साथ कर देते हैं। इसके चलते क्रम में जो तीसरे–चौथे नंबर पर थीं उनकी भी शादी काफी कम उम्र में हो गई थीं।

महावारी और शादी के बीच अत्यधिक कम अंतराल

कई विवाहित युवतियों को महावारी शादी के बाद शुरू हुई। हालाँकि शादी की उम्र अधिकतर जगहों पर पहले की अपेक्षा बढ़ गई थीं। शादी होने और ससुराल आने के बीच का अंतराल काफी कम हो गया था और ज़्यादातर लड़कियाँ 16 साल की होते–होते ससुराल आ गई थीं। यदि वे ससुराल भी नहीं भी आई थी तो भी शादी के बाद त्यौहारों पर उन्हें ससुराल आना पड़ता था (जबकि वे अभी माता–पिता के साथ ही रह रही थीं) इसमें उनके साथ जबरन या असहमति वाले यौनिक संबंधों का खतरा बढ़ जाता था।

यौनिक संबंधों की ज़ल्द और जबरन शुरुआत

ज़ल्द शादी और उसके बाद ज़रूरी तौर पर किए गए यौनिक संबंधों के कारण ज़ल्द गर्भाधान और बच्चों का जन्म इन विवाहित युवतियों के सामान्य जीवन का हिस्सा है। अधिकतर युवतियाँ जब शादी के बाद ससुराल आईं तो यौनिक संबंधों के संदर्भ में निर्णय लेने या उनके लिए मना करने के लिए वे काफी छोटी और सत्ताविहीन थीं। साथ ही गर्भ और बच्चों के जन्म संबंधी निर्णय भी उनके नहीं थे। किसी और संदर्भ में जो एक कानूनी रूप से बलात्कार कहा जा सकता है यहाँ शादी में उसका सामान्यीकरण हो चुका है।

शिक्षा का कम स्तर

ज़ल्द शादी युवा लड़कियों के पढ़ाई पूरी न कर पाने से गहराई से जुड़ा है। आधे से ज़्यादा लड़कियों की शादी, 16 साल पूरे होने से पहले ही हो गई थी और उनमें से ज़्यादातर ने अपनी पढ़ाई छूटने का कारण शादी को बताया। जो अन्य कारण उन्होंने बताये वे थे गरीबी, अभिभावकों का दबाव और स्कूल गाँव से दूर होना जिसके कारण सुरक्षा की चिंता। विवाहित युवतियों से उम्मीद की जाती है कि वे घर पर रहकर अपनी माँ की मदद करेंगी, खेत के काम संभालेंगी, बकरियों को चराना उनकी देखभाल इत्यादि करेंगी जिससे कि ससुराल जाने के लिए वे तैयार हो जाए।

विवाहित युवतियों की आज़ादी छिन जाती हैं

यह मानते हुए भी कि शादी होना उनकी नियति है, फिर भी अधिकतर विवाहित युवतियों ने शादी को आजादी छीन जाने के अनुभव के रूप में व्यक्त किया। कहीं आने–जाने की मनाही के साथ घर के काम बाँटने का बंधन भी बहुत शिद्दत से महसूस करती थीं। हालाँकि अधिकतर युवतियाँ आजादी के मायने उनकी ज़िंदगी में क्या होंगे इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पा रही थीं।

रोल मॉडल की कमी

अपने आसपास किसी पढ़ी–लिखी प्रोफेशनल महिलाओं के न होने से लड़कियों के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा अभाव हैं। कुछ लड़कियाँ जो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थीं वे अपनी दोस्तों से प्रेरित हुई थीं जो कि पढ़कर नर्स–टीचर या अन्य काम जैसे आँगनबाड़ी या आशा कार्यकर्ता के पद पर काम कर रही थीं। परिवार के सदस्य जैसे–माता–पिता या कभी–कभी पति भी इन युवतियों के पढ़ाई जारी रखने फैसले को प्रभावित करते हैं। ऐसे माहौल में जहाँ सकारात्मक रोल मॉडल और सहायक समुदायिक नेताओं का भारी अभाव है, वहां लड़कियों में अपनी पढ़ाई या रोजगार को लेकर कोई तीव्र इच्छा नहीं थी और न ही वे यह व्यक्त कर पा रही थीं कि अगर शादी न होती तो वे क्या करती या कर सकती थीं।

बेटे की चाहत और ज़ल्द गर्भधारण का निर्णय

शादी के बाद यौन संबंधों में जाने की उम्र भी काफी कम पाई गई। अध्ययन के समय लगभग सभी युवतियों का कम से कम एक बच्चा था। जबकि ज़्यादातर लड़कियाँ शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चे की जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं थीं। बेटे की चाहत भी बार–बार गर्भधारण को नियंत्रित करती है और सभी युवतियों ने माना कि उन्हें कम से कम एक बेटे को जन्म देना ही पड़ेगा। ये शादीशुदा युवतियाँ बार–बार और ज़ल्दी–ज़ल्दी गर्भधारण के फैसलों में कुछ भी करने में असक्षम थीं क्योंकि सास–ससुर और पति का दबाव रहता है।

महावारी और गर्भनिरोधक की जानकारी

महावारी, गर्भनिरोधक और यौन स्वास्थ्य से जुड़ी शर्म, सामाजिक मान्यताएँ, प्रतिबंध और उनसे जुड़े भ्रम के कारण ज़्यादातर लड़कियाँ शादी में बिना किसी जानकारी और तैयारी के जाती हैं।

युवक–युवतियों के गर्भधारण और गर्भनिरोधक पर विचार

अधिकतर युवक गर्भनिरोधक पर बात नहीं करना चाहते थे। हालाँकि कुछ युवकों ने कहा कि यह उनकी पत्नियों की जिम्मेदारी है कि वे गर्भनिरोधक का इस्तेमाल कर सुनिश्चित करें कि वे गर्भवती नहीं हो। जबकि अधिकतर युवतियों का कहना था कि गर्भनिरोधक का इस्तेमाल करने का निर्णय उनके पतियों के हाथ में है वे खुद यह निर्णय नहीं ले सकतीं।

पति द्वारा छोड़ दिए जाने का डर एवं घबराहट और ससुराल में शोषण

सभी विवाहित युवतियों और महिलाओं (जो कि स्वयं एक समय कम उम्र में शादी होकर आई थीं) के अनुसार कम उम्र में शादी ससुराल की जिम्मेदारियाँ न निभा पाने के डर, पति और अनजान लोगों (सास–ससुर इत्यादि) के साथ रहने, उनकी उम्मीदें पूरी न कर पाने की घबराहट और उसके कारण होने वाले नकारात्मक प्रभावों के गहरे भय से जुड़ा अनुभव है। और यही औरतें जब बड़ी उम्र में अपनी लड़कियों के भविष्य की चिंता से डरी और घबराई हुई रहती हैं।

दूसरी शादी या नाता प्रथा

राजस्थान में नाता प्रथा लड़कियों और औरतों के जीवन और उनके लिए शादी के अलावा कोई और विकल्प न होने की गवाही देते हैं। जेंडर और जाति प्रथा के शोषण में जकड़ी युवतियों और महिलाओं का जीवन शोषण और मजबूरी के धरातल पर टिका हुआ है। अधिकतर मामलों में औरतें अपनी शादी से बाहर नहीं निकल सकती हैं चाहे वह कितनी भी शोषणकारी क्यों न हो। लेकिन ये ही औरतें पति द्वारा छोड़ दिए जाने के भय में जीती हैं चाहे वह शिक्षा, रोजगार, आमदनी की कमी हो या समुदाय का सहयोग न मिलने के कारण हो या तब, जब वे विधवा हो जाए। अतः विवाहित युवतियों के लिए जीवन के रास्ते और विकल्प लगभग न के बराबर हैं, चाहे वह शादी के अंदर हो या शादी के बाहर।

मर्दानगी की अवधारणा

अधिकतर विवाहित युवकों ने ग्रामीण मर्दानगी के परंपरागत विचारों को ही व्यक्त किया जैसे कि शारीरिक क्षमता, घर चलाने की भूमिका और पत्नी एवं बच्चों पर नियंत्रण। यह पूछने पर कि क्या शारीरिक ताकत मर्दानगी के लिए महत्वपूर्ण है तो अधिकतर युवकों ने इस पर जोरदार सहमति जताई। आधे से ज़्यादा युवकों ने कहा कि आदमियों को हमेशा नियंत्रण करना चाहिए और आधे युवकों का मानना था कि घर के फैसलों में आखिरी निर्णय आदमी का ही होना चाहिए। परिवार की इज्जत, सभी युवकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय था। कुछ ने यह भी कहा कि परिवार की बेइज्जती होने से बचाने के लिए ज़रूरत पड़े तो हिंसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

युवकों में जेंडर असमानता की सोच

औरतों की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और व्यवहार के संदर्भ में युवकों के विचार अत्यधिक रूढ़िवादी, परंपरागत असमानता को मजबूत करने वाले और ग्रामीण राजस्थान के गहरी जेंडर असमानता समाज की छवि को उभारने वाले थे। चाहे ये युवक खुद ज़ल्द विवाह के शिकार थे, वे अपनी स्थिति और इससे संबंधित महिलाओं पर असर, अपनी मर्दानगी और पहचान पर बात करने में असमर्थ थे।

शादी टूट जाने का खतरा, आर्थिक असुरक्षा और निर्णय न ले पाने की असमर्थता

अधिकतर युवतियाँ अपनी शोषित शादियों से बाहर आने में असमर्थ थी क्योंकि शादी के लेन–देन और फैसलों पर न तो उनका कोई नियंत्रण था और न ही शादी टूट जाने पर उसके आर्थिक प्रभावों के झेलने की क्षमता। हालाँकि शादी सिर्फ सुरक्षा का एक छलावा मात्र ही थी, शादी टूट जाने के नकारात्मक प्रभाव एक बिल्कुल ही अलग कड़वी सच्चाई है।

मर्दाना आजादी और बहुयौनिक रिश्ते

कुछ युवकों और आदमियों ने शादी के बाहर भी लड़कियों या औरतों के साथ रिश्ते होने की बात कही। कई लोगों ने दूसरी शादी करने या पहली शादी के साथ ही बाहर भी रिश्ता बनाये रखने की बात कही।

घरेलू हिंसा का सामान्यीकरण

विवाहित युवकों का मानना था कि औरतों का आर्थिक निर्णयों पर अधिकार नहीं होना चाहिए। कई लोगों का मानना था कि आदमी प्राकृतिक तौर पर हिंसक होते हैं और बड़ी संख्या में युवकों का कहना था कि औरतों को परिवार की खातिर हिंसा सह लेनी चाहिए और आधे से ज़्यादा युवकों का मानना था कि औरतों के ऊपर हिंसा जायज है क्योंकि वे खुद इसे आमंत्रित करती हैं। ऐसे ही घरेलू हिंसा को भी कोई समस्या की तरह नहीं देखा गया। अगर औरतें

अपने काम ठीक से न करें, जैसे घर की देखभाल, बच्चे संभालना और सास–ससुर की इज्जत करना इत्यादि तो आदमी को यह हक है कि वे अपनी पत्नी की पिटाई करके सही रास्ते पर ले आए। बड़ी उम्र के आदमी जो ये बात सुन रहे थे उन्होंने भी इसकी पुष्टि की कि उन्होंने अपने लड़कों को ''महिलाओं को नियंत्रित'' करना सिखाया है।

काम का बोझ और विवाहित युवतियों की गतिशीलता पर नियंत्रण

विवाहित युवतियों की ज़िंदगी ससुराल में कड़े परिश्रम, खेतों पर काम और यदि गरीब परिवार में है तो दिहाड़ी मजदूरी के बोझ से परिभाषित होती है। वैसे तो लड़कियाँ बचपन से ही बिना शिकायत किए घर के काम (स्कूल जाना मिलाकर) बिना थके करने के लिए तैयार की जाती है फिर भी ससुराल आने के बाद उनका काम कई गुना बढ़ जाता है। शादी के तुरन्त बाद ही ससुराल वाले लड़की के घर वालों पर दबाव बढ़ाने लगते है उसे ज़ल्दी ससुराल भेजने के लिए क्योंकि ससुराल वाले यह मानते हैं कि शादी होने के बाद लड़की के श्रम पर उनका अधिकार है।

विवाहित युवकों के शादी को लेकर डर और घबराहट

सभी विवाहित युवकों ने कहा कि शादी के मसलों पर उनका कोई जोर नहीं था। अतः चाहे कम उम्र में शादी उनके लिए जीवन का सामान्य हिस्सा था फिर भी शादी को लेकर डर घबराहट और घर की जिम्मेदारियों का बोझ वह भी महसूस करते हैं। घर के बड़े–बुजुर्ग इन मामलों में बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं और युवाओं का कहना था कि वे अपने अभिभावकों के खिलाफ कोई निर्णय नहीं ले सकते थे।

विवाहित युवतियों की शादी के बारे में डर और घबराहट

विवाहित युवतियों में शादी के संदर्भ में यौन संबंधों और पति के साथ अकेले होने की घबराहट थी। कुछ लोगों ने कहा कि शादी से पहले उन्हें यौन संबंधों की जानकारी नहीं थी और इसलिए नहीं जानती थीं कि उनके साथ क्या होगा? बहुत–सी युवतियों को डर था कि वे घर के कामों और खेती के कामों को ठीक से कर पायेंगी या नहीं। वे जानती थी कि अगर उनके कामों से उनकी सास या ननद खुश नहीं होगीं तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। कुछ लोगों ने अजनबी लोगों के साथ रहने और सभी अजनबी रिश्तेदारों को खुश करने का डर उन्हें लगातार सताता है ऐसा भी कहा। कुछ विवाहित युवतियों ने शादी के बाद पिटाई के अनुभव को याद करते हुए डर लगने की बात की।

शादी के बाद की सबसे बुरी याद

आधी से ज़्यादा विवाहित युवतियों ने कहा कि वे शादी ही नहीं करना चाहती थीं। बड़ी संख्या में युवतियों ने शादी के बाद अपने माता–पिता और परिवार छोड़ने की घबराहट तथा लगभग 25 प्रतिशत ने शादी के कारण स्कूल छूट जाने को एक खराब याद के रूप में व्यक्त किया।

विवाहित युवतियों की स्वास्थ्य स्थिति

कई बड़ी उम्र की महिलाओं ने बीमारी, बच्चों की मृत्यु और खराब तबियत को बुरी आत्माओं का प्रकोप बताया। घर में बड़ी उम्र की महिलाओं के पास काफी सत्ता होती है। अतः यदि गर्भधारण, बच्चे के जन्म और गर्भनिरोधक जैसे विषयों पर उनकी समझ बनाई जाए तो विवाहित युवतियों के स्वास्थ्य में काफी सुधार लाया जा सकता है। परन्तु ज़ल्द और बाल विवाह के संदर्भ में जो काम हो रहे है उनमें इसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है।

सिफारिशें

औरतों और लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए चुनिंदा गाँवों में लंबे समय से लगातार काम करते रहने की ज़रूरत है जिससे कि अपनी ज़ल्द शादी की समस्या को खत्म करने और लड़कियों को निर्णय लेने का अधिकार एवं एजेंसी मिल सके। समाज में व्याप्त पितृ सत्तात्मक सोच, मूल्यों और परंपराओं को बदलकर जेंडर संगत समाज बनाने के लिए बहुत ही लंबे संघर्ष और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

युवा लड़कियाँ जिनकी अभी शादी नहीं हुई है या शादी के बाद भी मायके में रह रही हैं

- विवाहित लड़कियों को शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें स्कूल में वापस लेकर आए।
- युवा लड़कियों को संगठित करके ज़ल्द शादी रोकने की दिशा में प्रयास करें। यह युवा लड़कियाँ विवाहित लड़कियों की ननद भी हैं जो कि शादी के बाद ससुराल में होने वाले शोषण को कम करने में मदद कर सकती हैं।
- यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य, गर्भधारण, गर्भनिरोधक और अपने शरीर के बारे में जानकारी तथा नियंत्रण जैसे विषयों पर लड़कियों को प्रशिक्षण मिलें।
- विवाहित युवतियों के लिए सशक्तीकरण के सत्र करें जिनमें उनके अधिकारों घरेलू हिंसा के कानून और सरकारी सेवाएँ उनके साथ बाँटें जो वे मुसीबत के समय इस्तेमाल कर सकती हैं।
- आजीविका और रोजगार के लिए प्रशिक्षण खासतौर पर उन हुनर क्षेत्रों में जो जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ जैसे कंप्यूटर या फोटोग्राफी प्रशिक्षण इत्यादि।

विवाहित युवतियाँ

- नवविवाहित युवतियों तक पहुँच बढ़ाना खासतौर से सास और ननद के साथ संवाद स्थापित करने के लिए जो कि अक्सर नवविवाहित लड़कियों पर नियंत्रण रखने का काम करती हैं।
- आगे होने वाली शादियों को रोकने के लिए विवाहित युवतियों के साथ सीधे संपर्क कर, काम करे।
- स्वास्थ्य, यौनिकता, प्रजनन गर्भनिरोधक और अपने शरीर पर नियंत्रण करने के लिए प्रशिक्षण देने की ज़रूरत।

- विवाहित युवतियों को सशक्तिकरण, घरेलू हिंसा और अपने अधिकारों को पाने के लिए सरकारी कार्यक्रमों एवं अन्य सहायता पाने की जानकारी दें।
- वो महिलाएँ और लड़कियाँ जो घरेलू हिंसा सह रही है उन्हें सहायता दें।
- आजीविका और रोजगार जुड़े प्रशिक्षण विवाहित युवतियों के लिए भी उपलब्ध हो खासतौर पर गैर–परंपरागत प्रशिक्षण जैसे–कंप्यूटर, फोटोग्राफी इत्यादि।

बड़ी उम्र की महिलाएँ

- महिलाओं के साथ सीधे तौर पर काम करके उन्हें घरेलू हिंसा, उससे जुड़े कानून, सत्ता और पितृसत्ता संबंधी विषयों पर जानकारी दें।
- बड़ी उम्र की महिलाओं में नेतृत्व विकास के सत्र हो सकते हैं जिससे कि वे ज़ल्द विवाह और अन्य जेंडर आधारित गैर–बराबरियों को समझते हुए परिवर्तनकारी विकास कार्यों में नेतृत्व दे सकें।

युवा लड़के (शादीशुदा और कुँवारे)

- युवाओं के साथ सीधे संपर्क करके, मर्दानगी, यौनिकता और लड़कियों एवं महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर काम करने की ज़रूरत।
- शिक्षा और रोजगार से जुड़े प्रशिक्षण और मौके देना जिससे कि शादी को टालने के लिए उनके पास प्रेरणा और मकसद हो।

समुदाय आधारित पहल

- मनरेगा (महात्मा गाँधी रोजगार योजना) जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना जिससे कि वंचित एवं गरीब समुदायों में औरतों पर काम का बोझ कम किया जा सकें।
- घरेलू हिंसा पर अभियान चलाकर समुदाय में उसके विरुद्ध जागरूकता देना और साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य शिक्षा और आजीविका पर समुदाय में सकारात्मक सोच डालना।
- चयनित प्रतिनिधियों, पुलिस, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्कूल शिक्षकों के साथ मिलकर लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों को समाज में स्थापित करना।

सामुदायिक स्तर कार्यकर्ता का प्रशिक्षण

- समुदाय स्तर के कार्यकर्ता जैसे आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, जो कि समुदाय के साथ करीबी से काम करते हैं, उनको लड़कियों के साथ काम करने के लिए प्रशिक्षित करके, लड़कियों और विवाहित युवतियों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुँचाना। साथ ही जाति एवं जेंडरगत मूल्यों और परंपराओं को भी इनके जरिए संबोधित किया जा सकता है।

एडवोकेसी

- राज्य के कार्यक्रमों, नीतियों और योजनाओं में युवा विवाहित लड़कियों और लड़कों के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करवाना।
- युवा विवाहित लड़कियों के मानसिक स्वास्थ्य और उसकी चुनौतियों की तरफ राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना।
- युवा विवाहित लड़कियों के ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य कार्यक्रमों में यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य और जेंडर आधारित समानता पर फोकस बढ़वाना।
- ग्राम पंचायत स्तर पर युवा विवाहित लड़कियों और लड़कों के मुद्दों के प्रति फ्रंट लाइन वर्कस को संवेदनशील बनाना और जवाबदेह बनाना।

संदर्भ सूची

असरारी, एल. 2015. प्रिवेंटिंग चाइल्ड मेरिज इन द कॉमनवेल्थः द रोल ऑफ एजयूकेशन. लंदनः प्लान इन्टरनेशनल यूके एण्ड रॉयल कॉमनवेल्थ सोसायटी. *www.thercs.org/assets/Uploads/Preventing-Child-Marriage-in-the-Commonwealth.pdf* (3 नवम्बर, 2018 को वेबसाइट देखी गई).

चौधरी, एस. 2016. "30% वीमेन मेरिड अण्डर एज 18", इण्डियन एक्सप्रेस. *https://indianexpress.com/article/explained/child-marriage-women-india-census-data-2011-2826398/* (5 मई, 2018 को वेबसाइट देखी गई).

दागुप्ता, के. 2018. ''पॉवर्टी इज नॉट द आनली रिजन बीहाइण्ड चाइल्ड मेरिज इन इण्डिया'', हिन्दुस्तान टाइम्स. *www.hindustantimes.com/opinion/poverty-is-not-the-only-reason-behind-child-marriages-in-india/story-KYI4goPQHPWaAcMVagem4J.html* (11 फरवरी, 2019 को वेबसाइट देखी गई).

दसरा 2014. मेरी मी लेटरः प्रीवेटिंग चाइल्ड मेरिज एण्ड अरली प्रेगनेन्सी इन इण्डिया. न्यू दिल्ली. *www.dasra.org/resource/ending-child-marriage* (4 मई, 2018 को वेबसाइट देखी गई).

दी सील्वा–दी–एसविस, आर. 2008. चाइल्ड मेरिज एण्ड द लॉः लेजिसलेटिव रिफॉर्म इनिशियेटिव पेपर सीरीज. न्यूयार्कः यूनिसेफ डिवीजन ऑफ पॉलिसी एण्ड प्लॉनिंग. *www.wcwonline.org/pdf/asia2007conf/Child%20Marriage%20and%20the%20Law.pdf* (28 जनवरी, 2019 को वेबसाइट देखी गई).

गर्ल्स नॉट ब्राइडस् एण्ड इन्टरनेशल सेन्टर फॉर रिसर्च ऑन वीमेन (अनडेटेड). ''ब्रीफ 1: टेकिंग एक्शन टू एर्डस चाइल्ड मेरिजः द रोल ऑफ डिॅरेन्ट सेक्टर्स, हेल्थ'' *www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2016/03/1.-Addressing-child-marriage-Health.pdf* (29 दिसम्बर, 2018 को वेबसाइट देखी गई).

गोली, एस. 2016. ऐलिमिनेटींग चाइल्ड मेरिजः प्रोग्रेस एण्ड प्रोसपेक्टस्. न्यू दिल्लीः चाइल्ड राइटस् फोकस एण्ड एक्शन एड पब्लिकेशन, *https://www.actionaidindia.org/wp-content/uploads/2018/06/Eliminating-Child-Marriage-in-India.pdf* (5 मई, 2018 को वेबसाइट देखी गई).

मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2013. ''एनुअल हेल्थ सर्वे, 2012–13: फेक्टशीट, राजस्थान'' *www.censusindia.gov.in/vital_statistics/AHSBulletins/AHS_Factsheets_2012-13/FACTSHEET-Rajasthan.pdf* (29 दिसम्बर, 2018 को वेबसाइट देखी गई).

गोस्वामी, आर. 2016. ''चाइल्ड मेरिज इन राजस्थान हावड इन 10 इयर्स'', हिन्दुस्तान टाइम्स. *www.hindustantimes.com/jaipur/child-marriages-in-rajasthan-halved-in-10-years/story-8BTI5lS5wDW8PGLQrftONL.html* (10 दिसम्बर, 2018 को वेबसाइट देखी गई).

फ्रीमेन, सी. 2009. रिजर्वेशन टू सीइडीएडब्ल्यूः एन एनालिसिस फॉर यूनिसेफ. न्यूयार्कः यूनिसेफ *http://www.unicef.org/gender/files/Reservations_to_CEDAW-an_Analysis_for_UNICEF.pdf* (29 जनवरी, 2019 को वेबसाइट देखी गई).

जेफरी, आर. एण्ड जेफरी, पी. 1997. पोपुलेशन, जेण्डर एण्ड पोलिटिक्सः डेमोग्राफिक्स चेन्ज इन रूरल नोर्थ इण्डिया. यूनाइटेड किंगडम एण्ड न्यूयार्कः केम्ब्रीज यूनिवर्सिटी प्रेस.

कबीर, एन. 2005. ''इज माइक्रॉइनेन्स ए 'मेजिक बुलेट' फॉर वीमेनस् एमपावरमेन्ट? एनालिसिस ऑफ फाइडिंगस फ्रामसाउथ एशिया'', इकानॉमिक्स एण्ड पॉलिटिक वीकली, 29 अक्टबर पेज 4709–4718.

मैकिन्टोस, एम. 1981. ''जेण्डर एण्ड इकानॉमिक्सः द सेक्सुअल डीविजन ऑफ लेबर एड द सबोर्डिनेशन ऑफ वीमेन'', इन के. यंग, सी. वोल्कोविट्ज एण्ड मैककुलघः ऑफ मेरिज एण्ड द मार्केटः वीमेनस् सबोर्डिनेशन इन इन्टरनेशनल परसपेक्टिव. लंदनः सीएसई बुकस्.

मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर 2016. ''नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे–4. स्टेट फेक्ट शीटः राजस्थान'' *http://rchiips.org/nfhs/NFHS-4Reports/Rajasthan.pdf* (28 दिसम्बर, 2018 को वेबसाइट देखी गई).

मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2012. एनुअल हेल्थ सर्वे बुलेटिन, 2011–12, राजस्थान. न्यू दिल्लीः ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल, सेन्सस कमिश्नर. *www.censusindia.gov.in/vital_statistics/AHSBulletins/files2012/Rajasthan_Bulletin%202011-12.pdf* (1 फरवरी, 2019 को वेबसाइट देखी गई).

नंदा, पी., गौतम, ए., वर्मा, आर., खन्ना, ए., खान, ए., ब्राहमे, डी., बोयले, एस., एण्ड कुमार, एस., 2014. स्टडी ऑन ''मेस्कुलिनिटी, इनटीमेट पार्टनर वायलेन्स एण्ड सन प्रीफरेन्स इन इण्डिया''. न्यू दिल्लीः इन्टरनेशनल सेन्टर फॉर रिसर्च ऑन वीमेन. *https://india.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MasculinityBook%287thNov%29-1.pdf* (9 दिसम्बर, 2018 को वेबसाइट देखी गई).

नेशनल क्राइम रिकार्डस् ब्यूरो 2016. क्राइम इन इण्डिया, 2016 स्टेटिस्टिक्स. न्यू दिल्लीः मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया. *http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/CII2016/pdfs/Crime%20Statistics%20-%202016.pdf* (28 दिसम्बर, 2018 को वेबसाइट देखी गई).

निरन्तर 2015. अरली एण्ड चाइल्ड मेरिज, ए लेण्डस्केप एनालिसिस, निरन्तर ट्रस्ट पब्लिकेशन. न्यू दिल्ली. *www.nirantar.net/uploads/files/EM%20Report%20-%20English.pdf* (5 मई, 2018 को वेबसाइट देखी गई).

पंचोली, आई. एण्ड हेमाद्री, आर. 2006. ''वायलेन्स अगेन्स्ट वीमेन एण्ड द कस्टमरी प्रक्टिस ऑफ नाता इन राजस्थानः एन एक्सप्लेटोरी स्टडी''. न्यू दिल्लीः टाटा इन्सटिटूट ऑफ सोशल साइन्सेज, अनपब्लिश रिपोर्ट.

शेख, जेड. 2015. ''फेक्टः 1 इन 6 इण्डियन वीमेन मेरी अण्डर 18''. *https://indianexpress.com/article/india/india-others/fact-1-in-6-indian-women-marry-under-18/* (8 दिम्बर, 2018 को वेबसाइट देखी गई).

यूनाइटेड नेशन्स् चिल्ड्रन फण्ड (यूनिसेफ) 2014. एण्डिंग चाइल्ड मेरिजः प्रोग्रेस एण्ड प्रोसपेक्टस्. न्यूयार्क. *www.unicef.org/media/files/Child_Marriage_Report_7_17_LR..pdf* (5 दिसम्बर, 2018 को वेबसाइट देखी गई).

यूनाइटेड नेशन्स् चिल्ड्रन फण्ड (यूनिसेफ) 2018. चाइल्ड मेरिज, सेटेस्ट ट्रेण्डस् एण्ड फ्यूचर प्रोसपेक्टस्. *https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2018/07/Child-Marriage-Data-Brief.pdf* (2 दिसम्बर, 2018 को वेबसाइट देखी गई).

यूनाइटेड नेशन्स् जनरल असेम्बली 1979. कनवेन्सन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्मस् ऑफ डिसक्रिमिनेशन अगेन्स्ट वीमेन, 18 दिसम्बर, ए/आरइएस/34/180. *www.refworld.org/docid/3b00f2244.html* (28 जनवरी, 2019 को वेबसाइट देखी गई).

यूनाइटेड नेशन्स् डवेलपमेण्ट प्रोग्राम (यूएनडीपी) 2011.''राजस्थानः इकॉनामिक्स एण्ड ह्यूमन डवेलपमेण्ट इण्डिकेटरस्''. *www.in.undp.org/content/dam/india/docs/rajasthan_factsheet.pdf* (2 दिसम्बर, 2018 को वेबसाइट देखी गई).

जफर, ओ. 2015. ''सस्टेनेबल डवेलपमेण्ट गोलस्: वाय एण्डिइंग चाइल्ड मेरिज सूड बी ए टारगेट''. *www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/apr/10/sustainable-development-goals-ending-child-marriage-target* (2 दिसम्बर, 2018 को वेबसाइट देखी गई).

आभार

विकल्प संस्थान उन सभी विवाहित युवतियों, लड़कों और महिलाओं के प्रति कृतज्ञ है जिन्होंने इस अध्ययन में अपनी भावनाओं, कहानियों, व्यक्तिगत विचारों और अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। हम उन सब लोगों के भी आभारी हैं जिन्होंने अपनी विभिन्न भूमिकाओं के तहत अध्ययन में भाग लिया।

हम विकल्प के सभी कार्यकर्ता और वालियंटर्स के तहेदिल से शुक्रगुजार है जिन्होंने न सिर्फ डेटा इकट्ठा किया बल्कि बहुत से उपयोगी जानकारियाँ और समझ, महिलाओं–लड़कियों के जीवन से जुड़े अनुभवों और संघर्षों को भी बाँटा। हम शुक्रगुजार हैं कि विकल्प के वालियंटर्स अनिता ढोली, हसीना बानो, चाँदनी बानो, मीना गोस्वामी और सीमा सुथार के उनकी सहायता और सहयोग के लिए। विशेष शुक्रिया विकल्प के स्टाफ मीना खटीक, पूजा शर्मा, विष्णु यादव और अजीत चौधरी का जिनके बिना यह अध्ययन संभव ही नहीं था।

हम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुम्बई के छात्रों के आभारी हैं। जिनका अलग–अलग तरह से इस अध्ययन में सहयोग मिला। विशेष धन्यवाद मोनिका, मेघना, मालविका, अभिजीत, शिप्रा, पूजा, जेबा, गायत्री, शताक्शी, ऐश्वर्या, नीतिका, अवस्थी और सुवेनी का जिन्होंने इस अध्ययन में अपना समय–ऊर्जा और भावनात्मक सहयोग दिया।

इस अध्ययन को पूरा करने में कई व्यक्तियों का उदार सहयोग और योगदान शामिल है। इनमें से कुछ जिनके हम विशेष आभारी है वे हैं डॉ. तृप्ती पंचाल, स्कूल ऑफ सोशलवर्क, टी.आई.एस.एस.उनके प्रोत्साहन और इनपुट के लिए। साथ ही हम बहुत आभारी हैं दिप्ता भोग और रितु शर्मा के जिन्होंने समय–समय पर अपने फीडबैक से इस रिपोर्ट में महत्वपूर्ण बदलाव लाने और बेहतर बनाने में अमूल्य सहयोग दिया। अर्चना द्विवेदी जिन्होंने इस रिपोर्ट अनुवाद किया, जो कि सिर्फ अनुवाद नहीं था बल्कि रिपोर्ट के नज़रिए और केन्द्रियता को भी बनाए रखा है।

यह अध्ययन अमेरिकन ज्यूश वर्ल्ड सर्विस के सहयोग के बिना संभव नहीं था। हम तहेदिल से डॉ. जैकलिन, प्रणिता कपूर और डॉ. मांजिया भट्टाचार्य के सहयोग के लिए आभारी हैं। अध्ययन के लिए जानकारी और डेटा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के छात्रों और विकल्प संस्था के कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया। विकल्प की उषा चौधरी और योगेश वैष्णव एवं टी.आई.एस.एस. की फेकल्टी डॉ. शिवली कुमार और डॉ. सोहिनी सेन गुप्ता, जिन्होंने यह रिपोर्ट भी लिखी है, ने अध्ययन का प्रबंधन और मार्गदर्शन किया। संपादन सहयोग केरेन एमोस ने दिया।

लेखक

डॉ. सोहिनी सेन गुप्ता और डॉ. शिवली कुमार, टी.आई.एस.एस., मुंबई।

यह अध्ययन इस मुद्दों को लगातार समझने का एक प्रयास है। इसमें व्यक्त विचार, विश्लेषण और राय, भी इस विषय को गहराई से समझने की एक सतत् प्रक्रिया स्वरूप ही हैं इन्हें ए.डब्ल्यू.एस., टी.आई.एस.एस. या विकल्प के स्थाई विचार के रूप में न देखा जाए।

हमारे बारे में

Vikalp Sansthan

विकल्प, युवा सामाजिक कार्यकताओं का समूह है, जो समानता, शान्ति और न्याय पर आधारित हर हिंसा से मुक्त समाज की रचना के लिए कटिबद्ध है।

RE-IMAGINING FUTURES
TISS
Tata Institute of Social Sciences

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टिस) उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता की एक ऐसी संस्था है, जो लगातार लोग–केंद्रित, टिकाऊ पारिस्थितिक और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए ज्ञान के व्यावहारिक प्रयोग और विकास के माध्यम से बदलती सामाजिक वास्तविकताओं का जवाब देती है, जो सभी के लिए सम्मान, समानता, सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों को बढ़ावा देती है।

AMERICAN JEWISH WORLD SERVICE

अमेरिकन ज्युयिश वर्ल्ड सर्विस (AJWS), एक वैश्विक कल्याणकारी संस्थान है जो मानव अधिकार को स्थापित करने और दुनिया से गरीबी खत्म करने के लिए कार्य करती है।

© 2019

www.vikalpindia.org